छत्तीसगढ़ शासन

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.)

सुकमा

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुकमा

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

जयसिंह अग्रवाल
मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर रायपर

संदेश (प्रारूप)

जिले की आपदा प्रबंधन योजना प्रदेश सरकार की एक नवीन पहल है। इस योजना का लक्ष्य जिले में घटने वाली संभावित आपदाओ से होने वाले व्यापक हानि को कम करना है। यह योजना अपने दायरे में व्यापक है और यह प्रशासन के सभी वर्गों को विस्तृत निर्देश देता है।

पिछले कुछ वर्षो में आपदा जोखिम प्रबंधन सभी राज्यों व जिलों के लिए एक चुनौती बन गया है। किसी महाविनाशकारी स्थिति से निपटना एक कठिन कार्य है। जिसमें विभिन्न प्रकार से कार्य निष्पादन, जोखिम आंकलन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण, पर्याप्त आधारभूत संरचना हेतु योजना एवं क्रियान्वयन, आपदा की तैयारी, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तथा नीति बनाना अहम् कार्य है।

चूँकि आपदा प्रबंधन योजना एक स्थायी प्रक्रिया है तथा इस परिपेक्ष्य में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं सहयोगी द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाना आपदाओं से सशक्त तौर पर निपटने के लिए अति महत्वपूर्ण कदम है।

मैं, विभाग के इस सराहनीय पहल का स्वागत करता हूँ. मुझे विश्वास है कि यह योजना जिले के नागरिकों की आपदाओं से बचाव तथा जिले की क्षमता में वृद्धि करने में सफल होगी।

(जय सिंह अग्रवाल)

सुनील कुमार कुजूर
मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर रायपुर
दिनांक

संदेश

प्रदेश के सभी 27 जिले परम्परागत रूप से प्राकृतिक एवं मानव जनित अपदाओं तथा विभिन्न प्रकार की संवेदशीलताओं और उनकी विशालता से प्रभावित रहें हैं। इन बढ़ती आपदाओं से जिलो के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े है, जिसके कारण भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आपदाओं के नुकसान को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक, व्यावहारिक और लचीली योजनायें बनाई जाये ताकि स्थिति के अनुरुप उनमें परिवर्तन किया जा सके और समय पर सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जा सके। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गयी है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा उनके सहयोगी विभाग द्वारा जिले की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि सभी विभागों के आपसी सहयोग से जिले में बेहतर आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कर जिले को एक आपदा प्रतिरोधी जिला व छत्तीसगढ़ को एक आपदा प्रतिरोधी राज्य बनाने में सफल होंगे।

(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य सचिव

संदेश

आपदाओं के कारण व्यापक रूप से जन–जीवन एवं विकास कार्य प्रभावित होता है। अतः आपदा पूर्व प्रयासों जैसे तैयारी, क्षमता–वर्धन, उचित ट्रेनिंग और पुनर्निर्माण से जान और माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

सम्पूर्ण जिले के नागरिकों के साथ ही अत्यधिक संवेदनशील वर्ग जैसे बच्चे, महिलायें, बुजुर्ग, दिव्यांग एवं मजदूर वर्ग पर आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु जन भागीदारी, जागरूकता, प्रतिक्रिया एवं समन्वय बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गयी है जो कि प्रशंसनीय है।

आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से प्रदेश एवं जिले में एक ऐसा तंत्र विकसित होगा जो भविष्य में घटित होने वाली किसी भी घटना/आपदा से निपटने में सहायक होगा।

सचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

आभारोक्ति

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन सभी सहभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में अपना योगदान दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिशा–निर्देश के अनुसार इस योजना को तैयार किया गया है जिससे इसे जनोपयोगी बनाया जा सके।

इस बात को ध्यान में रखते हुए की इसका प्रमुख लाभ 'समुदाय' को पहुंचेगा, आपदा प्रबंधन योजना के लिए विभागानुसार ढांचा तैयार किया गया है। जिसमें प्रत्येक की भूमिका का निर्धारण किया गया है, जिससे आपदा से पूर्व और आपदा के बाद सहीं तरीके से आपसी समन्वय, तैयारी एवं उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके।

श्रीमती रीता यादव, उप सचिव/उपायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा योजना तैयार करने में विशेष सहयोग रहा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना का वास्विक ढांचा तैयार करने में आपदा प्रबंधन सलाहकार श्री दिलीप सिंह राठौर, सुश्री चेतना, श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय, सुश्री जया साहू, श्री जीतेन्द्र सोलंकी एवं श्री एस. श्रीजीत का विशेष योगदान है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारियों का योजना हेतु दस्तावेज तैयार कराने में भरपूर योगदान रहा।

अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थः–

BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CAF	Central Armed Forces	केन्द्रिय सुरक्षा बल
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMO	Chief Medical Officer	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्य मंत्री राहत कोष
CSO	Civil Society Organization	नगर संस्था
DM-ACT	Disaster Management Act 2005	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
DDMA	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DDRF	District Disaster Response Force	जिला आपदा प्रत्युत्तर बल
DM	District Magistrate	जिला कलेक्टर
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
EOC	Emergency Operation Center	आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Essential Service Functions	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर टीम
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली
HFA	Hyogo Framework for Action	ह्योगो कार्रवाई निर्णय
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
HVCA	Hazard Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
IAF	Indian Armed Force	भारतीय सशस्त्र बल
IAG	Inter-Agency Group	इन्टर एजेंसी ग्रुप
IAP	Immediate Action Plan	तात्कालिन कार्य योजना
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IMD	Indian Metrological Department	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
IMT	Incident Management Teams	घटना (आपदा) प्रबंधन टीम
IRS	Incident Response System	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर प्रणाली
IRT	Incident Response Team	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर टीम
IYA	Indira Awas Yojna	इंदिरा आवास योजना
LSG	Lower Selection Grade	निम्न प्रवर कोटि
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MI&CT	Ministry of Information &	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय

	Communication Technology	
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MoAFW	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	कृशि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
MoCI	Ministry of Commerce and Industry	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
MoEF& CC	Ministry of Environment forest Climet change	पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MoHFW	Ministry of Health & Family Welfare	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MHA	Minisrty of Home Affaires	गृह मंत्रालय
MoHRD	Ministry of Human Resources Development	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MoL& E	Ministry of Labour & Employment	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Mop	Ministry of Power	विद्युत मंत्रालय
MoPR	Ministry of Panchayati Raj	पंचायती राज मंत्रालय
MoRD	Ministry of Rural Development	ग्रामिण विकास मंत्रालय
MoRTH	Ministry of Road Transport and Highway	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MoWF	Ministry of Water Resources	जल संसाधन मंत्रालय
MoUD	Ministry of Urban Development	भाहरी विकास मंत्रालय
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NCC	National Cadet Corps	राष्ट्रीय छात्र सेना
NDMA	National Disaster Management Authority	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/ Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
NIDM	National Institute of Disaster Management	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
NGOs	Non- Government Organizations	गैर–सरकारी संगठन
NRSC	National Remote Sensing Center	राष्ट्रीय सुदुर संवेदन केन्द्र
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NREGS	National Rural Employment Guarantee Scheme	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NRHM	National Rural Health Mission	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NSV	National Service Volunteer	राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवक
NYK	Nehru Yuva Kendra	नेहरू युवा केन्द्र
PDS	Public Distribution Shop	जनवितरण दूकानें
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
PWD	Public Works Department	लोक यांत्रिकी विभाग
Q&A	Quality and Accountability	गुणवत्ता एवं जवाबदारी

QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर टीम
SDMA	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/ Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
SHG	Self Help Group	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक परिचालन पद्धति
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक
WRD	Water Resources Department	जल संसाधन विभाग
WHO	World Health Organisation	विश्व स्वास्थ्य संगठन

प्रस्तावना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम 2005) राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत और समन्वय तंत्र प्रदान करता है। इस अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से, भारत सरकार ने एक बहु–स्तरीय संस्थागत प्रणाली बनाई जिसमें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) तथा स्थानीय निकायों को सह–अध्यक्षता की अध्यक्षता में की जाती है।

आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, यह एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानवीय, भौतिकीय या पर्यावरणीय व्यापक हानि होती है। जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियां अपर्याप्त होती हैं, अर्थात आशंकित विपत्ति का वास्तव में घटित होना आपदा है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना में सभी संभावित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं को ध्यान में रखा गया है। योजना में विभिन्न आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय विस्तारित किया गया है। यह जिला आपदा प्रबंधन योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार तैयार किया गया है। इसे 4 खण्डों में विभाजित किया गया है।

खण्ड 01 में जिले की पृष्ठभूमि, जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन, के साथ जिले में योजना की आवश्यकताएं, योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य, जिले का संक्षिप्त परिचय, जिले के संभावित आपदाओं की पहचान, जोखिम विश्लेषण, जिले में घटित आपदाएं जैसे – सूखा, बाढ़, दुर्घटनाएं, महामारी आादि को दर्शाया गया है। संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की संरचना जिसमें जिले स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन समिति के गठन प्रक्रिया, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की जानकारी को दर्शाया गया है।

खण्ड 02 को आपदा के समय बचाव रोकथाम, तत्परता, प्रशिक्षण, संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक क्षमता निर्माण श्रेणी में विभाजित किया गया है। जिसमें सामान्य तैयारियॉं एवं उपाय, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, योजनाओं का नवीनीकरण, संचार तंत्र, आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता के साथ–साथ तत्काल पूर्व आपदा की स्थिति में, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय तंत्र को सम्मिलित किया गया है। जिले में संभावित खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक निवारण उपाय, आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना, संस्थागत क्षमता निर्माण, प्रत्येक विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ दर्शायी गई हैं।

खण्ड 03 में आपदा प्रबंधन योजना के कियान्वय के लिए वित्तीय संसाधन एंव आपदा के समय विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाली मानक संचालन प्रकिया को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया, आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया एवं आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति के साथ पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रक्रिया को दर्शाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन एवं जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत, जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं आाधुनिकीकरण, जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन तथा क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र का उल्लेख किया गया है।

खण्ड 04 में जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यक जानकारी जैसे सम्पर्क सूची, वाहन सूची, स्वास्थ केन्द्रों, पुलिस थानों, अग्निशमन विभाग की सूची के साथ– साथ जिले के आपदा ग्रसित क्षेत्रों के नाम, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

यह योजना आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात जिला प्रशासन, अन्य हितधारकों के बेहतर समन्वय, आयोजन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका के रुप मे उपयोगी है। यह योजना राहत कार्यों मे कार्यरत प्रक्रिया व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है और आपदा से निपटने की सामुदायिक क्षमता में वृद्धि करता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना की परिकल्पना, तत्परता योजना के रुप मे किया गया है, जो कि समुपस्थित आपदा के बारे में सूचना मिलते ही सक्रिय होता है एवं प्रतिक्रिया की व्यवस्था को बिना कोई समय गवांये क्रियाशील बनाता है।

खण्ड – 1

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुकमा
(आपदा प्रबंधन योजना)
विषय सूची/क्रम सूची

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	**पृष्ठभूमि**	**1-21**
1.1	जिला आपदा प्रबंधन योजना	1
1.2	योजना की आवश्यकता	2
1.3	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	2-3
1.4	योजना का क्षेत्र	4
1.5	प्राधिकरण और संदर्भ	4
1.6	योजना विकास	4
1.7	हित धारक एवं जिम्मेदारियां	5
1.8	योजना का अनुमोदन तंत्र	5
1.9	जिले का संक्षिप्त परिचय	6-21
2	**जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन**	**22-41**
2.1	संभावित आपदाओं की पहचान	23-24
2.1.1	सात मुख्य आपदाएँ	24
2.2	आपदाओं का इतिहास	25-27
2.3	जोखिम प्रोफाइल	28-29
2.4	जोखिम विश्लेषण	29
2.5	संवेदनशीलता विश्लेषण	29-31
2.6	सुकमा जिले में घटित आपदाएं	31-41
2.6.1	सूखा	31-32
2.6.2	बाढ़	33-36
2.6.3	तूफान	36
2.6.4	दुर्घटनाए	37-38
2.6.5	आग	39
2.6.6	महामारी	39-40
2.6.7	भूकम्प	40
2.6.8	नक्सलवाद	41
2.6.9	बांध टूटना	41
3	**आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागते व्यवस्था**	**42-53**
3.1	संस्थागत व्यवस्था	42
3.2	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन	42
3.3	राज्य आपदा प्रबंधन	42
3.4	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	43-45
3.5	स्थानीय स्व सरकारी प्राधिकरण	45
3.6	शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति	45
3.7	तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	46
3.8	ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	46
3.9	घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस)	47-50
3.10	जिला नियंत्रण केन्द्र	**51-53**

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1– जिले का संक्षिप्त परिचय	6
2	तालिका 2– भौगोलिक स्थिति	7
3	तालिका 3– जनसांख्यिकी विवरण	10
4	तालिका 4– वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा	10
5	तालिका 5– जलाशय	11
6	तालिका 6– आर्थिक विवरण	11
7	तालिका 7– सांस्कृतिक विवरण	12
8	तालिका 8– प्रमुख फसलें	12
9	तालिका 9– पशुधन विवरण	13
10	तालिका 10– अन्य अधोसंरचना विवरण व सेवांए	14
11	तालिका 11– कार्यालयों की जानकारी	14
12	तालिका 12– संपर्क	14
13	तालिका 13– स्कूल का विवरण	15
14	तालिका 14– सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र	15
15	तालिका 15– उद्योग	16
16	तालिका 16– उघोग और सेवाएं	16
17	तालिका 17– औद्योगिक विवरण	16
18	तालिका 18– बैंक	16
19	तालिका 19 – जिले में उचित मूल्य दुकान धारक	17
20	तालिका 20– सड़क नेटवर्क	17
21	तालिका 21 – ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र	19
22	तालिका 22– जिले में खान एवं खनिज की जानकारी	21
23	तालिका 23– पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन	27
24	तालिका 24– जोखिम प्रोफाइल	28
25	तालिका 25– जोखिम विश्लेषण	29
26	तालिका 26–संवेदनशीलता विश्लेषण	31
27	तालिका 27– वर्ष 2016–17 में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा	32
28	तालिका 28 – जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है	34
29	तालिका 29– जिले के नालें जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है	35
30	तालिका 30– जिले में नगर परिषद/नगर पालिका/नगर पंचायत में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड स्थान	35
31	तालिका 31– गांव के सुरक्षित चिन्हांकित स्थान है	36
32	तालिका 32– CYCLONE तूफान से प्रभावित गाव	36

33	तालिका 33– जिले में सड़क दुर्घटनाएं	37
34	तालिका 34– सुकमा जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण	38
35	तालिका 35– वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी	39
36	तालिका 36– तहसील स्तर पर आशंका वाले क्षेत्र और संवेदनशील गॉव	39
37	तालिका 37– आपदा प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय ढांचा	42
38	तालिका 38 :सुकमा आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत ढांचा	43
39	तलिका 39 – DDMA की संरचना	43
40	तालिका 40– आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति की संरचना	45
41	तालिका 41– शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति	45
42	तालिका 42– तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा	46
43	तालिका 43– ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	46
44	तालिका 44–जिला नियंत्रण केन्द्र	51
45	तालिका 45–आपदाओ का वार्षिक कैलेंडर	54–62

क्रं.	चित्र	पेज संख्या
1	चित्र 1– Disaster Management Cycle	2
2	चित्र 2– Location Map	8
3	चित्र 3– Political Map	8
4	चित्र 4– सुकमा जिले का रोड मैप	18
5	चित्र 5– सुकमा जिले का ऐतिहासिक मैप	20
6	चित्र 6–सुकमा जिले का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र मैप	33
7	चित्र 7–सुकमा जिले का भूकम्प ग्रस्त क्षेत्र मैप	40

क्रं.	लेखाचित्र	पेज संख्या
1	लेखाचित्र 1– वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा	11
2	लेखाचित्र 2– शबरी नदी द्वारा बाढ़ या जल प्रवेश से संवेदनशील गांव	34
3	लेखाचित्र 3– सड़क दुर्घटनाएं	38
4	लेखाचित्र 4– महामारियो की द्रष्टि से सवेदनशील गाँवों की संख्या	40

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1– जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रवाह चित्र	44
2	प्रवाह चित्र 2– घटना प्रत्युत्तर प्रणली	47
3	प्रवाह चित्र 3– आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा	52

परिचय

1. पृष्ठभूमि

आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, यह एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानव, भौतिक या पर्यावरणीय व्यापक हानि होती है। जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियां अपर्याप्त होती हैं अर्थात आशंकित विपत्ति का वास्तव में घटित होना आपदा है। मजबूत संचार, कुशल डेटाबेस, दस्तावेज और अभ्यास के साथ एक प्रभावी जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) सबसे कम संभव समय में सक्रिय होने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी स्तरों पर सरकार के साथ–साथ समुदाय की सक्रिय भागीदारी से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करता है। डीडीएमपी का लक्ष्य **सुकमा** जिले की क्षमता का विकास करना, आपदा व गैर-आपदा स्थितियों के दौरान जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

आपदाओं का वर्गीकरण

उत्पत्ति के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं को निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों के रूप में देखा जा सकता है :

- 1. **जलवायु सम्बन्धित**– बाढ,सूखा, चक्रवात, बादल का फटना,गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एंव बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बॉध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औधोगिक एवं परमाणु सम्बन्धित**– रासायनिक एवं औधोगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम, विस्फोट, वायु, सडक एवं रेल दुर्घटना,खान में बाढ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाऍ**– महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

1.1 जिला आपदा प्रबंधन योजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम **2005 (डीएम अधिनियम) की धारा 31 के अनुसार**, राज्य के हर जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) होगी। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से डीडीएमपी की तैयारी, कार्य, समीक्षा और अद्यतन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर आपदाओं की रोकथाम और शमन के लिए आवश्यक उपायों के नियोजन, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन की सतत और एकीकृत प्रक्रिया डीडीएमए में शामिल होंगे। डीडीएमपी के कुशल निष्पादन के लिए, चित्र 1 में दिखाए गए अनुसार चार चरणों में योजना आयोजित की गई है–

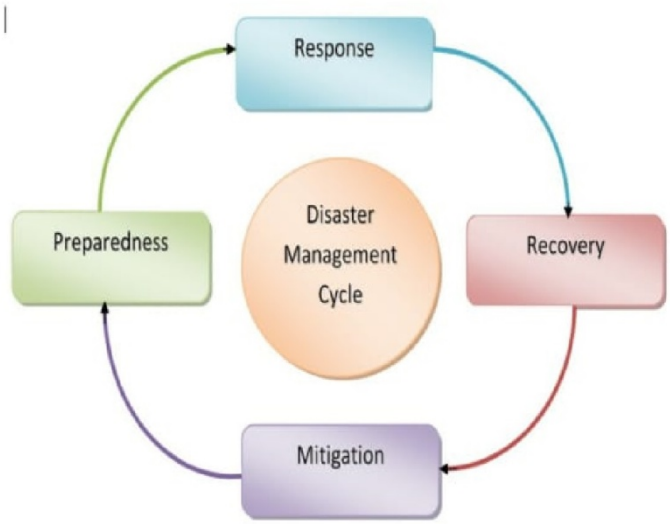

चित्र 1 Disaster Management Cycle

i. **Preparedness** :– आपदा से निपटने के लिए, जनसमुदाय को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन।

ii. **Mitigation** :– न्यूनीकरण से तात्पर्य संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों से आपदा के प्रभाव को कम करना।

iii. **Response** :– आपदा के समय राहत कार्यों का संचालन।

iv. **Recovery** :– आपदा के कारण प्रभावित जनजीवन की स्थिति में सुधार लाना।

1.2 योजना की आवश्यकता

सुकमा जिला विशेष रूप से बाढ़, सूखा, भगदड़ और महामारी जैसे खतरों से कमजोर है। जिले में इन संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए जो जीवन, आजीविका और संपत्ति हानि को बढ़ाता है, उन्हें कम करने के लिये एक ऐसी योजना विकसित करने को महत्वपूर्ण समझा गया जो आपदाओं के प्रति जिला की प्रतिक्रिया में सुधार करता है तथा आपदा जोखिमों को कम करने और तैयार योजना को लागू करके समुदाय की क्षमता में वृद्धि करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य :–

i. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।

ii. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका उपयोग प्रशासन की क्षमता बढ़ाने के लिए करना।

iii. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना ।

iv. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

v. आपदा के समय विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वन करना।

vi. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान देते हुए अन्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है, ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

(क) प्रतिक्रिया कार्यों का सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्राोतों की सूची तैयार करना।

(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 योजना का क्षेत्र :–

सरकार, उद्योग और कृषि पर आपदा के प्रभाव को देखते हुए किसी भी जिले के लिए आपातकालीन योजना प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना का दायरा व्यापक होगा जो की निम्नलिखित है :–

- जिलो में खतरों के प्रति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र,
- विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां,
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों जैसे रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया (निकासी और अस्थायी आश्रय सहित) से संबंधित उपायों का सुझाव दें। यह आकस्मिक योजना जन एवं संपत्ति हानि को कम करने में मददगार होता है।

1.5 प्राधिकरण और संदर्भ

जिला और सहायक योजनाओं की आवश्यकता **डीएम अधिनियम 2005** के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अधिनियम के अनुसार आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जिला कलेक्टर, अन्य पार्टियों से सहायता लेने हेतु अधिकृत है। जिला कलेक्टर और सरकारी प्राधिकरण, एसडीएमए, राहत आयुक्त (सीओआर), और अन्य सार्वजनिक, निजी पार्टियों के समर्थन के साथ जिले में आपदाओं और जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। कलेक्टर और अन्य पार्टियों की भूमिका, जिम्मेदारियां और दायित्व अधिनियम में विस्तार से निर्धारित किए गए हैं।

1.6 योजना विकास

योजना बनाने में शामिल विभिन्न कदमः

i. डेटा संग्रह और योजना – सभी लाइन विभागों से डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण (खतरे की पहचान और समझ, जिले में जोखिम का आकलन) और एक योजना टीम का गठन।
ii. विकास – सभी लाइन विभागों की आवश्यकताओं और विकास की विश्लेषण तथा जरूरत एवं संसाधनों की पहचान करना।
iii. तैयारी – योजना की तैयारी, समीक्षा, अनुमोदन और प्रसार।
iv. कार्यान्वयन और रखरखाव – योजना का कार्यान्वयन, मूल्यांकन, समीक्षा और अद्यतन।

1.7 हित धारक एवं जिम्मेदारियां –

राज्यस्तर – राज्यस्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम है। सभी राज्य शासन के मुख्य लाइन विभाग एवं आपतकालीन सहायता कार्य संचालन करने वाली ऐजेंसी, आपदा के समय राज्य आपतकालीन ई.ओ.सी. से सहायता प्रदान करती है।

जिलास्तर – जिलास्तर पर आपदा और निपटने के लिए एवं जन समूदाय को सूरक्षित रखने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वर्पूण संस्था है। जिला कलेक्टर प्राधिकरण का अध्यक्ष होते है जो आपदा के समय जिलास्तर के विभिन्न विभागों को आपदा से निपटने के लिए निर्देशित कर सकते है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन तैयारी ,प्रशिक्षण, में समूदाय एवं गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

1.8 योजना का अनुमोदन तंत्र –

अधिसूचना संख्या एफ 8(4) डीएम एण्ड आर/डीएम/023 दिनांक 06.09.2007 के तहत सभी जिलों के लिए डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन । डीडीएमए के तहत जिला स्तर पर सभी विभागों द्वारा रोकथाम, शमन एवं रेस्पोंस संबंधी एनडीएमए/एसडीएमए/एसईसी के दिशा–निदेर्शो का अनुपालन सुनिश्चित करना भी इसका दायित्व होगा ।

1.9 सुकमा
एक संक्षिप्त परिचय

सुकमा जिला मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों में से एक है। यह 26 जनवरी 2012 को अपने अस्तित्व में आया है। यह पूर्व दन्तेवाड़ा का भाग हुआ करता था ,इस जिले का कुल क्षेत्रफल 5635.79 वर्ग कि.मी है और सन् 2011 की जनगणना के अनुसार यहा की कुल जनसंख्या 250159 है। सुकमा इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। सुकमा कोंटा छिंदगढ़ तहसीलों में विभाजित है

जिले का नाम सुकमा		
	प्रशासनिक इकाई	**नाम व संख्या**
1	तहसील का नाम	सुकमा, कोण्टा, छिन्दगढ़ (03)
2	शहरों की संख्या	3
3	गांवों की संख्या	393
4	राजस्व इंस्पेक्टर सर्कल	10
5	पटवारी सर्कल	84
6	पुलिस स्टेशन / चौकियों की संख्या	18
7	नगर निगम	0
8	नगर पालिका	1
9	नगर पंचायत	2
10	जनपद पंचायत के नाम	3
11	ग्राम पंचायत	146
12	कृषि उपज मंडी	1

क्र	तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल किलो मीटर में	गंवों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	जनपद पंचायत की संख्या	नगर पंचायत की संख्या
1.	छिंदगढ	848.71	73	43	1	1
2.	सुकमा	966.49	86	32	1	1
3.	कोंटा	3820.59	234	57	2	1

तालिका 1: जिले का संक्षिप्त परिचय

भौगोलिक स्थिति –

सुकमा छत्तीसगढ राज्य के बस्तर पठार पर दक्षिण में स्थित है। प्रकृतिक संसाधनों से संपन्न जिला है यहां पर बाहूताय रूप से आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते है। गोंड़, मुरिया, दोरला, हलबा, इत्यादि निवास करते है, इस जिले में तिन तहसीलें है इस जिले की सीमा मलकानगिरी जिला (उड़ीसा) एवं दक्षिण में गोदावरी जिला (आँध्रप्रदेश) को मिलती है।

सुकमा जिले का भौगोलिक धरातल छोटी–छोटी पहाड़ियों मैदानों एवं विस्तृत पठारों से बना है। यह जिला समुद्र तल से 197 मीटर उंचा है। जिले की प्रमुख नदियां शबरी, मलगेर, फुल नदी जिले को तिन छाटे बड़े भागों में विभाजित करती है।

	भैगौलिक विवरण	
1	भैगौलिक क्षेत्र (हे0)	5635.79 वर्ग कि.मी.
2	समुद्र तल से ऊंचाई (मी0)	–
3	प्रमुख प्राकृतिक भूगोल खंड (समतल/पर्वतीय/अन्य क्षेत्र)	पठारी
4	अन्य राज्यों से सीमावर्ती क्षेत्र	उड़िसा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश
5	नदियां एवं प्रमुख जल सारणियां	शबरी, मलगेर, फुल नदी
6	जलाशय	लघु
	नोट :– सिंचाई में उपयोग आने वाले जलाशय का विवरण दें।	
	कुल	18 विवरण संलग्न है।
7	पेयजल (नलकूप एंव कुओं की संख्या)	636
8	नहर	45
9	पर्वत	
10	मिट्टी के प्रकार (लाल, कंकर काली मिटटी–कन्हार, मटासी, भाटाधटिकरा, पली मिटटी अन्य)	मटासी, भाटा, टिकरा
11	कुल वन क्षेत्र (हे0)	141659 हे0
12	हरा पट्टा	–
13	वृक्ष अच्छादित क्षेत्र/tree covered area (हे0)	–

तालिका 2: भौगोलिक स्थिति

चित्र 2 Location Map of District Sukma

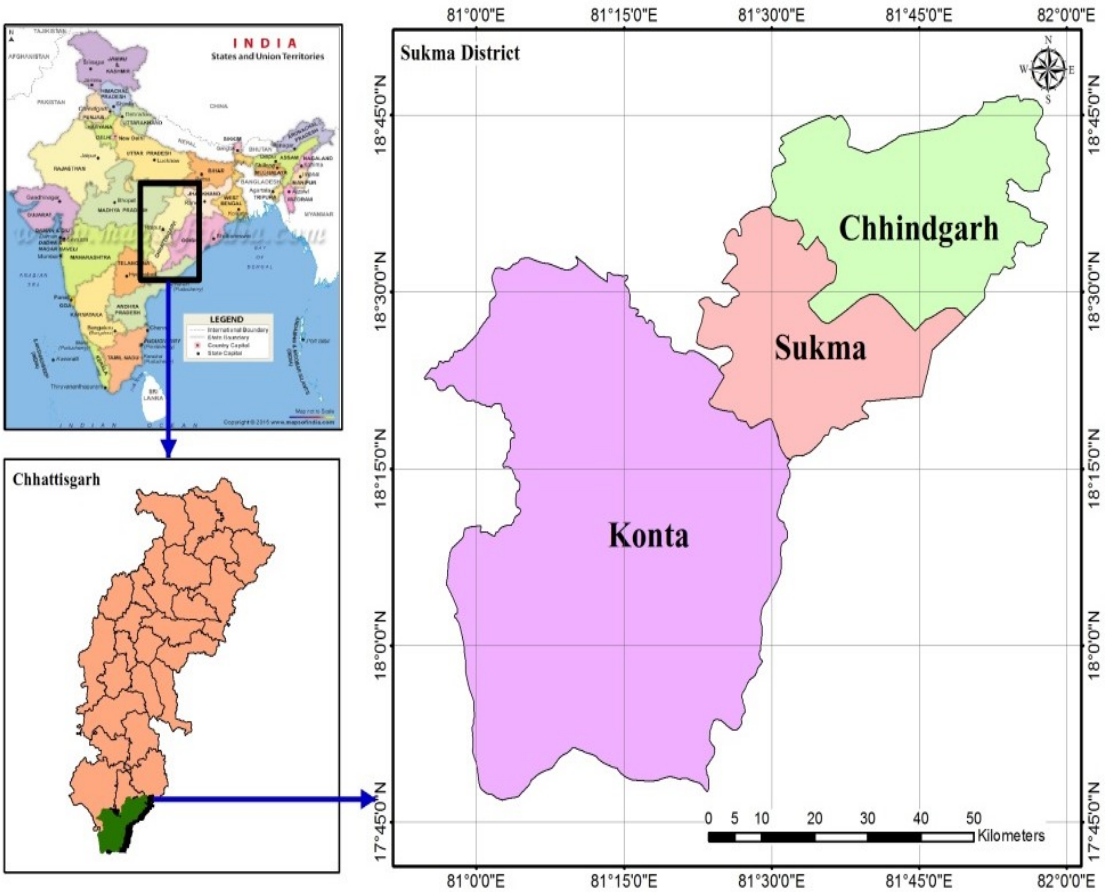

चित्र 3: Political Map of District Sukma

भौतिक स्वरूप –

क्षेत्रफल –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 5635.79 वर्ग कि.मी. है। जिले की जनसंख्या 250159 है तथा जनसंख्या घनत्व 39 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) –

जिले की मिट्टी सामान्यतः काली है। परन्तु मटासी, भाटा, टिकरा मिट्टी भी पाई जाती है।

जनसांख्यिकीय - विवरण

सुकमा घनी आबादी वाले जिलों में से एक है जो राज्य की कुल आबादी का 1.00% है। जिले की कुल जनसंख्या लगभग 250159 लाख है, जिनमें से 28202 शहरी एवं 221957 ग्रामीण हैं। इस जिले में विभिन्न जनजातीय समुदाय रहते हैं। जिले में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और छत्तीसगढ़ी हल्बी, गोंडी, भथरा, ध्रुवा दोरली हिन्दी हैं। साक्षरता दर 34.81% है। जिले की दशक वृद्धि दर 8ण्16 % है। किसानों द्वारा खेती की जाने वाली मुख्य फसल धान है।

	जनसांख्यिकी विवरण	
1	कुल जनसंख्या	250159
	अनुसूचित जाति	2776
	अनुसूचित जनजाति	208797
	कुल ग्रामीण जनसंख्या	221957
	पुरूष	108937
	महिलाएं	113020
	कुल शहरी जनसंख्या	28202
	पुरूष	15111
	महिलाएं	13091
	कुल बच्चों की संख्या (0–6 वर्ष)	36259
	पुरूष	18157
	महिलाएं	18102
2	जनसंख्या घनत्व	44
3	दशक वृध्दि दर	8.16
4	**लिंग अनुपात** (No. females per 1,000 males)	1017

	ग्रामीण	1037
	शहरी	866
	बच्चे (0–6 वर्ष)	997
4	साक्षरता दर	34.813%
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष साक्षर	44.062%
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला साक्षर	25.744%
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षर	29.69%
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी साक्षर	74.48%
5	Crude Birth Rate (Per 1000 population)/अशोधित जन्म दर	14.43%
6	Crude Death Rate (Per 1000 population)/अशोधित मृत्यु दर	6.60:%
7	Infant Mortality Rate (Per 1000 live birth)/शिशु मृत्यु दर	1.59:%
8	Maternal Mortality Rate (Per 1000 live birth)/मातृ मृत्यु दर	79.64:%
9	Natural Growth Rate (Per 1000 population)/सामान्य विकास दर	14.43%:

तालिका 3: जनसांख्यिकी विवरण

वर्षा –

जिले में औसत वर्षा 1400 मी.मीटर होती है किन्तु यह सामान्यतः उत्तर–पूर्व दक्षिण–पश्चिम की ओर कम होती है। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 95 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीनें में होती है। जनवरी एवं फरवरी माह में यदा–कदा वर्षा होती है।

वर्षा											
क्र.	**तहसील**	**सामान्य वर्षा**	**वर्ष 2009**	**वर्ष 2010**	**वर्ष 2011**	**वर्ष 2012**	**वर्ष 2013**	**वर्ष 2014**	**वर्ष 2015**	**वर्ष 2016**	**वर्ष 2017**
1	सुकमा	**1813.7**	**1121.0**	**1761.2**	**1320.5**	**2302.8**	**2406.6**	**1971.4**	**2117.5**	**1659.5**	**2450.5**
2	छिन्दगढ़	**1450.6**	**0.0**	**1993.8**	**1539.4**	**2072.0**	**2227.5**	**1635.0**	**1602.0**	**1661.2**	**1775.0**
3	कोण्टा	**1412.9**	**626.8**	**1765.9**	**945.0**	**2498.9**	**1559.2**	**1175.0**	**1361.4**	**1248.4**	**1581.4**
औसत (पिछले 10 वर्षों के औसत वर्षा के आधार पर)		**1559.1**	**582.6**	**1840.3**	**1268.3**	**2291.2**	**2064.4**	**1593.8**	**1693.6**	**1523.0**	**1935.6**

तालिका 4 : वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा

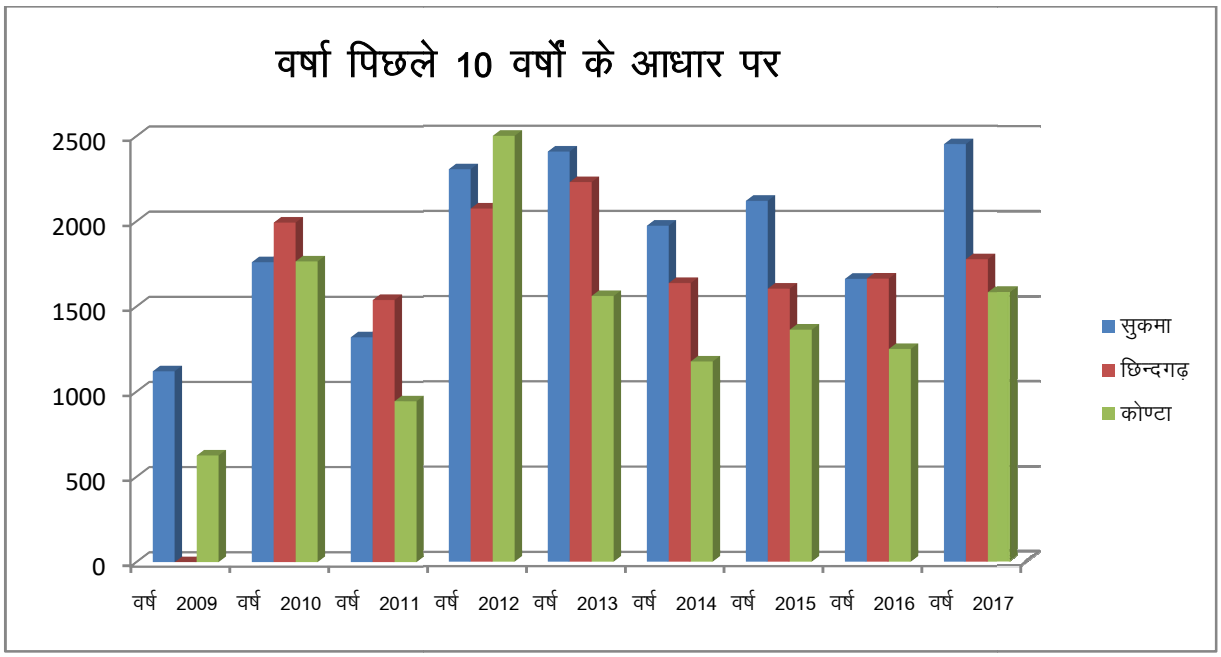

लेखाचित्र 1: वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा

	जल संसाधन	
	सिंचाई क्षमता	12879.00 हे0
	शासकीय	0
	निजी	12879.00 हे0

तालिका 5 : जलाशय

नदियां, बॉध, तालाब –

नदियां – शबरी, मलगेर, फुलनदी

झीले व **तालाब** जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है। परन्तु छोटे–छोटे निर्मित तालाब है।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति –

	आर्थिक विवरण		
1	मुख्य व्यवसाय	संख्या	
	कृषि	लघु एवं सीमांत कृषक	अन्य बड़े कृषक
		23170	13098
	औद्यौगिक कर्मी (Industries workers)		
	उद्योग (Business)	कृषि, व्यवसाय	

तालिका 6 : आर्थिक विवरण

1	**सांस्कृतिक विवरण**	
	भाषा / बोली	हल्बी, गोंडी, भथरा, धुवा दोरली हिन्दी
	पहनावा	साड़ी, धोती कुरता
	खाना	दाल भात
	बाजार (दैनिक / साप्ताहिक / अन्य)	सुकमा, केरलापाल, बुड़दी, गादीरास, पाकेला छिन्दगढ़, तोंगपाल, इंजरम कोण्टा, पुसपाल बड़ेसट्टी कुकानार,
	उत्सव एवं त्यौहार (मुख्य उत्सव का संक्षिप्त विवरण)	बीज पंडुम, आम पंडुम , मेला, मंडई, दीवाली, होली,

तालिका 7: सांस्कृतिक विवरण

प्रमुख फसलें –

जिले में रबी की फसलें प्रमुख हैं एवं साथ में खरीफ एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती है।

रबी – जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, धनिया, मुगं, उडतः।

खरीफ – मक्का, ज्वार, मूंगफली, तिल, मोठ।

इसके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक द्रष्टि से फल और सब्जियां भी बोई जाती है। मुगं,उडद, अमरूद पपीता, नीबू और आम के पेड़ अमतौर पर पाये जाते। फल और सब्जियां जैसे तरबूज खरबूज, ककड़ी बैंगन, प्याज, आलू आदि की पैदावार की जाती है। फल में संतरा प्रचुर मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किये जाते है।

कृषि	**उत्पादन / मात्रा : वार्षिक**
खाद्यान उत्पादकता (Food Grains)	
चावल	1284 कि.
मक्का	1640 क्विं
दाल उत्पादकता	–
अरहर	660 कि.
उडद दाल	899 कि.
मूंग दाल	929 कि.

तालिका 8: प्रमुख फसलें

पशुधन विवरण –

1	**पशुपालन**		
	कुल पशुओं की संख्या	**दुधारू पशु**	**सूखे पशु**
	गाय	32679	53085
	भैंस	5029	9207
	भेड़	751	624
	बकरी	19563	12457
	घोड़े	0	0
	गधे	0	0
	सूअर	0	0
	दुग्ध उत्पादन	3428184 लीटर	
	मछली उत्पादन	7	
	मुर्गी पालन केंद्र	निरंक	

तालिका 9: पशुधन विवरण

अघोसंरचना संरचना–

जिला प्राकृतिक संशाधनो से परिपूर्ण है स्वास्थ शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। जिले जिले की अधिकांश आबादी का गावो में कच्चे घरो में निवास करती है, जिले में शिक्षा के लिए स्कूल, आश्रम छात्रावास, पोटा केबिन संचालित हो रहे है। स्वास्थ सेवाओं के लिए जिले में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रो के साथ साथ प्राथमिक स्वस्थ केंद्र भी संचालित हो रहे है।

जिले की अधोसंरचना की जानकारी इस प्रकार है।

1	**अद्योसंरचना संरचना**	
	शैक्षणिक	
	स्कूलों की संख्या	1053
	प्राइमरी स्कूल	769
	हाई स्कूल	34
	हायर सेकेंडरी स्कूल	26

	आंगनबाडी	940
	इंस्टिट्यूट–कॉलेज	महाविद्यालय 02, पॉलीटेक्निक 01, आइ.टी.आई. 03, लाईवलीहुड कालेज 01
	अन्य ढांचे	(संख्या)
	बांध	1
	उद्यान	02 (ढोंढरा, सुकमा)
	खुले मैदान	(हे0)
	कार्यालयों की संख्या	67
	गोदाम	3
	बस स्टैंड	4 (सुकमा, कोण्टा, दोरनापाल, छिन्दगढ़)
	कुल सड़क की लंबाई	448.25 किमी
	ग्रामीण	108.55 किमी
	शहरी	339.07 किमी
	हेलिपैड	1

तालिका 10: अन्य अधोसंरचना विवरण व सेवांए

कार्यालयों की जानकारी	(संख्या)
शासकीय	67
अर्धशासकीय	6
सिविल सोसाइटी / NGO	02 (शिक्षार्थ, ग्रामीण आदिवासी समाजिक विकास संस्थान DDRC)

तालिका 11: कार्यालयों की जानकारी

संपर्क		
क.	संचार	संख्या
1	डाकघर	1
2	टेलीफोन केंन्द्र	2
कुल		3

तालिका 12: संपर्क

शिक्षा –

शिक्षा के क्षेत्र में **सुकमा** जिला पिछड़ा हुआ है । जिसका मुख्य कारण जनमानस की शिक्षा के प्रति उदासिनता, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जनमानस में जागरूकता लायी जाये

जिले में स्कूलों की संख्या 1053 है, जिसका कुल साक्षरता दर 34.81 प्रतिशत है । जिसमें पुरूष साक्षरता दर 44.41 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 25.14 प्रतिशत है ।

जिले में उच्च शिक्षा के लिये पालिटेक्निक महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लाईवलीहुड विद्यालय, महाविद्यालय है साथ दिव्यांग बचो की शिक्षा के लिय आकार संस्था जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है ।

स्कूल –

स्कूल					
स्कूल का विवरण		**तहसील का नाम**			
		सुकमा	कोण्टा	छिन्दगढ़	योग
1	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	183	291	295	769
2	माध्यमिक स्कूलों की संख्या	67	65	92	224
3	हाई स्कूलों की संख्या	13	9	12	34
4	उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या	12	8	6	26
5	ग्रामीण स्कूलों की संख्या	242	348	405	995
6	शहरी स्कूलों की संख्या	33	25	0	58
7	जोखिम संभावित स्कूलों की संख्या	109	164	65	338

तालिका 13: स्कूल का विवरण

स्वास्थ्य –

सुकमा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की द्रष्टि से देखा जाये तो मुख्यतः 1 जिला चिकित्सालय है। 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, 87 उप स्वास्थ्य केन्द्र है एवं 8 एम्बुलेंस है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र –

सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र			
क.	**अस्पताल के प्रकार**	**संख्या**	**बेड की संख्या/क्षमता**
1	एलोपैथिक अस्पताल	01 जिला चिकित्सालय, 02 सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र	160
2	आयुर्वेदिक अस्पताल	2	50
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	16	96
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र	95	150
5	एम्बूलेंस की संख्या	26	0

तालिका 14: सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र

उद्योग –

उद्योग			
क्र.	**उद्योग के प्रकार**	**संख्या**	**खतरें**
1	राइस मिल व अन्य	93	नहीं

तालिका 15: उद्योग

उघोग और सेवाएं		
क.	**शीर्ष**	**संख्या**
1	पंजीकृत उघोगों की संख्या	93
2	कुल उघोगों की संख्या	93
3	कर्मचारियों की संख्या	840

तालिका 16: उघोग और सेवाएं

औद्योगिक विवरण				
क.	लघु	मध्यम्	वृह्द	रिमार्क
1				
	92	0	1	ESSAR INDUSTRIES
कुल	92		1	

तालिका 17: औद्योगिक विवरण

बैंक-

बैंक		
क.	बैंक की श्रेणी	बैकों की संख्या
1	वाणिज्यिक बैंक	6
2	ग्रामीण बैंक	7
3	सहकारी बैंक	2
4	प्राथमिक भूमि विकास बैंक शाखाएं	0
कुल		15

तालिका 18: बैंक

जिले में उचित मूल्य दुकान धारक

जिले में उचित मूल्य दुकान धारक		
क्र.	तहसील	उचित मूल्य की दुकान की संख्या
1	छिंदगढ	60
2	सुकमा	35
3	कोंटा	57
कुल		152

तालिका 19 : जिले में उचित मूल्य दुकान धारक

संचार एवं यातायात –

वर्तमान में सुकमा जिला मुख्यालय सीधे ही सड़क मार्ग से जूड़ा है। मुख्यालय का निकटतम रेलवे जगदलपुर स्टेशन सिटी है। जिले में वर्तमान में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं है, परन्तु जिले में से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 30 सुकमा से होकर गुजरता है। वर्तमान समय में जिला सुकमा मुख्यालय से रायपुर और हैदराबाद के लिए बस संचालित होती है राज्य की राजधानी रायपुर की दूरी यहा से 450 कि.मी. है।

सडक नेटवर्क

मार्च 201

8 तक पीडब्ल्यूडी के तहत सडक की लम्बाई

क्र.	सडक का प्रकार	कुल लंबाई (7+10)	सतह पर				अन्सेर्फबल		
			16	बीटी	सीसी	कुल(4+5+6)	यातायात के योग	यातायात के योग्य नहीं	कुल (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय हाईवे	170.6	0	92.8	77.8	170.6	170.6	0	170.6
2	राज्यराजमार्ग	164.6	97	56	0	153	0	0	0
3	अन्य पीडब्ल्यूडी सडके	108.55	46.3	38.85	0	85.15	0	0	0
4	प्रमुख जिला सडके	175.1	93.8	47.3	0	141.1	141.1	0	141.1
कुल		618.85	237.1	234.95	77.8	549.85	311	0	311.7

तालिका 20: सड़क नेटवर्क

Road map of District- Sukma

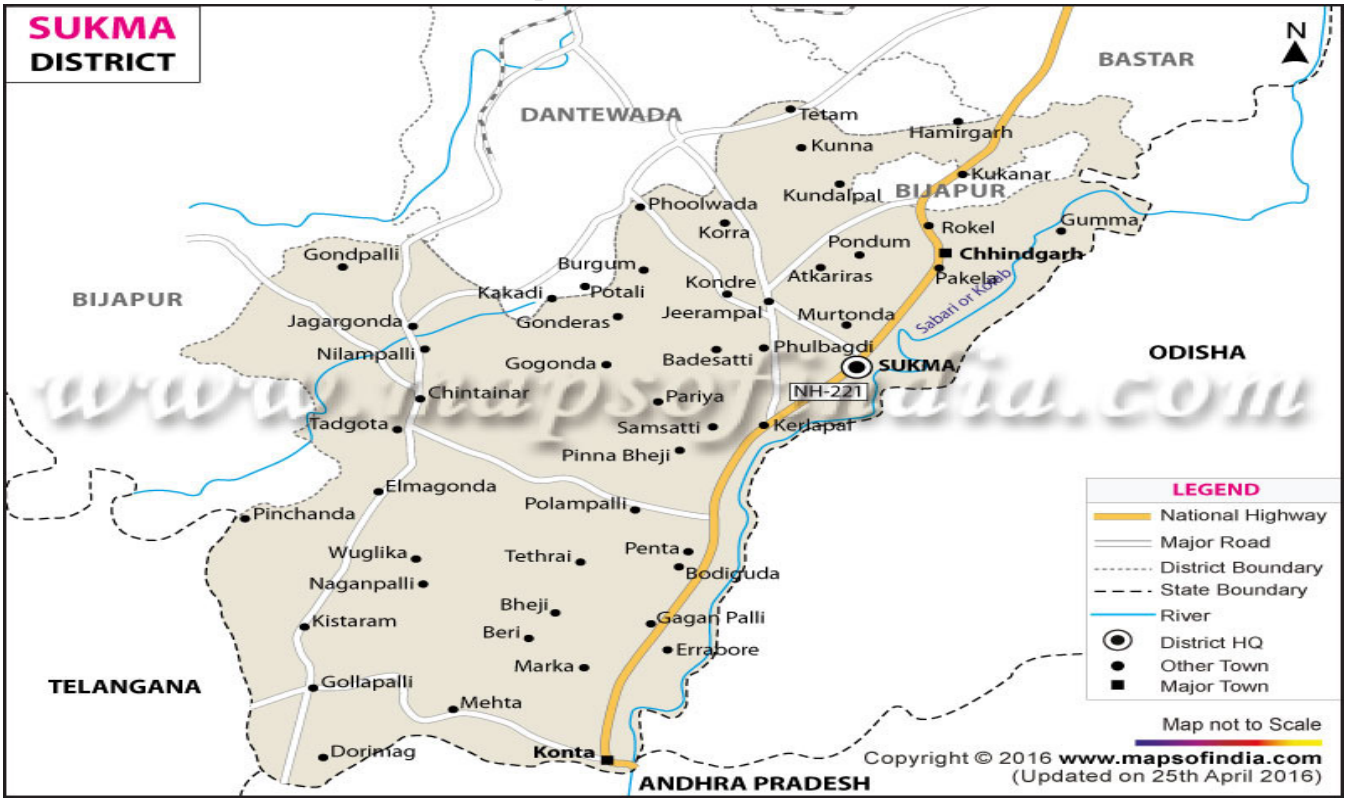

चित्र 4: सुकमा जिले का रोड मैप

मुख्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र –

सुकमा यह क्षेत्र मुख्य रूप से वनांआच्छादित है। यहां पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक जैसे ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, देखने को मिलती है। प्रत्येक वर्ष रामायण काल के प्रसिद्ध मंदिर रामाराम चिट्मिटीन माता मंदिर में मेला आयोजित होता है। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण आदिवासी लोग आते हैं। इस क्षेत्र में दुरमा जलप्रपात एवं शिवमंदिर (छिंदगढ) है। शबरी नदी इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जहां प्रत्येक वर्ष भद्रकाली गांव में मेला आयोजित होता है, इसके अलावा प्रसिद्ध शिव मंदिर तेलावर्ती सुकमा जिला मुख्यालय से 05 कि.मी. दूरी पर दक्षिणपूर्व दिशा में शबरी नदी के बीच टापू में स्थित है यहां प्राचीन पुरातात्विक शिवलिंग है। जहां प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन उड़ीस प्रांत के एवं सुकमा जिला के दर्शनार्थी प्रति वर्ष आते है।

ऐतिहासिक औार सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र –

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र			
क.	स्थान/साइटें/स्मारक	विवरण	खतरा ओर जोखिम
1	तेलावर्ती	तेलावर्ती सुकमा जिला मुख्यालय से 05 कि.मी. दूरी पर दक्षिणपूर्व दिशा में शबरी नदी के बीच टापू में स्थित है यहां प्राचीन पुरातात्विक शिवलिंग है। जहां प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन उड़ीस प्रांत के एवं सुकमा जिला के दर्शनार्थी प्रति वर्ष आते है।	बाढ़
2	रामाराम चिट्मिटीन माता मंदिर	रामाराम मंदिर गोंड दोरला आदिवासी का ईष्ट देव है। माता का मंदिर प्राचीन समय से स्थित है। प्रतिवेर्ष फरवरी माह मं मेला लगता है इस मेले में हजारो की संख्या में आदिवासी अपने ईष्ट के दर्शन में आते हें।	अग्नि दुर्घटना,बम्ब बलास्ट,भगदड
3	हमीरगढ़	हमीरगढ़ मावली माता का पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल है हमीरगढ़ परगना के अंतर्गत आने वाले गांव के लोग मावली माता के दर्शन हेतु आते है।	बाढ के समय लोगों को डूबने का खतरा
4	दुरमा जलप्रपात एवं शिवमंदिर	दुरमा नदी दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने से वर्षा ऋत में चट्टानों के बीच से गुजरते हुए पानी छोटा जलप्रपात का निर्माण करती है। जो प्रकृति प्रेमियो को अपनी ओर आकर्षित करती है। सोनाकुकानार मावली माता ऐतिहासिक एव सांस्कृतिक महत्व का स्थल है। आदिवासी समुदाय का ईष्ट देवी है।	बम्ब बलास्ट,भगदड बाढ के समय लोगों को डूबने का खतरा
5	सोनाकुकानार	तेलावर्ती सुकमा जिला मुख्यालय से 05 कि.मी. दूरी पर दक्षिणपूर्व दिशा में शबरी नदी के बीच टापू में स्थित है यहां प्राचीन पुरातात्विक शिवलिंग है। जहां प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन उड़ीस प्रांत के एवं सुकमा जिला के दर्शनार्थी प्रति वर्ष आते है।	अग्नि दुर्घटना,बम्ब बलास्ट,भगदड

तालिका 21 : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र

Historical map of District- Sukma

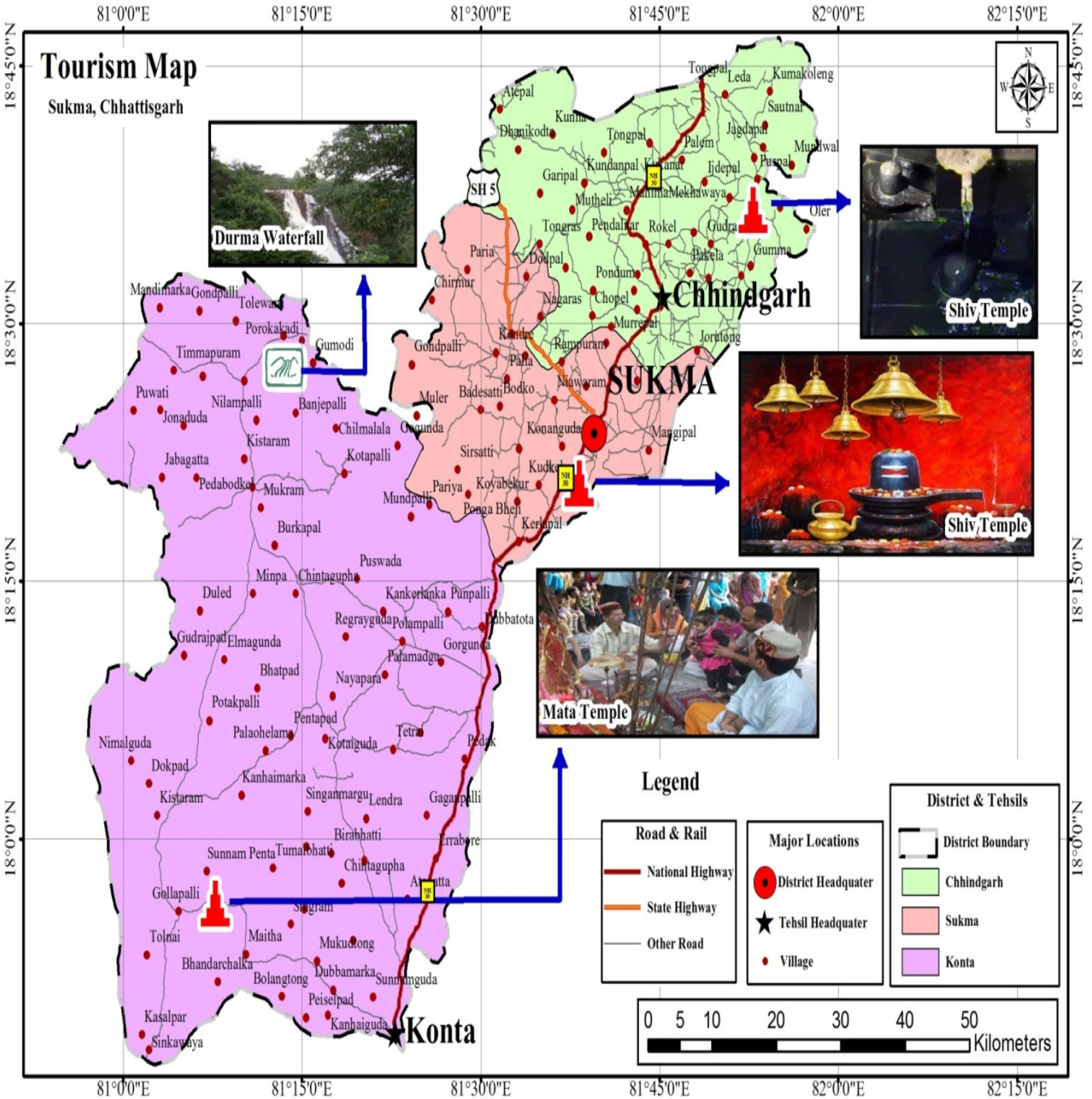

चित्र 5 सुकमा जिले का ऐतिहासिक मैप

खनिज—

खनिज संशाधनो की द्रष्टि से देखा जाये तो जिला सुकमा में पत्थर मुरम गिट्टी की खदाने मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा यहा पर टीन भी बहुताय मात्रा में पाया जाता हैं। किन्तु वर्तमान समय में यहा कोई बड़ी खदान संचालित नही होती हैं।

जिले में खान एवं खनिज की जानकारी						
क्र.	**खान व खनिज के नाम**	**उत्पादन (टन में)**	**क्षेत्र जहॉ पाया जाता है**	**पंजीकृत कर्मचारीयों की संख्या**	**शासकीय/निजी**	**Onsite/off site plan**
1	लौह आयस्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	गोल्ड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	टिन	408.89	किकिरपाल, कुमाकोलेंग चिंतलनार	निरंक	शासकीय	निरंक
4	फ्लोराइट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	डोलोमाइट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	डॉक्साइट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7	लाइमस्टोन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8	ब्लैक स्टोन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9	ग्रेनाइट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10	अन्य	2400	रामाराम, इंजरम	निरंक	शासकीय	निरंक

तालिका 22: जिले में खान एवं खनिज की जानकारी

अध्याय – 2

जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने मे कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि से सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं ,बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एंव शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम,उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रो, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

प्राकृतिक आपदायें –

वे आपदाएं जो प्राकृतिक रूप से घटित होती है जिनसे आर्थिक हानि के साथ–साथ मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं में मुख्य रूप से बाढ़, भूकंप, सुखा, ज्वालामुखी, जंगल की आग, सुनामी, भू–स्खलन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

मानवीय आपदायें –

आपदायें जो मानवीय जनित कारणों से घटित होती है, मानवीय आपदायें कहलाती है इनमें मुख्य रूप से औद्योगिक दुर्घटना, जहरीली गैस का रिसाव, युद्ध इत्यादि।

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard (H)} \times \text{Vulnerability (V)} \times \text{E}}{\text{Capacity to Cope (C)}}$$

Hazard (खतरा) – खतरा ऐसी स्थिति है जहां जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण या संपत्ति के नुकसान की आशंका होती है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना हो सकती हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता है। यह राज्य व जिले में जीवन एवं संपत्ति का भारी नुकसान करता है।

Vulnerability (भेद्यता) – खतरे वाले इलाकों या आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए उनकी प्रकृति, निर्माण और निकटता के कारण, किस हद तक एक समुदाय, संरचना, सेवा या भौगोलिक क्षेत्र को विशेष खतरे के प्रभाव से क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना है।

Risk (जोखिम) – खतरे की घटना होने पर जोखिम किसी समुदाय का अपेक्षित नुकसान होता है। इसमें जीवन की हानि, व्यक्तियों को चोट, संपत्ति का नुकसान और/या आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में व्यवधान शामिल हो सकता है।

Capacity(क्षमता) – प्रतिकूल स्थिति, जोखिम या आपदा का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध कौशल और संसाधनों का उपयोग करके लोगों की योग्यता, संगठन और प्रणालियों की योग्यता बढ़ाना ही क्षमता है। किसी स्थिति से सामना करने के लिए सामान्य समय के साथ–साथ आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान लगातार जागरूकता, संसाधनों का प्रबंधन क्षमता के विकास के लिए आवश्यक होती है।

Exposure (अनावृत्ति) – खतरनाक क्षेत्रों में स्थित लोगों, संपत्ति, बुनयादी ढांचे, आवास, उत्पादन क्षमताएं, आजीविका, प्रणालियां व अन्य तत्वों की मौजूदगी और संख्या को एक्सपोजर के रूप में जाना जाता हैं।

2.1 संभावित आपदाओं की पहचान –

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- **जलवायु सम्बन्धित**
- **भूगर्भ सम्बन्धित**
- **रसायनिक, औधोगिक एवं परमाणु सम्बन्धित**
- **दुर्घटना सम्बन्धित**
- **जेविक आपदाए**

सुकमा जिले की आपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर बैठक में जिले मे होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्याशाला में जिले में संभावित 12 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य सात आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

2.1.1 सात मुख्य आपदाएँ निम्न है–

1. सूखा
2. बाढ
3. भूकम्प
4. दुर्घटना
5. आग
6. मौसमी बीमारियां
7. नक्सलवाद

अन्य 5 आपदाएं साम्प्रदायिक दंगे,ओलाबृष्टि, बांध टूटना, (लू) व शीतघात है, इसके अलावा **छतीसगढ़ नक्सल** समस्या से प्रभावित है।

2.2 आपदाओं का इतिहास –

सुकमा जिला यधपि राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में से है,परन्तु विगत कुछ वर्षों में जिले में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, अन्य आपदाएं जैसे – पशु संघर्ष, महामारी, सड़क दुर्घटनाएं, बिजली और तूफान आपदाएँ घटित हुई है। जिले में हुई विभिन्न आपदाओं का इतिहास निम्नानुसार है।

पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाएं

क्र.	आपदा	घटना वर्ष	घटना स्थल	जन हानि									पशु हानि			संपत्ति हानि	फसल क्षति (हे0)	
				मृतक			घायल			लापता								
			तहसील	पुरूष	महिला	बच्चे	पुरूष	महिला	बच्चे	पुरूष	महिला	बच्चे	मृतक	घायल	लापता		सिंचित	असिंचित
		2008		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009		4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		2010		5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		2011		7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012		3	1	2	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
		2013		9	6	5	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
		2014		3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015	सुकमा	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016	कोंटा	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बाढ़	2017	छिंदगड	1	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012	कोंटा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सुखा	2013	छिंदगड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20310
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0
		2012		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0
		2014		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
		2015	सुकमा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0
		2016	कोंटा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
	आग	2017	छिंदगड	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0
		2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0
		2009		0	0	1	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
		2010		3	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
		2011		1	1	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0
		2012		4	1	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
		2015	सुकमा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0
		2016	कोंटा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
	आकाशीय बिजली	2017	छिंदगड	0	0	4	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
		2008	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009	कोंटा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	छिंदगड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	लू	2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008		9	1	3	1	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0
		2009		17	2	4	1	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
		2010		10	2	3	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
		2011		6	4	2	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0
		2012		15	6	6	1	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
		2013		22	9	9	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0
		2014		13	3	3	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0
		2015	सुकमा	18	4	4	4	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0
	सर्प दंश/	2016	कोंटा	5	6	1	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0
	बिछु /	2017	छिंदगड	14	5	3	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0
	मधुमखी/ गुहेरा दंश	2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cyclone	2012	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0

तालिका 23: पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

2.3 जोखिम प्रोफाइल –

सुकमा में पहचाने गए प्रत्येक जोखिम के लिए एक जोखिम प्रोफाइल विकसित की गई है। एक जोखिम प्रोफाइल में खतरे के बारे में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

1. घटना की आवृत्ति – कितनी बार होने की संभावना है।
2. तीव्रता और संभावित तीव्रता – यह कितना बुरा हो सकता है।
3. स्थान – जहां उत्पन्न होने कि संभावना है।
4. अवधि – यह कितनी देर तक रह सकती है।

मौसमी पैटर्न – वर्ष का वह समय जिसके दौरान यह होने की संभावना अधिक होती है।

शुरुआत की गति – कितनी तेजी से होने की संभावना है।

जोखिम	संभावित आवृत्ति (समुदाय % जो प्रभावित हो सकता है)	घटना की आवृत्ति	प्रभावित होने की संभावना	सबसे संभावित अवधि	वर्ष का संभावित समय	शुरुआत की संभावित गति (चेतावनी समय की संभावित अवधि)
बाढ़	सीमित	संभाव्य	सुकमा	1–3 सप्ताह	जून – सितंबर	24 घंटे से अधिक
सूखा	गंभीर	बहुधा	पूरा जिला	1–3 महीने	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
आग	गंभीर	बहुधा	पूरा जिला	कुछ घंटों का समय	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
महामारी	सीमित	बहुधा	पूरा जिला	कुछ दिन	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
सड़क दुर्घटनाएं	सीमित	बहुधा	पूरा जिला	कुछ सेकंड	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं

तालिका 24: जोखिम प्रोफाइल

नोटः संभावित परिमाण 1. आपदाजनकः 50% से अधिक। 2. गंभीरः 25–50%। 3. सीमितः 10–25%। 4. नगण्यः 10% से कम। घटना की आवृत्ति 1. बहुधाः अगले वर्ष में लगभग 100% संभव है। 2. संभाव्यः अगले वर्ष में 10–100% संभावना या अगले वर्ष में कम से कम एक बदलाव के बीच। 3. कभी–कभी/ संभावितः अगले वर्ष में 1–10% संभावना या अगले 100 वर्षों में कम से कम एक बदलाव के बीच। 4. असंभवः अगले 100 वर्षों में 1% से कम संभावना।

2.4 जोखिम विश्लेषण –

जोखिम, समुदाय में लोगों, सेवाओं, विशिष्ट सुविधाओं और संरचनाओं पर एक खतरा हो सकता है । जोखिम को कम करने से जिला उन खतरों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के लिए उच्च खतरा पैदा करते हैं। प्रतिक्रिया प्राथमिकताओं को विकसित करने के लिए जोखिम का विश्लेषण करना सहायक होता है। जोखिम प्राथमिकता को गुणात्मक रेटिंग जैसे उच्च, मध्यम और निम्न का उपयोग करके असाइन किया जाता है।

क्र0	जोखिम	भूगोल	बुनियादी ढांचे और संपत्ति	जनसांख्यिकी
1	बाढ़	मध्यम	मध्यम	उच्च
2	सूखा	मध्यम	कम	उच्च
3	आग	कम	मध्यम	उच्च
4	महामारी	कम	कम	उच्च
	नक्सलवाद	मध्यम	मध्यम	उच्च

तालिका 25: जोखिम विश्लेषण

2.5 संवेदनशीलता विश्लेषण –

डेटा की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर जिले में निम्नतम प्रशासनिक इकाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन जोखिम के संदर्भ की पहचान की जाती है। इस पर आधारित, संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार किया जाता है।

क्र0	संवेदनशीलता विश्लेषण	उत्तर
1	**जोखिम विश्लेषण का परिणाम**	
	समुदाय के साथ क्या एकल या एकाधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण हैं ? घटना, आवृत्ति/वापसी अवधि,	बाढ़, सूखा, आग और महामारी जैसे जोखिमों से समुदाय प्रभावित है। सभी आपदाओं में से, बाढ गंभीर तीव्रता से वर्ष 2006 में बड़ी

	तीव्रता और अवधि के साथ–साथ प्रभावित परिवारों के संपर्क का जिक्र करते हुए, इन खतरों की तुलना ?	संख्या में आबादी को प्रभावित करने वाली आपदा है।
	क्या जोखिम या नए जोखिम उभर रहे हैं?	महामारी के मामले भी थे। सुकमा तूफान ज़ोन A और B में आता है। सुकमा से लगे हुए ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश तूफान ग्रस्त निर्माणाधीन **पोलावरम परियोजना** के बांध कोंटा नगर पंचायत सहित पांच ग्राम पंचायतों के 18 बसाहट क्षेत्र के डूबने की संभावना है।
2	**संवेदनशीलता विश्लेषण का परिणाम**	
	सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है ?	शबरी नदी बाढ़ के कारण कोंटा तहसील एवं सर्व तहसील सूखे के कारण।
	समुदाय को प्रभावित करने जोखिम व उन जोखिमों के प्रति समुदाय कैसे संवेदनशील हैं ?	1. बाढ़:– शबरी नदी की उपस्थिति के कारण सुकमा कोंटा छिंदगढ़, बाढ़ से प्रभावित हैं। 2. सूखे:– कम वर्षा व खंड वर्षा होने से जिला प्रभावित होता है।
3	**क्षमता विश्लेषण का परिणाम**	
	समुदाय में मुख्य क्षमतायें क्या हैं?	अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बचाव उपकरण, राहत शिविर, परिवहन इत्यादि। पेयजल आपूर्ति योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, फसल आकस्मिक योजनाएं इत्यादि।
	उनकी व्याख्या करें और वे समुदाय का लचीलापन कैसे बढ़ाते हैं ?	• अस्पताल: तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए। • पुलिस स्टेशन: बचाव अभियान और निकासी के लिए। • बचाव उपकरण: बचाव कार्यों के लिए। • राहत शिविर: अस्थायी आश्रयों और प्राथमिक चिकित्सा के लिए। • परिवहन और संचार प्रणाली: सड़क मार्गों और वाहनों के माध्यम से पड़ोसी जिलों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। • पेयजल आपूर्ति योजना: पीने योग्य जल कि उपलब्धता।

		• प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनाः वित्तीय साहयता हेतु। • फसल आकस्मिक योजनाएंः वर्षा में देरी या खंड वर्षा, प्रारंभिक नस्लों वाली फसल इत्यादि।
	मुख्य पांच कमजोरी	• सूखे की अवधि से पहले किसानों की लापरवाही। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे घरों का निर्माण। • अग्नि स्टेशनों की अपर्याप्त संख्या। • आपदा प्रबंधन जागरूकता पर काम कर रहे कोई गैर सरकारी संगठन नहीं है।
4	**आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए तेयारिया व प्रतिक्रिया**	
	जोखिमों की क्षमता को देखते हुए कमजोरियों को कम करने और समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता की पहचान की जाती है।	• नदी के तटबंधों का निर्माण। • वर्षा के दौरान पानी की संरक्षण। • नए चेक बांध, तालाब और कुओं का निर्माण। • सूखे प्रतिरोधी फसलों और कुशल जल उपयोग का अभ्यास करने के लिए किसानों को शिक्षित करना।

तालिका 26: संवेदनशीलता विश्लेषण

2.6 सुकमा **जिले में घटित आपदाएं –**

2.6.1 सूखा –

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है। जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पडता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है– प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक –

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू–जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार –

- **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा –** अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता,पानी का असमान वितरण
- **जल विज्ञान संबंधी सूखा –** पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोंतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- **कृषि संबंधी सूखा –** फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

सुकमा जिले के सूखे की जानकारी

जिले में घोषित सूखे की पिछली घटना की रूपरेखा

क्र.	साल	राज्य का नाम	जिले का नाम	तहसील का नाम
1	2016–17	छत्तीसगढ़	सुकमा	कोण्टा

तालिका 27: वर्ष 2016–18में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा

2.6.2 बाढ़ –

सुकमा एक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। वर्ष 2006 में यहा पर भयावह बाढ़ आयी थी जिसमें **सुकमा** जिले के तिन तहसील प्रभावित हुई थी जिसमे सबसे ज्यादा सुकमा एवं कोंटा नुकशान में हुआ था। प्रत्येक वर्ष **सुकमा** जिले की शबरी कोंटा तहसील के गांव शबरी नदी की बाढ़ के कारण प्रभावित होते है।

चित्र 5 सुकमा जिले का ऐतिहासिक मैप

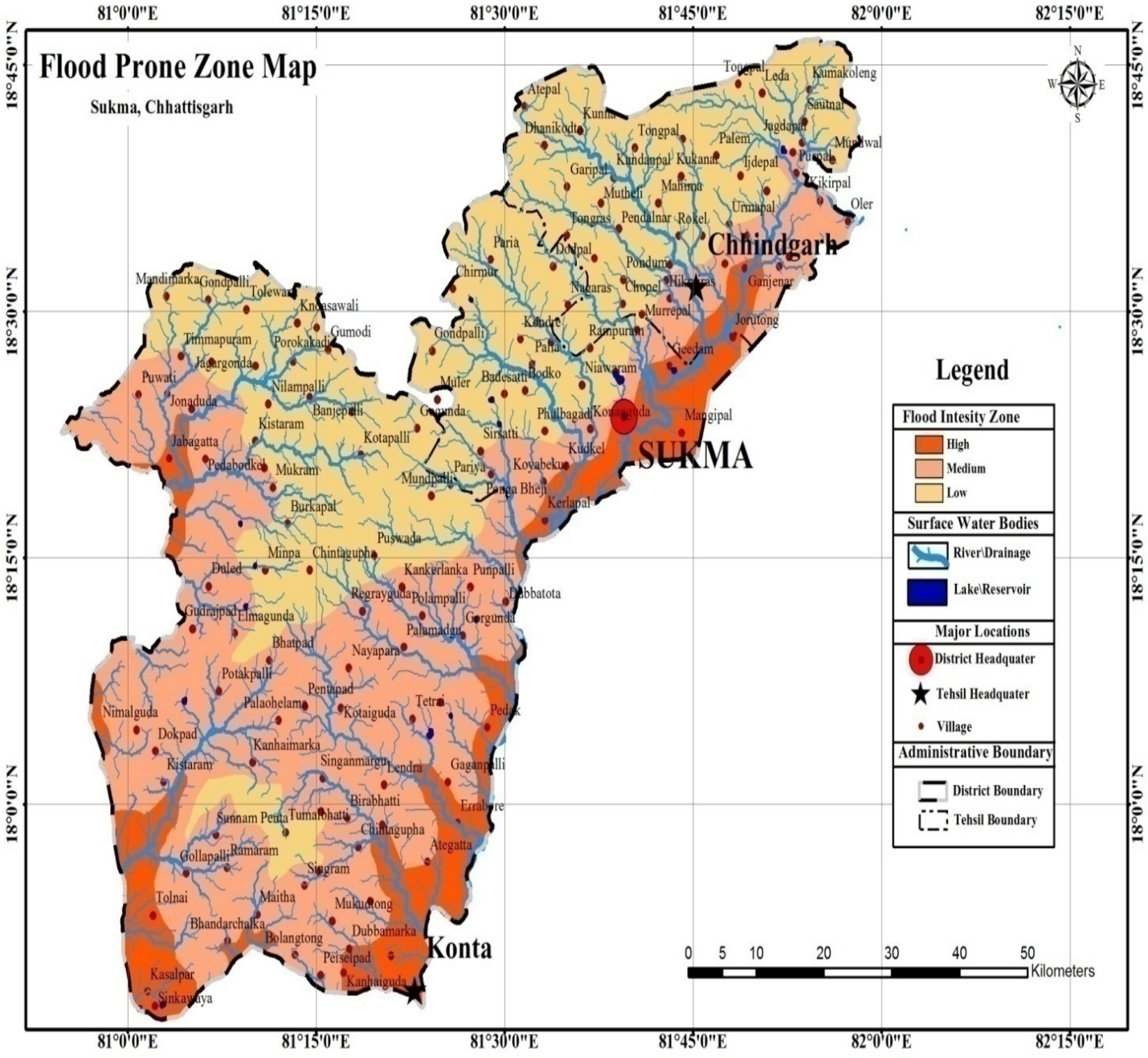

चित्र 6 सुकमा जिले का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र मैप

निचले क्षेत्र में बसे हुए गांव/अधिवास जो कि बाढ की स्थिति से प्रभावित होते है उनकी सूची निम्न प्रकार है –

जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है

बाढ़				
जिले की नादियॉ जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टिक से अतिसंवेदनशील				
क.	तहसील	नदी का नाम	कुल गॉव कीसंख्या	गॉव का नाम
1	सुकमा	शबरी नदी	13	बुड़दी,जोरूतोंग भेलवापाल मुलागुड़ा गादीरास गीदम झापरा गोंगला तेलावर्ती नाड़ीगुफा रामाराम चिकपाल केरलापाल
2	छिन्दगढ़	शबरी नदी	21	कुडुकरास मंगीपाल पुसपल्ली नेतानार किन्दरवाड़ा किकिरपाल ओलेर गंजेनार गुडरा कुडुकरास तालनार
3	कोण्टा	शबरी नदी	16	कोण्टा (वार्ड कं.5,6,11,12,13,14,15) वेंकटापुरम ढोण्डरा इंजरम दुब्बाटोटा दोरनापाल (वार्ड कं. 4,5,6) एर्राबोर इरपागुड़ा जग्गावरम् बंजामगुड़ा

तालिका 28 : जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है

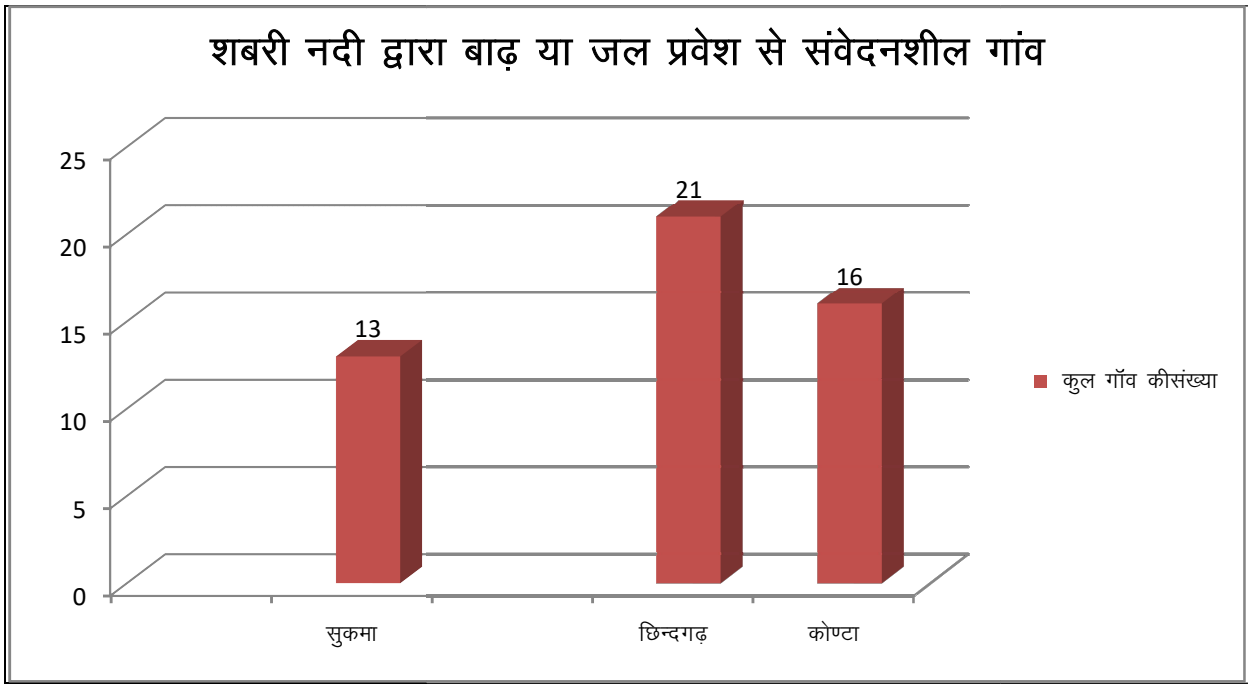

लेखाचित्र 2: शबरी नदी द्वारा बाढ़ या जल प्रवेश से संवेदनशील गांव

जिले के नालें जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है				
क्र.	तहसील	नाले का नाम	कुल गॉव की संख्या	गॉव का नाम
1	सुकमा	सुकमा नाला	4	पकेला

तालिका 29: जिले के नालें जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है

जिले में नगर परिषद बीजापुर/नगर पालिका/नगर पंचायत में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड एवं स्थान			
वर्ष	2015.16	2017.18	2017.18
वार्ड का नाम	कोण्टा (वार्ड कं. 5,6,11,12,13,14,15)	कोण्टा (वार्ड कं. 5,6,11,12,13,14,15)	कोण्टा (वार्ड कं.5,6,11,12,13,14,15)
स्थान का नाम	कोण्टा	कोण्टा	कोण्टा

तालिका 30: जिले में नगर परिषद/नगर पालिका/नगर पंचायत में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड स्थान

बाढ़					
जिले की नादियॉ जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टिक से अतिसंवेदनशील					चन्हांकित स्कूलों का विवरण
क्र.	तहसील	नदी का नाम	कुल गॉव कीसंख्या	गॉव का नाम	
1	सुकमा	शबरी नदी	13	बुड़दी,जोरूतोंग भेलवापाल मुलागुड़ा गादीरास गीदम झापरा गोंगला तेलावर्ती नाड़ीगुफा रामाराम चिकपाल केरलापाल	.उ.मा.वि.बुड़दी प्रा.शाला जोरूतोंग प्रा.शाला भेलवापाल प्रा.शाला झापरा (इत्तापारा) शा.उ.मा.वि. गादीरास प्रा.शाला गीदम प्रा. पूर्व माध्यमिक शाला गोंगला कन्या आश्रम तेलावर्ती प्रा.पूर्व माध्यमिक शाला गोंगला कन्या आश्रम तेलावर्ती बालक आश्रम रामाराम प्रा. एवं पूर्व माध्यमिक शाला पातरसुकमा प्रा.शाला झापरा (इत्तापारा)

2	छिन्दगढ़	शबरी नदी	21	कुडुकरास मंगीपाल पुसपल्ली नेतानार किन्दरवाड़ा किकिरपाल ओलेर गंजेनार गुडरा कुडुकरास तालनार	ा.शाला नेतानार प्रा.शाला किन्दरवाड़ा प्रा.शाला किकिरपाल प्रा.शाला ओंलेर प्रा.शाला ओंलेर प्रा.शाला तुमकपाल प्रा.शाला जंगमपाल प्रा.शाला सीतापाल प्रा.शाला तालनार प्रा.शाला गंजेनार प्राथमिक शाला सुर्रेपाल प्रा.शाला पुसपाल
3	कोण्टा	शबरी नदी	16	कोण्टा (वार्ड क्रं. 5,6,11,12,13,14,15) वेंकटापुरम ढोण्डरा इंजरम दुब्बाटोटा दोरनापाल (वार्ड क्रं. 4,5,6) एर्राबोर इरपागुड़ा जग्गावरम् बंजामगुड़ा	ा.उ.मा.शाला कोण्टा प्रा. शाला वेंकटापुरम, बा.मा. शाला ढोण्डरा प्राथमिक शाला फंदीगुड़ा प्राथमिक शाला मूलाकिसोली माध्यमिक शाला भवन इंजरम मा.शाला मेटागुड़ा प्राथमिक शाला आसिरगुड़ा हाई स्कूल दुब्बाटोटा बा.आ. पेदाकुर्ती प्राथमिक शाला मूलाकिसोली प्राथमिक शाला आसिरगुड़ा

तालिका 31: गांव के सुरक्षित चिन्हांकित स्थान

2.6.3 तूफान –

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की तूफान जोखिम मुल्यांकन की द्रष्टि से देखा जाये तो सुकमा को ज़ोन A और B में आता है। कोस्ट लाइन से सुकमा 130 कि मी है। सुकमा से लगे हुए ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश तूफान ग्रस्त है। , समुद्र से लगे हुए इन राज्यों में जब भी तुफान आता हे तो सुकमा में भी कुछ इलाका प्रभावित होता है। वर्ष 2012 में सुकमा में तूफान आया था जिसके परिणाम स्वरुप सुकमा तहसील में शासकीय सम्पति के साथ–साथ निजी सम्पति को भी नुकसान पोहोचा था बीस दिनों तक सुकमा में बिजली नही थी।

वर्ष 2012 में सुकमा में CYCLONE तूफान से प्रभावित गाव			
क्र.	तहसील	कुल गॉव की संख्या	गॉव का नाम
1	सुकमा	13	पकेला बुड़दी जोरूतोंग भेलवापाल मुलागुड़ा गादीरास रामाराम चिकपाल तेलावर्ती झापरा नाड़ीगुफा

तालिका 32: CYCLONE तूफान से प्रभावित गाव

2.6.4 दुर्घटना –

सडक दुर्घटनाएँ –

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते है उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सडक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते है। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सडक दुर्घटनाओं से मृत्यु का कारण बनते हैं, एंव इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते है।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सडक दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्वि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकडों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाएँ				
जिले में सड़क दुर्घटनाएँ				
क्र.	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
1	2012	40	15	65
2	2013	46	15	64
	2014	52	10	63
	2015	55	25	56
3	2016	57	20	76
	2017	76	24	70
कुल		326	109	394

तालिका 33: जिले में सड़क दुर्घटनाएं

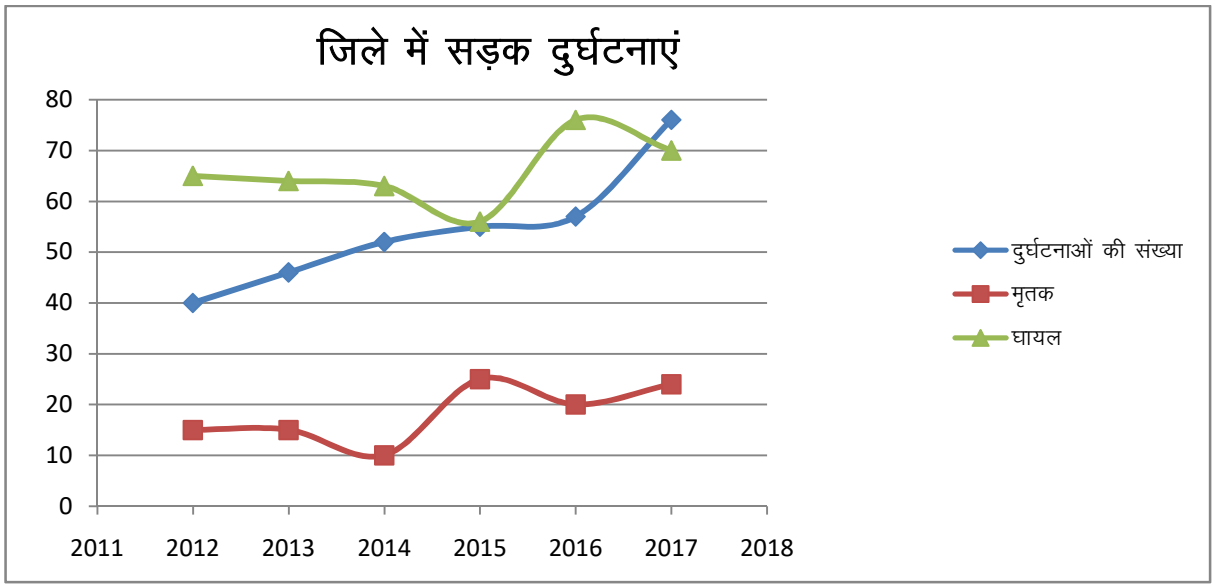

लेखाचित्र 3: सड़क दुर्घटनाएं

सडक दुर्घटनाओं के मुख्य कारण –

- गाडी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सडकें
- सडकों पर अत्यधिक वाहन व भीड
- गाडियों का अनुचित रखरखाव

सुकमा जिले में सडक दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमो की जानकारी नहीं होना, सडक के दोनो ओर भारी मात्रा में बिलावयी बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नहीं आता तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना है।

जिला **सुकमा** से नेशनल हाईवे गुजरता है जो कि छिन्दगढ आदि स्थानों से गुजरता है। जिस पर से प्रतिदिन लगभव 150 वाहन गुजरते है। तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर टेकिंग के कारण होती है।

सुकमा जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण

क्रमांक	तहसील का नाम	दुर्घटना सम्भावित माग के नाम
1	छिन्दगढ	गीदम नाला,
2	सुकमा	सुकमा बाई पास रोड पाकेला रोड

तालिका 34: सुकमा जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण

2.6.5 आग–

जिले का लगभग 50 प्रतिशत भू–भाग जंगल से ढखा हुआ है। और वसंत में शुष्क पत्तियां वन भूमि में गिरती हैं। मार्च के महीने में, लोग अपनी सुविधा के लिए 'महुवा' की तलाश में आग लगते हैं और रात में आग सूखी पत्तियों को जलाने से आगे बढ़ती है और नतीजतन जंगल को नुकसान पहुंचाता है।

शॉर्ट–सर्किट के कारण जिले के सबरी पेट्रोल पंप पर 2016 में एवं जिला कार्यालय कलेक्टर ऑफिस में आग जनित घटना हुयी है।

2.6.6 महामारी –

महामारी					
क.	वर्ष	तहसील/ विकासखण्ड़	महामारी का नाम	प्रभावित लोगो की संख्या	मृतक
1	2015	सुकमा/छिन्दगढ	डेंगू	12000	0
2	2016	सुकमा/छिन्दगढ	जापानीज इनसैफेलाइटिस	18120	3
कुल योग–				30120	3

तालिका 35: वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी

तहसील स्तर पर आशंका वाले क्षेत्र और संवेदनशील गॉव				
क.	ग्राम की कुल संख्या	तहसील का नाम	महामारियों की दृष्टि से संवेदनशील गांवो की संख्या	दुर्गम क्षेत्र
1	56	सुकमा	14	14
2	91	छिन्दगढ	15	15
3	254	कोन्टा	143	20
योगः–	401		165	49

तालिका 36: तहसील स्तर पर आशंका वाले क्षेत्र और संवेदनशील गॉव

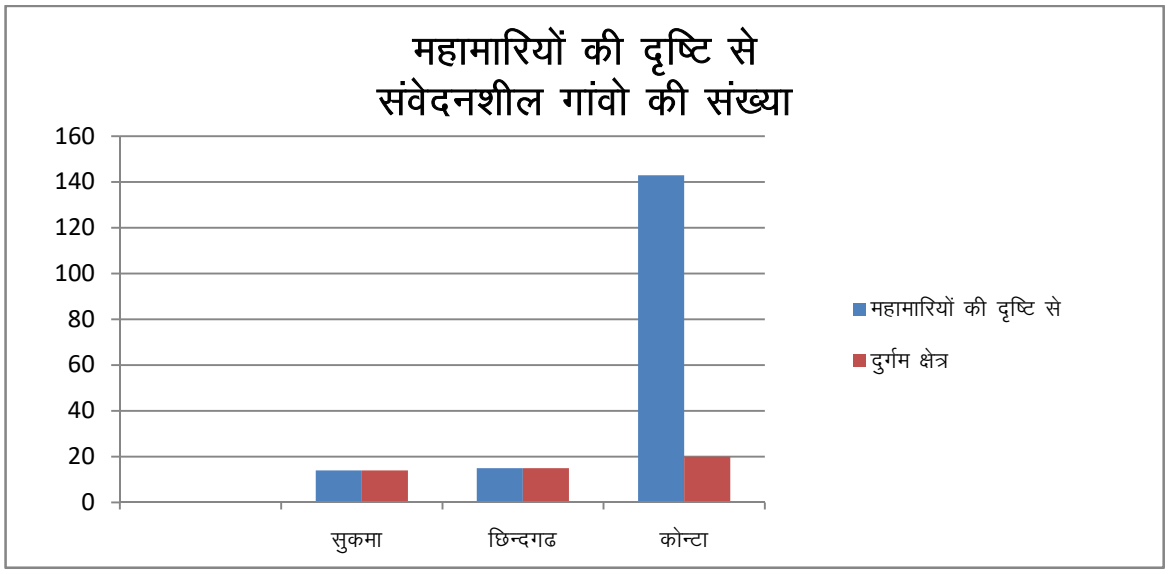

लेखाचित्र 4: महामारियो की द्रष्टि से सवेदनशील गाँवों की संख्या

2.6.7 भूकम्प –

भूकम्प एक ऐसी आपदा है जो प्रकृतिक रूप से घटित होती है जिसका व्यापक स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान पड़ता है भूकम्प की द्रष्टि से देखा जाये तो सुकमा जिला **भूकम्प जोन दो** में आता है। जो की अतिसंवेदनसील है। इतिहास में देखा जाये तो सुकमा में कभी भूकम्प की घटना घटित नही हुयी है। किन्तु भविष्य में को ध्यान में रखते हुए भवनों का निर्माण भूकंप रोधी होना चाहिए।

चित्र 7 सुकमा जिले का भूकम्प ग्रस्त क्षेत्र मैप

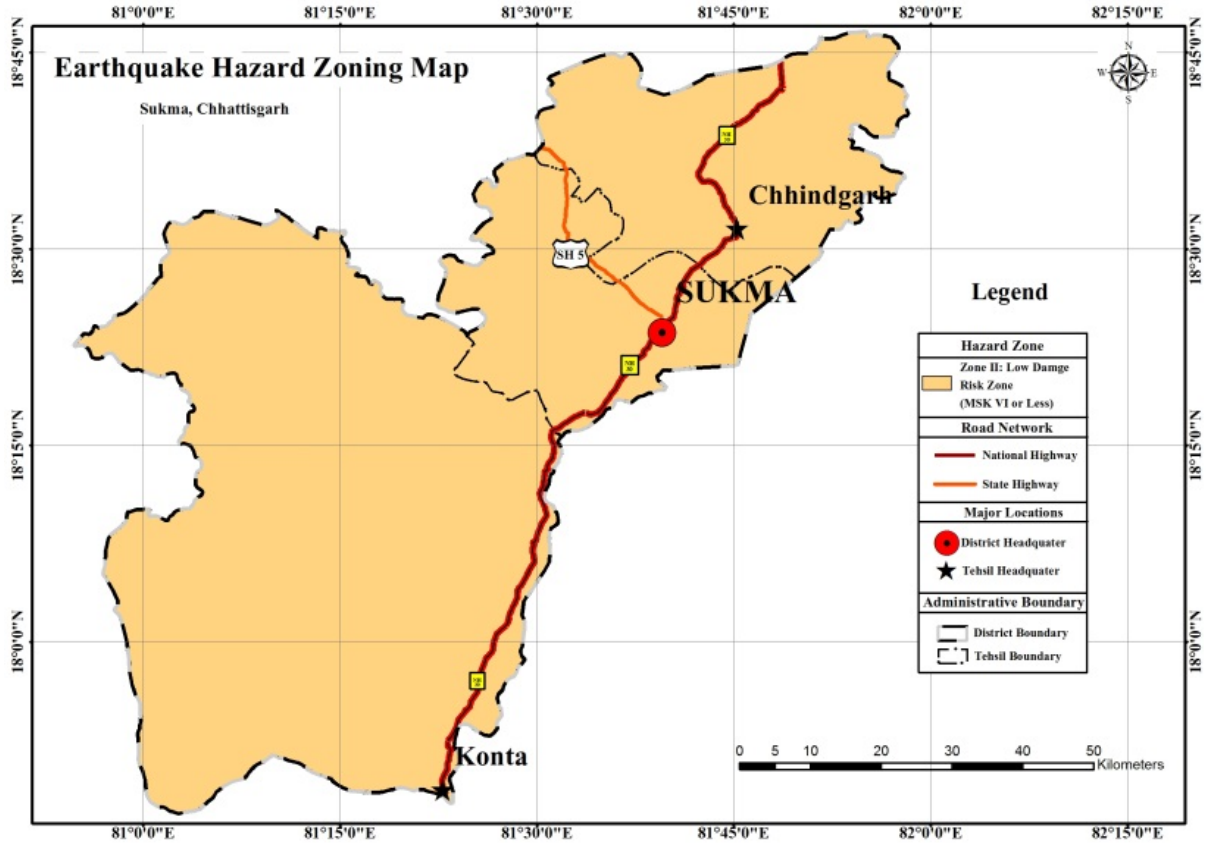

2.6.8 नक्सलवाद –

नक्सलवाद एक सबसे बड़ी मानविक आपदा है जिसका प्रतिकुल प्रभाव शासन प्रशासन समाज पर पड़ रहा है। जिला मुख्यालय की चारों तहसील सुकमा , छिन्दगढ, कोण्टा, प्रभावित है। आये दिन यहा पर नकसली हिंसा घटित होती रहती है। सेना के जवानों के साथ–साथ जनमानस को नुकसान उठाना पड़ता है।

2.6.9 बांध टूटना–

सुकमा में कोई बड़ा बांध नही हे इसलिय अभी तक यह पर बांध टूटने की घटना कभी घटित नही हुयी है। किन्तु आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के पोलावरम ब्लॉक के अंतर्गत गोदावरी नदी पर पापीकुंडलू ग्राम के नजदीक निर्माणाधीन **पोलावरम परियोजना** के बांध के पानी से सीधे तौर पर सुकमा का क्षेत्र नहीं डूबेगा बल्कि सुकमा में गोदावरी की सहायक नदी सबरी और उसके सहायक नदी–नालों में बांध के बैक से डूबान क्षेत्र निर्मित होगा। सुकमा जिले में कोंटा नगर पंचायत सहित पांच ग्राम पंचायतों के 18 बसाहट क्षेत्र के डूबने की संभावना है।

अध्याय – 3

आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागते व्यवस्था

3.1 संस्थागत व्यवस्था

आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी होता है अगर यह संस्थागत ढॉचे में हो। इस उद्देश्य से डीएम अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर ,राज्य स्तर, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह आपदा योजना के अनुसार किसी भी आपदा स्थिति को प्रभावी ढंग से तत्काल प्रतिक्रिया देने और कम करने के लिए जिला स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।:

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधनः संस्थागत ढांचा –

- राष्ट्रीयआपदा प्रबंधन प्राधिकरण – प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। प्रमुख कार्य आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण है।
- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति – यह गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करती है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) – आपदा प्रबंधन मे क्षमता संवर्धन हेतु गठित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा अनुकिया बल (NDRF) – आपदा की दशा में राहत, खोज व बचाव हेतु गठित विशेष बल।

3.3 राज्य आपदा प्रबंधन : संस्थागत ढांचा –

राष्ट्रीय स्तर के समान ही चार एजेंसियों का गठन राज्य स्तर पर किया गया है –

क्र.	संस्था	मुखिया	कार्य
1.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	मुख्यमंत्री	नीतिनिर्धारण
2.	राज्य कार्यकारी समिति	मुख्य सचिव	राज्य को सहायता व समन्वय
3.	राज्य आपदा अनुकिया बल राज्य आपदा प्रबंधन केन्द्र	–	खोज, राहत व बचाव
4.	राज्य आपदा प्रबंधन केन्द्र	–	प्रशिक्षण

तालिका 37– आपदा प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय ढांचा

3.4 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-

डीडीएमए, आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए सभी उपाय करता है। तथा यह सुनिश्चित करता है कि आपदाओं की रोकथाम, इसके प्रभाव की कमी, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों के लिए दिशानिर्देश का पालन सरकार के सभी विभागों में जिला स्तर और जिला में स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी, तथा कलेक्टर/डीएम, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे

बीजापुर जिले में केन्द्र व राज्य के समान ही संस्थगत ढांचा कार्यरत है। इस हेतु निम्न प्रकार से संस्थाऐ/ एजेंन्सी कार्यरत है –

क्र.	एजेंन्सी विभाग	कार्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा प्रबंधन योजना व नीति निर्धारण
2.	इंसिडेंट रिस्पौंस सिस्टम	आपदा के समय त्वरित अनुक्रिया
3.	EOC (इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर)	आपातकालीन स्थितियों पर नजर
4.	जिला कार्यकारी समिति	आपदा प्रबंधन योजना व नीति निर्धारण में सहयोग

तालिका 38 :सुकमा आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत ढांचा

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –

अनुक्रम	सरकारी पद	प्राधिकरण में पद
1	जिला कलेक्टर (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिला पंचायत	सदस्य
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वासथ्य अधिकारी	सदस्य
6	कार्यपालक इंजीनियर (PWD) विभाग	सदस्य
7	कार्यपालक इंजीनियर (सिंचाई) विभाग	सदस्य सचिव
8	अपर कलेक्टर	सदस्य
9	जिला कमांडेंट होम गार्ड्स	सदस्य

तलिका 39 : DDMA की संरचना

जिला आपदा प्रबंधन समिति एक शीर्ष नियोजन समिति है, यह ततपरता एवं शमन के हेतु प्रमुख भूमिका निभाती है। जिला स्तर पर प्रतिक्रिया का समन्वय जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो जिला आपदा प्रबन्धक के रूपमें काम करते हैं।

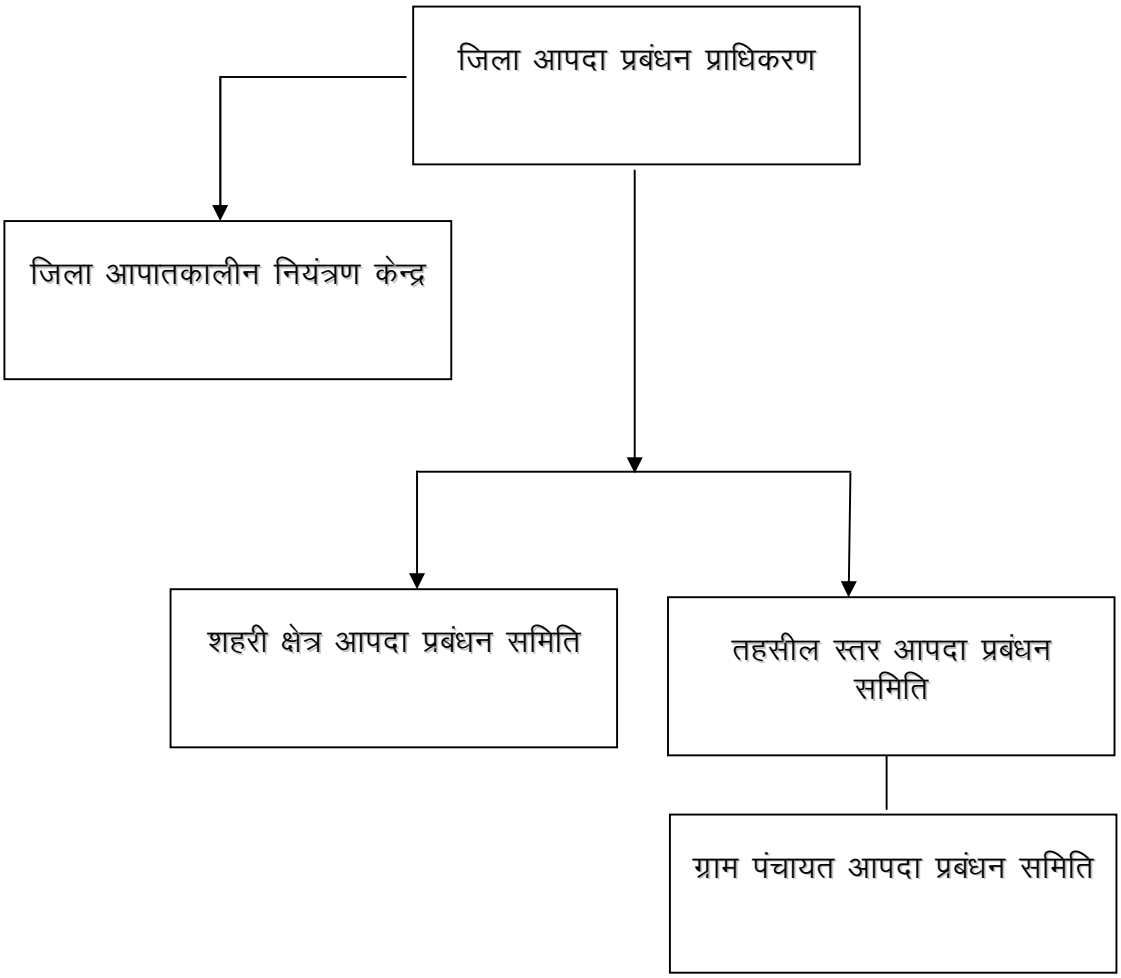

प्रवाह चित्र 1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रवाह चित्र

जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति –

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य कुशल निर्वाहन के लिए एक और एक से अधिक आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्यों के नियुक्ति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें जिला पंचायत, विभिन्न विभाग गैर सरकारी संगठन इत्यादि के सदस्यों को शामिल किया जाता है।

क्र.	धारित पद	पद पर
1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	उप अध्यक्ष
3.	डिप्टी कलेक्टर	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
6.	जिला वन मण्डलाधिकारी	सदस्य
7.	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य
8.	जिला ि ाक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	उप निर्दे ाक कृशि	सदस्य
10.	आर.टी.ओ	सदस्य
11.	जिला स्तर के गैर सरकारी सगठन सदस्य	सदस्य

तालिका 40: आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति की संरचना

3.5 स्थानीय स्व सरकारी प्राधिकरण –

इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं (आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और केंटोंमेंट बोर्ड (cantonment board) एवं नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल किया जाता है जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और पुननिर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबधी मुद्दो से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

3.6 शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति –

जिला कार्यालय के सभी शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन गतिविधियों को संचालित करने लिये शहरी स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। शहरी आपदा प्रबंधन समिति के गठन के लिए प्रस्तावित ढांचा।

क्र.	धारित पद	पद
1.	नगर पालिका अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यापालन अधिकारी	उप अध्यक्ष
3.	एस.डी .एम	सदस्य
4.	विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5.	कार्यापालन अंभियता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	कार्यापालन अंभियता विद्युत विभाग	सदस्य
7.	वन मण्डलाधिकारी	सदस्य

तालिका 41: शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति

3.7 तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति –

तहसील में आपदा प्रबंधन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तहसील स्तर पर आपका प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा ।

तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा

क्र0	धारित पद	पद
1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	टी.आई.पोलिस	सदस्य
3	अध्यक्ष, पंचायत समिति	सदस्य
4	उप अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
5	उप अभियंता, बिजली विभाग	सदस्य
6	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8	गेर सरकारी संगठन	सदस्य

तालिका 42: तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा

3.8 ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति –

ग्राम स्तर पर आपदा से निपटने के लिए एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय हेतु ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन हेतु ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा, प्रस्तावित स्वरूप इस प्रकार है ।

क्र0	धारित पद	पद
1	ग्राम पंचायत सरपंच	अध्यक्ष
2	सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य
3	आशा (स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
4	शिक्षक (शिक्षा विभाग)	सदस्य
5	सैनिक (होमगार्ड)	सदस्य
6	कोटवार	सदस्य

तालिका 43: ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति

3.9 घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस) –

क्षेत्र के घटना प्रत्युत्तर टीम के माध्यम से आइआरएस संगठन कार्य करता है। डीडीएमए के अध्यक्ष जिला कलेक्टर ही घटना प्रत्युत्तर प्रबंधन का सर्वोच्च पदाधिकारी एवं जवाबदेह व्यक्ति होता है। आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर किसी अन्य जवाबदेह अधिकारी को अपना कार्यभार सौंप सकता है। अगर आपदा एक से अधिक जिले में हुई तो उस जिले का कलेक्टर इंसिडेंट कमांडर का काम करता है जहॉ आपदा की गंभीरता सबसे ज्यादा है।

घटना प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय होने के साथ–साथ एक कार्य संचालन सेक्शन एक योजना सेक्शन एक रसद सेक्शन और एक वित्त सेक्शन अपने–अपने प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ त्वरित कार्य करने की भूमिका निभाते हैं। इन सेक्शनों के प्रभारियों के नियुक्ति करने का अधिकार केवल इंसिडेंट कमांडर को है । सेक्शन प्रभारियों में पीड़ितो तक रसद सहायता पहुॅचाने तक की सभी संबंधित जवाबदारी निहित होता है ।

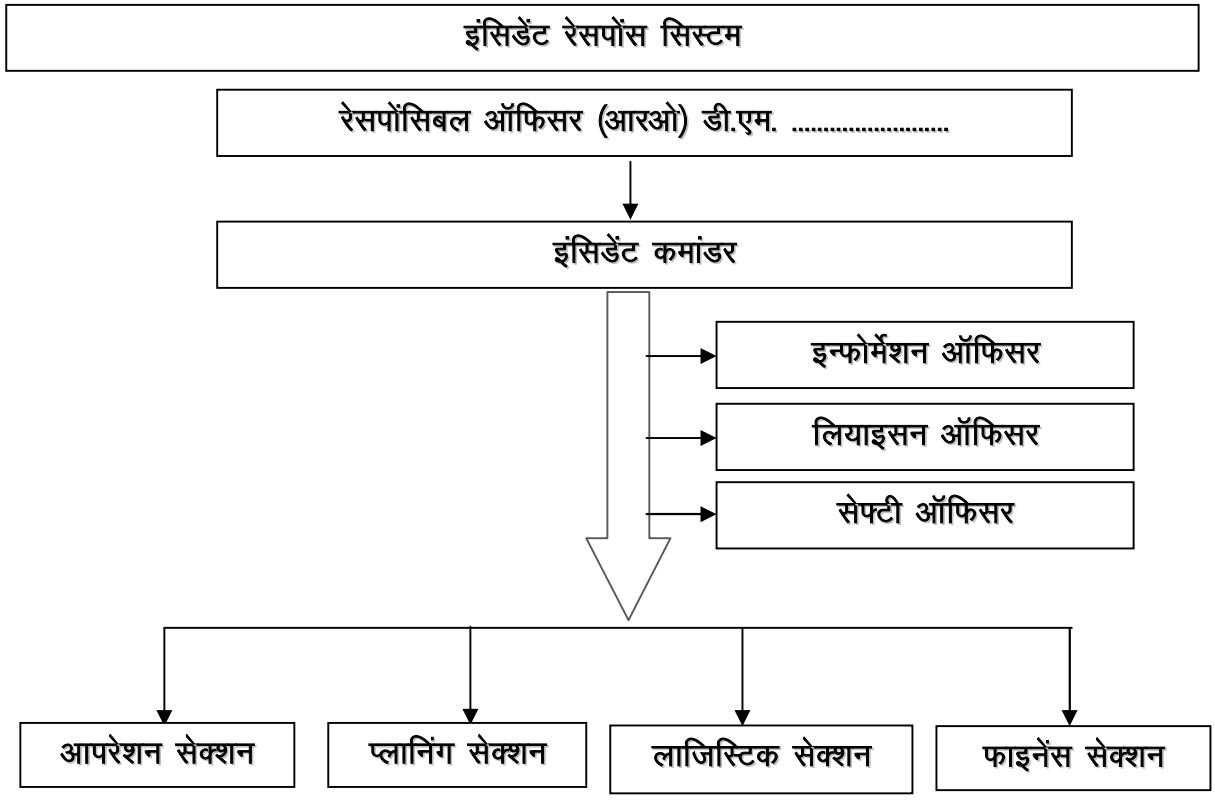

प्रवाह चित्र 2: घटना प्रत्युत्तर प्रणाली

उपरोक्त विभिन्न सेक्शनों के नामित होने वाले प्रभारी एवं सहयोगियों का वर्णन –

1. अपर जिला/ कलेक्टर/लाइन डिपार्टमेंट के प्रमुख आदि जिले के वरीष्ट पदाधिकारी ही उपरोक्त सेक्शनों के प्रभारी होंगे ।
2. इंसिडेंट कमांड की कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी को कोई जवाबदेही नही दी जायेगी। क्योंकि वह अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय आपातकालिन परिचालन (ओइसी) केन्द्र के संचालन के जिम्मेवार होते हैं या प्रभावित क्षेत्र में प्रतिनियोजित होते हैं और इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम के टीम लीडर भी होते हैं ।
3. प्रत्येक क्षेत्रतीय आपातकालिन परिचालन केन्द्र एक आइएमटी होगा ।

इंसिडेंट कमांडर के मुख्य कार्य –

इंसिडेंट कमांडर के निम्नलिखित सामान्य कार्य होंगे :

- आपातकाल में अवाधित संचार प्रवाह बनाना एवं उसके एकीकरण के तंत्र विकसित करना ।
- आपदा के परिदृश्य का संपूर्ण प्रबंधन और एक एकीकृत एवं समन्वित कमांड प्लान के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार करना ।
- जिला, राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न इएसएफ के अपने प्रोटोकॉल एवं कार्य प्रक्रिया के लिए सुविधा प्रदान करना ।
- संचार व्यवस्था को इस तरह दुरूस्त रखना कि आपदा के समय मिलने वाली सभी सूचना को प्राप्त किया जा सके, उनका रिकार्ड रखा जा सके और सूचना के आदान–प्रदान के स्वीकृति पत्र दे सके ।
- आपातकाल में इएसएफ के पास उपलब्ध राहत सामग्री के वितरण का प्रबंधन करना ।
- आपदा के समय एवं उसके बाद किये गये कार्य क्षेत्रों का अनुश्रवण करना ।
- इन उपरोक्त सामान्य कार्यों के अतिरिक्त इंसिडेंट कमांडर को अनेक निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं ।

- स्थिति का अनुमान लगाना
- मानव जीवन जोखिम का अनुमान लगाना
- तात्कालिक उद्देश्यों (कार्यों) का निर्धारण करना?
- आपदा क्षेत्र में पर्याप्त आवश्यक संसाधन की उपलब्धता तय करना/उपलब्धता के लिए आदेश देना
- तात्कालिक कार्य योजना तय करना
- एक प्रारंभिक तात्कालिक संगठन बनाना
- कार्य, लक्ष्यों का समीक्ष करना, उनमें सुधार करना और आवश्यकतानुसार अपने कार्य योजना में उससे समायोजित करना ।

ऑपरेशन सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य :–

- प्राथमिक उद्देश्य पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रत्यक्ष कार्यों के प्रबंधन की जिम्मेदारी
- हादसा कार्य योजना के अनुसंग में सांगठनिक तत्वों को सक्रिय करना परिवेक्षण करना और कार्यान्वयन का निर्देशन देना
- आवश्यकतायें तय करना एवं अतिरिक्त संसाधन के लिए अनुरोध करना
- उपलब्ध संसाधनों की सूची की समीक्ष करना और संसाधनों के वितरण के लिए अनुशंसा करना
- इंसिडेंट कमांडर को सभी विशेश गतिविधि और घटनाओं के प्रतिवेदन देना
- अपने यूनिट/गतिविधियों का इंतजाम करना

योजना सेक्शन प्रभारी का इंतजाम करना –

- किसी सहायता के संबंध में सूचना संग्रह करना, उनका मूल्यांकन करना, प्रसार करना तथा उपयोग करना । अद्यतन स्थिति की जानकारी लेना ।
- वैकल्पिक रणनीति बनाना तथा सभी कार्यों का नियंत्रण करना ।
- तात्कालिक कार्ययोजना निर्माण का परिवेक्षण करना ।
- आइएटइी के निर्माण में इंसिडेंट कमांडर को सुझाव देना

- आवश्यकतानुरूप आपदा क्षेत्र में कार्यरत किसी अधिकारी को नया कार्य सौंपना ।
- हादसा के प्रत्युतर के लिए किसी वि ाश्ट संसाधन की जरूरत तय करना ।

रसद सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

- योजना सेक्शन के लिए संसाधन, सिचुएशन यूनिट आदि हेतु आवश्यक सूचना एवं प्रतिवेदन तंत्र स्थापित करना ।
- हादसा की अद्यतन स्थिति की जानकारी का संकलन एवं प्रदर्शन करना ।
- हादसा विनियोजन योजना के तैयारी एवं कार्यान्वयन की देख–रेख करना ।
- अद्यतन स्थिति एवं संसाधन उपलब्धता पर मीडिया को जानकारी देना, लक्ष्य तय करना कार्य क्षेत्र सीमा निर्धारण करना कार्य समूह निर्माण करना प्रत्येक विभाग के लिए रणनीति एवं सुरक्षा निर्देश तय करना, नक्शा तैयार करना, प्रतिवेदन स्थल तय करना, संसाधनों को उचित स्थान पर रखवाना और कर्मचारियों को अनुशासन में रखना आदि भी रसद सेंक्शन के मुख्य काम है।
- कर्मियों को काम और कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी देना ।
- अपने कार्य के लिए पूर्व नियोजित एवं भावी कार्य संचालन के लिए आवश्यक सेवा एवं सहायता जरूरतों को चिन्हित करना ।
- अतिरिक्त संसाधन के लिए प्रक्रिया अनुरोध शुरू करना और इसके लिए समन्य करना ।
- संचार, योजना, यातायात , चिकित्सा योजना आदि की समीक्षा करना एवं सुझाव देना ।
- अपने यूनिट/गतिविधियों का इंतजाम करना।
-

वित्त सेक्शन प्रभारी के मुख्य काम –

वित्त सेक्शन मूलतः प्रशासन एवं वित्त प्रबंधन के लिए है। इंसिडेंट कमांड पोस्ट,आधार कार्यालय क्षेत्र,आधार कार्यालय और शिविरों के प्रबंधन वित्त सेक्शन के प्रमुख कार्यो के अंतर्गत है। इसके निम्न कार्य भी है–

• संसाधनों की उपलब्धता के लिए आ रहे अत्यधिक अनुरोध को कम करना

• **आइसी** को संसाधन उपयोग के लिए आवश्यक योजना बनाने की जबावदेही देना एवं आकस्मिकता के लिए संसाधन की स्वीकृति देना।

3.10 जिला नियंत्रण केन्द्र –

जिला नियंत्रण केन्द्र जिला कलेक्टर के नियंत्रण अंतर्गत एक प्राथमिक केन्द्र में कार्य करेगा । इसके गठन के उद्देश्य–

- निगरानी करना
- समन्वय करना
- आपदा प्रबंधन की कार्यवाही को लागू करना

यह कक्ष वर्षभर कार्यरत रहता है एवं विभिन्न विभागों को आपदा के समय कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करता है।

क्र0	आपदा नियंत्रण कक्ष	अधिकारी	दूरभाष / मोबाईल
1	राज्य स्तर	श्री एन.आर.साहू., राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन मंत्रालय, रायपुर)	0771–2223471
2	जिला स्तर	श्री हिमांचल साहू डिप्टी कलेक्टर जिला सुकमा	07864.284012 9437608423
3	तहसील स्तर	श्री जे.आर.चौरसिया अ0वि0अ0(रा.) सुकमा	07864.284011 9406032191
		श्री प्रदीप वैध अ0वि0अ0 (रा0) कोण्टा	07866.261622 9407775757
		श्री उत्तम प्रसाद रजक तहसीलदार छिन्दगढ़	07863.244611 9424184244
		श्री भागीरथी खाण्डे तहसीलदार कोण्टा	9424183973
4	चिकित्सा विभाग	डॉ. विरेन्द्र ठाकुर	07864.284235
5	जिला सेनानी, नगर सेना	श्री एस.एन.नेताम	94241.84267
6	पुलिस नियंत्रण सिविल लाईन	श्री भरत खुंटे सहायक उपनिरीक्षक	07864.284204

तालिका 44: जिला नियंत्रण केन्द्र

किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर को राहत कार्यों के लिए निर्देशित करेगा एवं संयुक्त कलेक्टर तहसील दार को, तहसीलदार ग्राम पंचायत पटवारी सचिव को निर्देशित करेगा ।

आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा

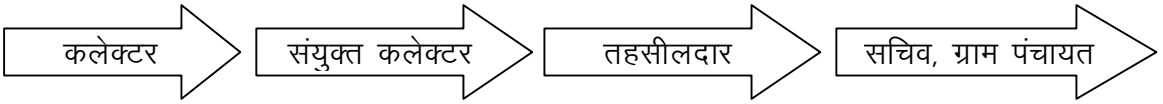

प्रवाह चित्र 3: आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा

सुविधाएं/व्यवस्थाएं जिला नियंत्रण कक्ष/केन्द्र –

जिला नियंत्रण केन्द्र में आपदा से निपटने के लिए एवं विभिन्न लाइन विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु निम्न व्यवस्थाएं होगी –

- राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण केन्द्र से संपर्क स्थापित करने हेतु हॉट लाइन
- टेलीफोन, सेटेलाइट फोन
- आपदा प्रबंधन योजना की कापी
- वायरलेस सेट
- कान्फ्रेंस रूम
- वाकी टाकी
- एक कम्प्यूटर जिसमें इंटरनेट हो
- अन्य आवश्यक सामग्री

वैकल्पिक नियंत्रण कक्ष –

किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने के लिये जिले स्तर पर आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है । किन्तु आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र किसी आपदा के समय सुचारू रूप से संचालित नही हो पाता है, तो जिला सेनानी, नगर सेना, पुलिस विभाग, के यहां एक वैकल्पिक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी ।

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं –

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं, आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करेंगे । बहु – जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिये पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाता है ।

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्डर्स –

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्डस द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावकारी भूमिका अदा की जा सकती है। सामुदायिक तैयारी तथा जन–जागरूकता के लिये उनको तैनात किया जाएगा। किसी आपदा के आने पर स्वैच्छिक रूप से डयूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।

नेशनल क्रेडिट कोर्स (एन.सी.सी.) राश्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन –

सभी समुदाय आधारित पहलों में सहायता करने के लिये इन युवा आधारित संगठनों की क्षमता को ईश्टतम बनाया जाएगा और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण का उनके कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

सूचना एवं चेतावनी एजेंसीस –

सभी प्रकार की आपदाओं के लिये पूर्वानुमान तथा भीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किये जाने, उन्नयन किये जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिश्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसियां प्रौद्योगिकीय अंतरों की पहचान करेगी तथा उनके उन्नयन के लिये परियोजनाओं का प्रतिपादन करेंगी ताकि समयबद्ध तरीके से उनका उन्नयन किया जा सके।

क्र	आपदा	आपदाओं की संभावित अवधि	आपदा से प्रभावित जिले तहसील	गंभीरता का स्तर	तैयारी निगरानी उपाय	समय सीमा	हितधारक
1	**शीत लहर**	**दिसम्बर – जनवरी**	सरगुजा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	नवंबर का पहला सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			बलरामपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर	**मध्य**	सलाह जारी करना	नवंबर का दूसरा सप्ताह	IMD, NDMA, NIDM, WHO, MoHRD, MoHFW, MoUD, MoPR, MoRD, MoAFW.
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	MD, SDMA, Health Department, Education Department, Municipal Corporations, Women and Child Development, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry, Labour, Forest and Food department etc.
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जनवरी का पहला सप्ताह	
2	**हीट वेव–हीट स्ट्रोक**	**अप्रैल–जून**	बिलासपुर, बलोदा बाजार, रायपुर, जांजगीर चाम्पा, दुर्ग, कबीरधाम और कांकेर	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	मार्च का दूसरा सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			धमतरी , राजनंदगाँव, रायगढ़, कोरबा, सुकमा और दंतेवाड़ा	**मध्य**	सलाह जारी करना	मार्च का तीसरा सप्ताह	IMD, NDMA, NIDM, , MoHFW, WHO, MoHRD, MoWR, MoUD, MoPR, MoRD, MoL&E, DRM (Railway)
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मार्च का तीसरा सप्ताह	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मार्च का अंतिम सप्ताह	MD, SDMA, Health Department, Education Department, Municipal Corporations, Women and Child Development, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry, Labour, Forest and Food department etc.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	अप्रैल का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	मई का दूसरा सप्ताह	

3	**जंगल की आग**	**अप्रैल–जून**	बीजापुर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	नवंबर का पहला सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			बस्तर, जशपुर, गारीयाबंद , कोंडागांव और धमत्तरी	**मध्य**	सलाह जारी करना	नवंबर का दूसरा सप्ताह	MoEF&CC, MHA, NRSC, MoRD, MoRTH
			नारायणपुर, कांकेर, मुंगेली और रायगढ़	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	Forest, SDRF, SDMA, PHED, PWD, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	दिसंबर का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जनवरी का पहला सप्ताह	
4	**आकाशीय बिजली**	**जून–सितम्बर**	कोरबा, रायगढ़, महाशमुन्द, बस्तर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			गरियाबंद, दुर्ग, राजनंदगाँव, कोंडगाव बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा	**मध्य**	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	

5	**बाढ़**	**जून–सितम्बर**	बस्तर, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर जांजगीर चाम्पा और रायगढ़	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			सूरजपुर, कोंडागाव, गारीयाबंद, बलोद, दुर्ग बलोद बाजार, बीजापुर, नारायणपुर, धमत्तरी और राजनंदगाँव	**मध्य**	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	
6	**शहरी बाढ़**	**जून–सितम्बर**	रायपुर, धमत्तरी, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर और कांकेर	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला, बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			जांजगीर चाम्पा, मुंगेली और कोरबा	**मध्य**	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	

7	**लैंडस्लाइड मडस्लाइड**	**जून–सितम्बर**	कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा,	**मध्य**	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	
8	**सुखा**	**जुलाई –ओक्टोम्बर**	बेमेतरा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, बलोदा बाजार, जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, राजनानंदगाँव, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागाँव धमतरी और कबीरधाम	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	मई का पहला सप्ताह	**केंद्र स्तर पर**
			कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, IMD, MNCFC, CRIDA, MoWR,RD & GR, ISRO, SRSACs
			सरगुजा, सुकमा, बस्तर	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान(हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, Relief Commissioner, Agrriculture Deapartmnent , Irrigation Department, PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Department of Education
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	नवंबर का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	नवंबर का पहला सप्ताह	

9	**सड़क दुर्घटना**	**वर्ष भर**	रायगड, जांजगीर चाम्पा, बलरामपुर, कोरबा, रायपुर, जसपुर, बस्तर, कांकेर , राजनांदगॉव, दुर्ग, मुंगेली, कोंडागांव, सरगुजा, बिलासपुर, सूरजपुर,	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			बलोदा बाजार, महासमूंद, धमत्तरी, बलोद, सुकमा, कवर्धा	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoRTH, MoUD, NDMA, NIDM
			नारायणपुर, दंतेवाडा, बीजापुर, गारीयाबंद, बेमेतरा, कोरिया	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान(हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, Transport Departmnet, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Department of Education
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
10	**आग दुर्घटनाएं**	**वर्ष भर**	बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा , रायपुर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगॉव , मुंगेली	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			बस्तर, रायगढ़, बलोदा बाजार, महासमूंद धमत्तरी, बलोद, कांकेर	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoEF&CC, NRSC, MoRD, MoRMHA, NDMA, NIDM
			सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कबीरधाम, गारीयाबंद, कोंडागांव	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान(हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	Fire Services, Relief Commissioner, SDMA, PHED, PWD, Municipal Corporation
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	

11	**भूकम्प**	**वर्ष भर**	रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, बीजापुर, सरगुजा और सूरजपुर	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
				मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, Ministry of Power, Ministry of Information and Communication Technology, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान(हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, SDRF, Home Departmenet PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Department of Education, PWD
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
12	**सर्प –दंस**	**वर्ष भर**	बस्तर, सूरजपुर, राजनंदगाँव, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ , बिलासपुर, कोरबा, कांकेर , कबीरधाम , कोरिया	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			कोंडागांव, सुकमा , बीजापुर, मुंगेली, रायपुर, धमत्तरी, दुर्ग, मुंगेली महासमुंद , गारीयाबंद	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, MoHRD, MoHFW, WHO
			नारायणपुर, बेमेतरा, बलोद	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान (हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, Forest, Animal Husbandry, Women and Child Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	

13	**नक्सली –घटनाये**	**वर्ष भर**	सुकमा , बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			राजनंदगाँव , धमतरी , जशपुर, महासमुंद , गारीयाबंद, बलोद , कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MHA, Central Armed Forces
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान (हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	Home Department, Department of Education,
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
14	**महामारी**	**वर्ष भर**	सूरजपुर, रायगढ़, जांजगीर चाम्पा, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा, बलोद, कबीरधाम, बलोदा बाजार, महासमुंद , धमतरी,	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			रायपुर, गारीयाबंद, मुंगेली, सरगुजा , जशपुर	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NDMA, NIDM, MoHRD, MoHFW WHO, MoUD, MoRD
			बलरामपुर, कांकेर , नारायणपुर, धमत्तरी, राजनांदगाँव	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान (हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, , PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, WRD, Departmenet of Animal Husbandry, Food and Education Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	

15	**पशु संघर्ष**	**वर्ष भर**	सरगुजा, जशपुर, बलोद , धमतरी	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			कोंडागांव, बस्तर, राजनांदगाँव, रायपुर, सुकमा बीजापुर	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoEF, MoPR, MoAFW
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान (हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	
16	**भगदड**	**वर्ष भर**	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव दंतेवाड़ा, बस्तर, जांजगीर चाम्पा, कोरबा, रायगढ़ , बिलासपुर, मुंगेली	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			सुकमा, बेमेतरा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बलोदा बाजार	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, NDMA, NDRF, MoUD,MoRD, MoPR
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान (हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, Relief Commissioner,SDRF, Home Department, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, Deaprtmenet of Transport
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	

17	**ओद्योगिक दुर्घटनाये**	**वर्ष भर**	रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा , मुंगेली, बस्तर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगॉव	**उच्च**	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	**केंद्र स्तर पर**
			सरगुजा , महासमुंद , धमत्तरी, कबीरधाम	**मध्य**	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, NDMA, NDRF, MoEFCC, MoCI, MoSME
			अंन्य जिले	**निम्न**	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान (हर महीने)	**राज्य स्तर पर**
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दोरान	SDMA, Relief Commissioner,SDRF, State Police, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, DoCI
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)	

तालिका 45: आपदाओ का वार्षिक कैलेंडर

खण्ड – 2

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुकमा
(आपदा प्रबंधन योजना)
विषय सूची/क्रम सूची

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	**योजना तैयारी**	**1–17**
1.1	सामान्य तैयारियॉ एवं उपाय	1–4
1.1.1	नियंत्रण कक्ष की स्थापना	1–2
1.1.2	योजनाओं का नवीनीकरण	3
1.1.3	संचार तंत्र	3
1.1.4	आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	3
1.1.5	अनुकर्णीय अभ्यास व्यवस्थापन	3
1.1.6	विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता	4
1.2	पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया	4–5
1.3	तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया)	5–6
1.4	आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)	7
1.5	आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र	7–8
1.6	सामान्य तैयारी चेकलिस्ट	8–9
1.7	विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)	9–17
2	**रोकथाम और न्युनीकरण के उपाय**	**18–26**
2.1	खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक निवारण उपाय	18
2.1.1	खतरा : बाढ़	19–20
2.1.2	खतराः सूखा	21–22
2.1.3	जोखिमः सड़क दुर्घटनाए	23
2.1.4	जोखिमः महामारी	24
2.1.5	खतराः आग	25
2.1.6	जोखिमः लू	26
3	**आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना**	**27–39**
3.1	क्षमता निर्माण	27
3.2	आपदा जोखिम न्युनीकरण (डी.आर.आर.) के लिए सुझाव	28–32
3.3	विकास की राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी–आर–आर– मुख्य धारा में	33–35
3.4	विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी–आर–आर– मुख्य धारा में	36–39
4	**जलवायु परिवर्तन क्रियाएं**	**40–46**
5	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय**	**47–52**
5.1	क्षमता निर्माण	47
5.2	संस्थागत क्षमता निर्माण	47–48
5.3	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)	48
5.4	भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	49–51
5.5	सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन	51–52

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1– पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया	5
2	तालिका 2– तत्काल पूर्व आपदा में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद)	6
3	तालिका 3– आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)	7
4	तालिका 4– आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र	8
5	तालिका 5– विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)	17
6	तालिका 6– बाढ़ खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	19
7	तालिका 7– बाढ़ खतरा के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय	20
8	तालिका 8– सूखा खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	21
9	तालिका 9– सूखे के खतरे के लिए गैर–संरचनात्मक निवारण उपाय	22
10	तालिका 10– सड़क दुर्घटना के खतरा हेतु संरचनात्मक निवारण उपाय	23
11	तालिका 11– सड़क दुर्घटना खतरा के लिए गरै – संरचनात्मक निवारण उपाय	23
12	तालिका 12– महामारी खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	24
13	तालिका 13– महामारी खतरे के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय	24
14	तालिका 14– आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	25
15	तालिका 15– आग के खतरे के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय	25
16	तालिका 16– लू के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	26
17	तालिका 17– लू के खतरे के लिये गैर–संरचनात्मक निवारण उपाय	26
18	तालिका 18– डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल	32
19	तालिका 19– विकास राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में	35
20	तालिका 20– विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजिनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में	39
21	तालिका 21– जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित गतिविधियाँ	45
22	तालिका 22– जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल	46
23	तालिका 23– प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	51
24	तालिका 24– सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन	52

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1– जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र	2

1. योजना की तैयारी

इस योजना का उद्देश्य आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार, समुदायों और व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से संलग्न होना है जिससे आपदा के समय किसी भी परिस्थितियों में समन्वित तरीके से तत्काल प्रतिक्रिया मिल सके। लोगों के जीवन और पूंजी–संपत्ति को बचाने हेतु आपदाओं के संभावित प्रभाव को कम करना अनिवार्य है। हर लाइन विभाग ने संवेदनशीलता, खतरों और समुदाय की क्षमताओं और असुरक्षित समूहों का मानचित्रण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपातकाल के दौरान तैयारी की गतिविधियों को प्राथमिकता दी है।

जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया के दौरान संस्थाओं और संसाधनों की क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाना इसका लक्ष्य है। रायपुर की जिला आपदा प्रबंधन योजना, समुदायों और विभिन्न हितधारकों की मदद से तैयार की गई है।

1.1 सामान्य तैयारियॉं एवं उपाय –

1.1.1 नियंत्रण कक्ष की स्थापना –

जिला प्रशासन की एक अलग आपदा प्रबंधन समिति होती है। जिला कलेक्टर और सीईओ, जो आपदा के कार्यों में केन्द्र बिंदु की तरह अपनी भुमिका निभाते हैं, साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष की निगरानी करते हैं। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थापना के बाद सभी नियंत्रण कक्ष काम करते रहें।

नियंत्रण कक्ष द्वारा चेतावनी के प्रचार–प्रसार, राहत व बचाव कार्यों की निगरानी, तैयारियों का आकलन, मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयार करने, आपदा संवेदनशीलता का आकलन, समुदाय आधारित जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, अनुकर्णीय अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता फैलाना आपदा तैयारियों के बारे में नजर रखा जाता है। वर्तमान में, राजस्व विभाग अन्य सम्बंधित विभागों के साथ समन्वय कर नियंत्रण कक्ष संचालित करता है।

- **नियंत्रण कक्ष की तैयारी –**
  - आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी ।
  - जिला नियंत्रण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का उचित प्रचार–प्रसार ।
  - आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम पर नजर रखना, और समय–समय पर चेतावनी देना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य होने से रोकें।
  - सभी सार्वजनिक संस्थानों, एनजीओ/निजी क्षेत्र संगठनों के संपर्क विवरण को बनाए रखना, जिससे आपातकाल के दौरान प्रयोग में लाया जा सकें ।

- योजनाओं की तैयारी में जीआईएस और आर.एस. जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।
- संवेदनशील क्षेत्रों के रिकॉर्ड, बचाव और राहत कार्यों की निगरानी, निर्णय लेना और डेटाबेस आदि का प्रबंधन करना।
- जिले में स्थिति के अनुसार जिला नियंत्रण कक्ष प्रणाली का सुधारीकरण, नवीनीकरण करना और संसाधनों की एक सूची बनाए रखना ।
- जलवायु, बाढ़, हवा की गति और पिछले आपदाओं के इतिहास की आवृत्तियों के आंकड़ों के साथ–साथ नक्शे का रिकॉर्ड अद्यतन करना।
- विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और स्कूल शिक्षा और समुदायों में प्रभावी सार्वजनिक जागरूकता लाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि योजनायें सबसे निचले स्तर तक पहुँच गईं हैं।
- विभिन्न ग्राम पंचायतों और गांवों की आपदा से खतरों पर विभागों से नियमित आधार पर जानकारी प्राप्त करें ।

जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र :

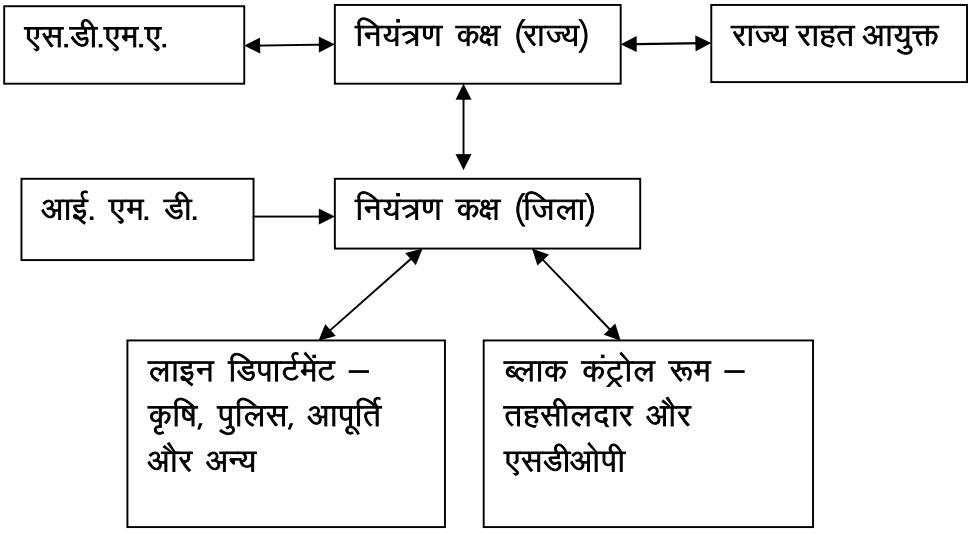

चित्र 1 - जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र

1.1.2 योजनाओं का नवीनीकरण –

विभिन्न हितधारकों, गैर–सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र संगठनों, समुदायों से प्रतिक्रिया दस्तावेज जिला आपदा प्रबंधन योजना में सुधार के सुझावों पर विचार करने के लिए डी.डी.एम.पी. को डी.एम.एक्ट 2005 के अनुसार प्रतिवषे में अपडेट किया जाना चाहिए।

1.1.3 संचार तंत्र –

उप–विभाजन, तहसील या ब्लॉक के मामले में, सम्बंधित मुख्यालयों, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, विकासखण्ड मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), घटना कमांडर (आईसी) के रूप में अपने सम्बन्धित बचाव दल आईआरटी में और ऑपरेशंस सेक्शन चीफ (ओएससी) का चयन जिले में आपदाओं के रूप के अनुसार किया जायेगा। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि आई.आर.टी. जिला, उप–प्रभाग, तहसील या ब्लॉक स्तर पर और आपदा अधिनियम (डीएम एक्ट), 2005 की धारा 31 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना में एकीकृत आईआरएस का गठन किया गया है। यह मौजूदा पुलिस, अग्नि शमन तथा मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के आपातकालीन नंबर को सुनिश्चित कर सकता है जो कि प्रतिक्रिया, आदेश और नियंत्रण के आपातकालीन संचालन केंद्र (ई. ओ.सी.) से जुड़ा हुआ है।

1.1.4 आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण –

आपदा प्रबंधन समितियों की क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण और कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। डीएमटी में सदस्यों के समूह शामिल हैं, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष स्वयंसेवक होते हैं। आपदा जोखिम में कमी और शमन योजना के लिए प्रशिक्षण नियमित प्रक्रिया होना चाहिए। डीएमटी को जिला स्तर पर आपदा की स्थिति में खोज व बचाव और प्राथमिक चिकित्सा टीमों के लिए विशेष कार्य सौंपा जाता है।

1.1.5 अनुकर्णीय अभ्यास व्यवस्थापन –

संवेदनशील क्षेत्रों के समन्वय के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं पर अनुकर्णीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इससे तैयारियों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिलती है। स्कूलों और कालेजों में भी डीएम प्लान और नियमित अनुकर्णीय अभ्यास की नियमित रूप से व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

1.1.6 विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता –

सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम समुदायों को सभी स्तरों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए घर से जिला स्तर तक आपदाओं के लिए तैयार करने में मदद करता है। आपदा के समय जिला प्रबंधन समिति हर घर और हर गाँव तक तुरंत पहुंच नहीं सकती है। समुदाय किसी भी दुर्घटना का पहला उत्तरदाता है और अपने जोखिम और कमजोरियों को कम करने के लिए कुछ परंपरागत तकनीकों का विकास करता है। एक आम क्षेत्र में रहने वाले समुदायों में युवाओ, महिलाओं, पुरुषों, छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न हितधारकों का समावेश होता है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों, गांवों, वार्ड, मलिन बस्तियों जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक साथ रहते हैं। आपदा के प्रति सामुदायिक जागरूकता समुदाय को उसकी शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जिम्मेदार बना सकती है। किसी भी आपदा तैयारियों और जागरूकता में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण कारक होती है।

1.2 पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. की समन्वय प्रक्रिया

आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन योजना पिछले अनुभवों के साथ–साथ जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए सुझावों और जानकारियों पर भी आधारित होती है। पूर्व और बाद के आपदा के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए रणनीति विकसित की गई है। जिले में उप–विभागीय और जिले के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं जो क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम करते हैं। वे बचाव और राहत कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, और जिला मजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष आदेश के तहत दैनिक रूप से स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
जिला स्तर समिति के साथ समन्वय	गोदाम और खाद्य भंडारण के लिए राहत और प्रतिक्रिया संबंधी एहतियाती उपाय करना	जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र
कमजोर अंक का मानचित्रण	2 कमजोर स्पॉट का नियमित मानचित्रण निवारक उपायों की योजना और कार्यान्वयन 3 पूर्व चेतावनी	वरिष्ठ उप कलेक्टर, सीईओ (जनपद पंचायत), कार्यकारी अभियंता
आवश्यक वस्तुएं	ग्राम पंचायत में अनाज, मिट्टी के तेल, ईंधन का भण्डार	सी.ई.ओ. (जनपद पंचायत), बीडीओ

आश्रय का चयन	आपातकाल की अवधि के दौरान व्यवस्थित आश्रय	अतिरिक्त कलेक्टर, सी.ई.ओ. (जनपद पंचायत) के माध्यम से और स्थानीय लोग
दवाई, मोबाइल टीमों की स्थापना, महामारी प्रवण क्षेत्रों की पहचान	दवाओं का एक स्टॉक रखते हुए कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल	सी.एम.ओ., सिविल सर्जन
पशुओं के लिए भोजन और चारा की व्यवस्था करना	स्टॉक बनाए रखना	पशु चिकित्सा सहायता सर्जन (वी.ए.एस.), (पशुपालन)
अनुकर्णीय अभ्यास का आयोजन	• जागरूकता पैदा करना • प्रशिक्षण की तैयारी	जिला स्तर के अधिकारी

तलिका 1: पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया

1.3 तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया)

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
सूचना का संग्रह	आई.एम.डी./एसआरसी नियंत्रण कक्ष/ डी.ई.ओ.सी. से	डीईओसी
सूचना प्रसार	डीईओसी से सभी लाइन विभाग	डी.ई.ओ.सी., लाइन विभाग के प्रमुख, उप जिलाधिकारी, जनसम्पर्क. विभाग
तत्काल स्थापित करने और नियंत्रण कक्ष बचाव और निकासी के कामकाज	निकास आश्रयों की पहचान रसद आपूर्ति	नागरिक रक्षा इकाई, पुलिस विभाग सशस्त्र बलों, अग्नि ामन अधिकारी, फायर ऑफिस, रेड–क्रॉस टीम बचाव किट के साथ तैयार है जो उन्हें डी.ई.ओ.सी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है
मुफ्त रसोईघर की व्यवस्था	बचाए गए लोगों को तत्काल	बीडीओ/सी.डी.पी.ओ./गैर

	भोजन देने का प्रावधान	सरकारी संगठन
स्वछता और दवाएं	महामारी और संक्रमण की रोकथाम	पी.एच.ई. के मुख्य कार्यपालन अभियंता तथा सिविल सर्जन
प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री की ढुलाई सुनिश्चित करना	प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की समय पर पहुंच सुनिश्चित करना	डी.एस.ओ./ एस.डी.एम./आर.टी. ओ.
जीवन और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना	असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम	डीएसपी/ इंस्पेक्टर/ प्रभावित ब्लॉक के एसआई, गैर सरकारी संगठन
सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना	महामारी की स्थापना की जाँच करना	मुख्य कार्यपालन अभियंता, पी.एच.ई. सी.एम.एच.ओ.
स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 24 घंटे में क्षेत्र स्तर के अधिकारीयों की बैठक	बेहतर समन्वय	डीएम, जिला स्तर पर डीसी, उप प्रभागीय स्तर पर एसडीएम
ईओसी के मुख्य समूह द्वारा सूचना का संग्रह और संबंधित अधिकारीयों की दैनिक रिपोर्टिंग करना	क्षेत्र, जिला और राज्य नियंत्रण कक्ष के बीच त्रिकोणीय सम्बन्ध	ईओसी के कोर समूह/ लाइन विभागों के अधिकारी
वाहनों की अनुमानित संख्या–हल्के/ मध्यम/ भारी	राहत कार्यों के लिए सुगम परिवहन सुनिश्चित करना	डी.टी.ओ .
सड़क क्लीनर/ और अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था करना	• सड़कों की सफाई • गिरे हुए पेड़ों को हटाना • मलबे आदि को साफ करना	डी.टी.ओ. कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता–नगर पंचायत
जनरेटर से भरे हुए ट्रकों की व्यवस्था करना	आपदा खत्म हो जाने के तुरंत बाद क्षेत्र में जाना	डी.टी.ओ.

तलिका 2: तत्काल पूर्व आपदा जस्थनत में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद)

1.4 आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली) –

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
आपदा के तुरंत बाद कार्यवाही के लिए तैयार हो जाना	फंसे और घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए	सभी लाइन विभाग और हितधारक
नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यात्मक	आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए	जिला नियंत्रण कक्ष, सभी लाइन विभाग, सी.ई.ओ.
प्रावधानों के अनुसार राहत का वितरण	जीवित रहने के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना	एस.डी.एम., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन

तालिका 3: आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)

1.5 आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र –

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
सावधानों के अनुसार राहत वितरित करना	जीवित रहने के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना	एस.डी.एम., बी.डी.ओ., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन
क्षति का आकलन	सरकार को वास्तविक क्षति रिपोर्ट करना	सभी लाइन विभाग, सी.ओ., कार्यपालन अभियंता, उप कलेक्टर
बाह्य एजेंसियों द्वारा राहत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन	राहत प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखना	डी.एम., एस.डी.एम.
सड़क और रेलवे नेटवर्क की पुनर्स्थापना	समय पर और शीघ्र वितरण राहत वस्तुओं का परिवहन, बचाव दल की तैनाती	संबंधित विभागों के कार्यपालन अभियंता, सैन्य और अर्धसैनिक बल, पुलिस
इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली को बहाल करना	उचित समन्वय सम्बन्ध सुनिश्चित करना	बीएसएनएल, पुलिस संकेतों के विशेषज्ञ

प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त रसोईघर की तत्काल व्यवस्था	भूखमरी से बचना	उप कलेक्टर, बी.डी.ओ, लाइन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
संपूर्ण घटना का लिखित, ऑडियो, विडियो	रिपोर्टिंग प्रयोजनों और संस्थागत मेमोरी के लिए	एस.डी.एम., सी.ई.ओ.
निगरानी	राहत कायों की समीक्षा करने और बाधाओं को दूर करने के लिए	डी.एम., डी.सी., एस.डी.एम.

तालिका 4: आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र

1.6 सामान्य तैयारी चेकलिस्ट –

1. कलेक्टर (डीडीएमए के अध्यक्ष) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाइन विभाग द्वारा तैयार जांच सूची का पालन किया जाए और मासिक बैठकों में इसकी स्थिति की चर्चा की जावे।

2. प्रत्येक लाइन विभाग के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा तैयार चेकलिस्ट के अनुसार विधिवत किसी भी आपातकालीन/आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

3. प्रत्येक लाइन विभागों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची तिमाही आधार पर बनाए और अद्यतन किया जाए और इसे जिला राजस्व अधिकारी को जमा कर दिया जाए।

   - अपने विभाग के मानव संसाधनों में उनके अपडेट किए गए संपर्क नंबरों के साथ कोई भी परिवर्तन जोड़ना, यदि कोई हो।
   - प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों से उपकरण सूची तथा सम्बंधित संसाधनों को जोड़ना।

4. जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ) की सहायता से तिमाही आधार पर जिला प्रशासन और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) की वेबसाइट पर इसे अपडेट और अपलोड किया गया है।

5. प्रत्येक लाइन विभागों के नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन गतिविधि के लिए संसाधन/उपकरण की मांग के बारे में जो कि सरकारी और निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध न हो, सीधे कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे।

6. डीएमए निम्नलिखित सुविधाओं के साथ आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करेगा

- योजना और रसद अनुभाग प्रमुख और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह
- लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, वॉकी–टॉकी, हैमर रेडियो, प्रिंटर सुविधा के साथ कंप्यूटर/ लैपटॉप, ईमेल सुविधा, फैक्स मशीन, टेलीविजन इत्यादि सहित पर्याप्त संचार उपकरणों के साथ नियंत्रण कक्ष के लिए पर्याप्त जगह।
- एलसीडी, कंप्यूटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ बैठक, सम्मेलन, मीडिया ब्रीफिंग के लिए उचित जगह सुनिश्चित करें।
- जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची और पड़ोसी जिलों (**मलकानगिरी-ओडिशा ईस्ट गोदावरी आंध्रप्रदेश जगदलपुर दंतेवाडा)** का एक नोट, राज्य की आपदा प्रबंधन संसाधन सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना की उपलब्धता।

1.7 विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.) –

विभागवार तैयार चेकलिस्ट

विभाग	तैयार चेकलिस्ट
डी.डी.एम.ए.	• सभी तहसीलों में वर्षा मापी यंत्र की नियमित निगरानी और वर्षा में वितरण और विविधता के लिए डेटाबेस अद्यतन करना। • हर साल 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण आदेश तैयार करना और तहसीलदार, सरपंच, पटवारी आदि के माध्यम से गांव के स्तर पर प्रारंभिक चेतावनी के लिए उचित तंत्र सुनिश्चित करना। • पूरी तरह से कार्यात्मक संसाधनों और बचाव उपकरणों की उपलब्धता के साथ डीईओसी के उचित कार्य पद्धति सुनिश्चित करें। • महत्वपूर्ण और जीवन रक्षा बुनियादी ढांचे के डेटाबेस की तैयारी, निकासी के लिए सुरक्षित स्थान और सालाना जिले में राहत शिविरों की अद्यतन सूची। • नुकसान के लिए विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों से सक्षम व्यक्तियों/विशेषज्ञों की पहचान करें और आपदा के पश्चात की जरूरतों का मूल्यांकन करें। • जिले में स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय रखें और पीड़ितों या मृतकों के

	परिवारों को मुआवजे के वितरण के लिए उचित तंत्र तैयार करें।
कृषि	• कृषि आकस्मिक योजनाओं की तैयारी और कीट उपद्रव, सूखा, बाढ़ और अन्य खतरों से ग्रस्त कमजोर क्षेत्रों की पहचान। • जिला स्तर पर एक मौसम/सूखा निगरानी समिति का गठन (सूखे प्रबंधन के लिए "मॉडल मैनुअल", भारत सरकार के अनुसार) कृषि इनपुट, क्रेडिट विस्तार इत्यादि से, संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ गठित करना। • किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उनके द्वारा नए कृषि प्रथाओं, वैकल्पिक फसल प्रथाओं, बीजों का उचित भंडारण और आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा सके। • खतरे के लिए कमजोर क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से टूटे/गैर–कार्यशील गैजेट/उपकरण और अन्य कृषि इनपुट के तत्काल प्रतिस्थापन के लिए बीजों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। • मिट्टी, फसल, वृक्षारोपण, जल निकासी, तटबंध, अन्य जल निकायों और भंडारण सुविधाओं के कारण होने वाली क्षति जो कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है, के आकलन करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जीत टीम तैयार करें। • किसानों को फसल बीमा, मुआवजों, कृषि उपकरणों की मरम्मत और जल्द से जल्द कृषि गतिविधियों को बहाल करने के बारे में समय–समय पर जानकारी प्रदान करने में सहायता करें। • फीड और चारा के स्रोतों की पहचान करें।
पशुपालन	• बीमार और स्वस्थ जानवरों को अलग करना और संक्रामक बीमारियों से पीड़ित जानवरों को खिलाने और पानी के लिए व्यवस्था करना। उपरोक्त समस्याओं के लिए किसानों/मालिकों को संवेदनशील बनायें। • जगह पर उचित कीटाणुशोधन सुनिश्चित करें, संक्रामक बीमारियों से बीमार/संक्रमित और मृत जानवरों के लिए वाहन और जनशक्ति को शामिल करें और निपटान में पूरी तरह कार्यात्मक पशु चिकित्सा इकाई को सक्रिय करें। • जानवरों की देखभाल के लिए काम कर रहे पशु चिकित्सा अस्पतालों/क्लीनिकों और एजेंसियों का डेटाबेस तैयार करें, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। • पहले ही फीड बैंकों को भरने के साथ–साथ मिनरल्स और खाद्य की खुराक, जीवनरक्षक दवाओं, इलेक्ट्रोलाइट्स, टीकों आदि के स्टॉक की उपलब्धता की

	जांच करें। • मॉनसून की शुरुआत से पहले किसानों को पशुओं के चारा की सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाना। • सूखे की स्थिति के लिए कुक्कुट पक्षियों की फीड तैयार करें और मॉनसून के दौरान जलमग्न की स्थिति में फीड और चारा बैंकों का पता लगाएं। • चारा की खरीद के लिए स्रोत की पहचान करें और जिले के भीतर चारा डिपो और मवेशी शिविरों के लिए सुरक्षित स्थान और पीने एवं बढ़ने वाले चारे के लिए पानी का स्रोत प्रदान करें। • गर्मी और भीत लहरों के दौरान शेड को कवर करने के लिए तिरपाल शीट का उपयोग करें। • उत्पादक और स्तनपान करने वाले जानवरों की विशेष देखभाल करना, अतिरिक्त चारा और अन्य आवश्यकताओं के साथ। • मवेशी, भेड़, बकरियों, और सूअरों के लिए डी–वर्मिंग और टीकाकरण के उचित प्रशासन सुनिश्चित करें और रोग प्रबंधन के लिए अन्य उचित उपाय करें। • मृत जानवरों के दफन के लिए जगह की पहचान करें और शव का उचित निपटान सुनिश्चित करें।
शिक्षा	• छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य सहायकों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करें। आपात स्थिति में विभिन्न खतरों और सुरक्षित निकासी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन कार्यक्रमों को केंद्रित करें। • नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा के अनुसार स्वच्छता बढ़ाने वाली गतिविधियों का संचालन करें। • प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा किट की तैयारी। • आपात स्थिति के मामले में राहत आश्रय के रूप में कार्य करने वाली स्कूलों और कॉलेजों की पहचान करना।
सी.एस.ई.बी.	• जिले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का डेटाबेस तैयार करें और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार करें। • प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए और तत्काल प्रतिस्थापन/ बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए प्रावधान करें।

	• बाढ़ के पानी निकास और रोशनी के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में शॉर्ट नोटिस पर विद्युत कनेक्शन और सिस्टम प्रदान करना। • जब भी आवश्यक हो तत्काल कार्रवाई के लिए ट्रांसफॉर्मर, खम्बों, कंडक्टर, केबल्स, इंसुलेटर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
अग्नि सेवाएं	• अग्निशमन उपकरण, और श्वसन उपकरण की कार्यात्मकता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करें। • स्कूलों, अस्पतालों, अपार्टमेंट, मनोरंजन क्षेत्रों, मॉल, सिनेमाघरों जैसी सभी महत्वपूर्ण इमारतों में चमकते संकेत के साथ स्पष्ट और उचित स्केच किए गए मानचित्रों और चिन्हित निकासी मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, निकासी योजनाओं आदि के अनुसार नियमित निकासी अभ्यासों (evacuation plan) की व्यवस्था करें। • निजी एजेंसियों और अग्नि ामन स्टेशन के साथ प्रदान की गई मौजूदा अग्निशामक सेवाओं और सुविधाओं का डेटाबेस बनाएं।
खाद्य सामग्री	• जिले में गोदामों और शीत भंडारण सुविधाओं का डेटाबेस तैयार करें और जलरोधक, आग और अन्य संभावित खतरों के खिलाफ उठाए गए सुरक्षा उपाय तैयार करें। • कमी या आपातकालीन अवधि के संदर्भ में गोदामों में पर्याप्त अनाज भंडारण की उपलब्धता सुनिश्चित करें और गैस सिलेंडरों, केरोसिन के पर्याप्त स्टॉक की जांच भी करें। • यदि आवश्यक हो तो अनाज के लिए पूर्व–निर्धारित सुरक्षित स्थान तैयार रखें। • केरोसिन डिपो, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों आदि का डेटाबेस तैयार करें। • निजी रीटेलर्स, खाद्य वस्तुओं के थोक व्यापारी, खानपान सेवा के प्रदाता और खराब होने वाले खाद्य वस्तुओं के लिए रेफ्रिजेरेटेड वाहनों के प्रदाता का डेटाबेस बनाए रखें। • टेंट, टैरपॉलिन चादरें, खम्बों, खाना पकाने के बर्तन, पॉलीथीन बैग, कफन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निजी प्रदाताओं का डेटाबेस तैयार करें जिनका उपयोग समुदाय रसोई और श्मशान व दफन के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
वन विभाग	• अग्नि बचाव उपकरण और वाहनों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें।

	• प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में होने वाली अपराधिक घटनाओं का निरिक्षण करें। • जंगल में लगने वाली आग के सम्बन्ध में जानवरों के लिए एक निकासी योजना तैयार करें। • आरा मशीन धारकों और बढ़ई का डेटाबेस बनाए रखें। • जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए टीम तैयार करें ताकि उन्हें रहने वाले क्षेत्रों, राहत शिविरों आदि में प्रवेश करने से रोका जा सके।
आर.टी.ओ.	• आग बुझाने वाले यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट इत्यादि सहित वाहन और उपकरण की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। • उपकरण और वाहनों की त्वरित मरम्मत के लिए यांत्रिक टीम (Mechanical Team) तैयार करें, प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों और कंडक्टर की उपलब्धता की जांच करें। • बचाव कार्यों के लिए वाहनों की पहचान करें और बड़े पैमाने पर निकासी, प्रतिक्रिया टीमों के परिवहन, राहत वस्तुओं, पीड़ितों आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वाहनों की त्वरित तैनाती के लिए तैयार करें। • संभावित खतरनाक मार्गों से ड्राइवरों को परिचित करना और घटना यातायात योजना का पालन करना। • स्कूलों, कॉलेजों और अन्य निजी एजेंसियों के साथ उपलब्ध निजी वाहनों का डेटाबेस बनाएं, ताकि यदि आवश्यक हो, तो इसका उपयोग निकासी के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
स्वास्थ्य	• आपातकालीन साइटों पर प्रशिक्षित मेडिकल टीमों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक सामग्रियों को तैयार रखने के लिए पैरामेडिक्स की एक टीम तैयार करें। • सामान्य रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए और विशेष रूप से आपदा की स्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं की योजना विकसित करें। • स्वच्छता को बढ़ावा प्रदान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सीएचसी/पीएचसी और पंचायतों की मदद से जागरूकता शिविर आयोजित करें। • दवाइयों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह, दवाइयों के स्टॉक की उपलब्धता, जीवन रक्षा उपकरण और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल एक्स–रे मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, ट्रायेज टैग इत्यादि सहित पोर्टेबल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

	• इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के साथ पंजीकृत डॉक्टरों का डेटाबेस तैयार करें जो सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपलब्ध हों तथा इसे सालाना अपडेट करें। • सरकार, निजी एजेंसियों और जिला रोटरी/लायंस क्लब से उपलब्ध एम्बुलेंस सेवाओं का डेटाबेस तैयार करें, यदि कोई हो, । • जिले में रक्त दाताओं का डेटाबेस बनाए रखें और डीडीएमआरआई में इसे अपडेट करें और रक्त इकाइयों की पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता की जांच करें। • चालक और एम्बुलेंस परिचारिकाओं और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में प्रशिक्षित करें। • आपदा प्रभावित क्षेत्र के पास अस्थायी अस्पतालों, मोबाइल सर्जिकल इकाइयों आदि की त्वरित स्थापना के लिए तैयारी रखें। • चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए उचित और सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करें। • बड़े पैमाने पर दुर्घटना प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था और अस्पताल का विवरण रखें।
सिंचाई	• बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सतही जल निकायों के जल स्तर की निगरानी के लिए उचित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करें। • झीलों और जलाशयों आदि के नियामक(regulator), तटबंध, इनलेट और आउटलेट (निकासी) की स्थितियों का निरीक्षण। • नदियों और नहरों पर डी–सिलिंग और ड्रेजिंग और चेनलों की तत्काल मरम्मत। • डिवाटरिंग पंप समेत सभी उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। • प्रभावित पशुधन और कुक्कुट के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करें।
नगर पालिका	• क्षेत्र में बाढ़ के पश्चात की स्थितियों को देखते हुए स्वच्छता संचालन तैयार करें। • मानसून के मौसम से पहले नालियों की सफाई सुनिश्चित करें। • उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा आश्रय और राहत शिविरों, खाद्य केंद्रों और प्रभावित क्षेत्र में अपशिष्ट का निपटान करने के लिए योजना तैयार करें। • ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जांच करें। • आपातकाल के दौरान नियंत्रण कक्ष, चिकित्सा या आश्रय के लिए विभिन्न स्थानों पर भवन/गेस्ट हाउस प्रदान करने की योजना बनायें।

पुलिस	• पुलिस स्टेशनों और पुलिस द्वारा विभिन्न खतरों की प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक तंत्र (mechanism) विकसित करना। • पर्यटक स्थानों, वार्षिक प्रदर्शनी और कुंभ मेला पर गार्ड की उपलब्धता की जांच करें जहां भगदढ़ की संभावना हो। • विभाग में मौजूदा वायरलेस सिस्टम में किसी भी नुकसान के स्थिति में जिला और तहसीलों के बीच अस्थायी वायरलेस सिस्टम की स्थापना। • शॉर्ट नोटिस पर आवश्यक साइट पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए पुलिस के संचार शाखा को प्रशिक्षित करें। • दंगों, भगदड़, आपात स्थिति, अन्य कानून और व्यवस्था के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करें। • प्रभावित समुदाय की संपत्ति की सुरक्षा के लिए गृह रक्षक और अन्य स्वयंसेवकों की तैनाती योजना तैयार करें। • मृत शरीर और प्रभावित साइटों से बरामद सामान और संपत्ति की हिरासत के लिए उचित व्यवस्था के लिए तैयार करें। • पुलिस और पीसीआर वैन के कर्मचारियों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना चाहिए और उपलब्ध उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना चाहिए। • प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में पीसीआर वैन के पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। • मृत शरीरों के चोरी और झूठे दावों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करें। • आपातकालीन/प्रभावित क्षेत्रों, पारगमन शिविर, राहत शिविर, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, मवेशी शिविर और भोजन केंद्रों में बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था करें। • पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस, बीडीएस और कुत्ते दस्ते के आरक्षित बटालियनों के टेलीफोन नंबर और डेटाबेस रखें। • खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशामक आदि में प्रशिक्षित टीम तैयार करें। • स्वयंसेवकों और उपकरणों का डेटाबेस बनाए रखें और डीडीएमआरआई और पुलिस स्टेशन के विवरण अपडेट करें।

पी. सी.बी.	• जिलों में खतरनाक रसायनों और प्रदूषकों का डेटाबेस तैयार करें और पर्यावरण पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव तैयार करें। • इसके विघटन के तरीकों और तकनीकों को अपनायें।
पी.एच.ई.	• सभी उपलब्ध उपकरणों और वाहनों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की जांच करें। • प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, जल शुद्ध करने वाली गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर और सार्वजनिक जल संसाधनों के क्लोरिनेशन की व्यवस्था करें, और राहत शिविरों और आश्रयों और पीने वाले पानी के आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों के डेटाबेस भी तैयार रखें। • पीने योग्य पानी, सीवरेज सिस्टम और पेयजल आपूर्ति वाली पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत के लिए तैयार करें। • पानी पंप चलाने के लिए जेनरेटर की व्यवस्था करें। • मानसून से पहले बाढ़ की अवधि के दौरान पशुओं को भूमिगत पानी प्रदान करने के लिए आवश्यक होने पर, ट्यूबवेल कुओं की स्थापना सुनिश्चित करें। • पानी की टैंकरों, ड्रम की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करें या अपने निजी आपूर्तिकर्ताओं को पानी की आपूर्ति, कमी अवधि और आपातकाल के लिए तैयार रखें। • अस्पतालों, फायर टेंडर और अन्य आवश्यक जीवन रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए पानी की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें। • प्रभावित क्षेत्र और राहत शिविरों में अस्थायी शौचालय के त्वरित प्रावधान तैयार करें। • सिंचाई विभाग के समन्वय में जिले में तालाबों, झीलों की बहाली सुनिश्चित करें।
जनसंपर्क	• समुदाय में जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना। • अफवाह नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित जन संपर्क प्रणाली तैयार करें। • समय–समय पर जनता को जानकारी जारी करने के लिए मीडिया का प्रबंध करना, आपातकालीन संपर्क विभाग/कर्मियों का डेटाबेस तैयार रखें।

	• जिले में सभी संभावित खतरों के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं का डेटाबेस बना कर रखें। • पुस्तकों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म शो, समाचार पत्र, वृत्तचित्र फिल्मों, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से जानकारी को प्रचारित करें।
पी.डब्लू.डी.	• क्रेन, जेसीबी जैसे भारी उपकरणों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली का डेटा बेस तैयार करें । • मलबे की निकासी, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पुल, पुलिया और फ्लाईओवर की मरम्मत सुनिश्चित करें • प्रभावित क्षेत्र से यातायात को हटाने के लिए नई अस्थायी सड़कों का निर्माण, शॉर्ट नोटिस पर चिकित्सक, अस्थायी आश्रय आदि जैसी अस्थायी सुविधाएं जैसी योजनायें तैयार रखें। • वी.वी.आईपी यात्राओं के लिए प्रभावित साइट के पास हेलीपैड की तत्काल स्थापना। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की बहाली सुनिश्चित करें।

तालिका 5: विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)

2. रोकथाम और न्युनीकरण के उपाय –

आपदा के जोखिम को कम करने में रोकथाम और शमन उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुनियादी ढांचे और सेवाओं में किए गए उपाय संरचनात्मक उपायों के प्रमुख, जबकि सूचनात्मक और नीतिगत तरीके से किए गए उपाय गैर–संरचनात्मक उपायों के प्रमुख के तहत आते हैं। संरचनात्मक शमन उपाय भौतिक कमजोरियों और गैर–संरचनात्मक शमन उपाय सामाजिक कमजोरियों के अंतर्गत आते हैं। विकास योजनाएं और आपदा निवारण उपाय दोनों निश्चित रूप से कमजोरियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए काम करती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे विकास योजनाओं का इस्तेमाल विभिन्न निवारण उपायों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। विकास योजनाओं के साथ शमन उपायों का विलय करने से इसका अधिकतम लाभ हो सकता है। निम्न कुछ विशेषताएं हैं, जिसे करने से पूरी की जा सकती हैं :–

- क्षमता निर्माण
- लघु अवधि के साथ ही लंबी अवधि की सतत विकास योजना बनाना
- तैयारियों को बढ़ाना
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण

2.1 खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक निवारण- संरचनात्मक निवारण में भूकंप के नुकसान को कम करने या इसे खत्म करने के लिए इमारत के संरचनात्मक तत्वों को भूकंपरोधी बनाया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, एक इमारत के संरचनात्मक तत्व ढांचे के रूप में कार्य करते हैं जो शेष भवन को सहारा देते हैं। इसमें नींव, भार सहने वाली दीवारें, खंभे (बीम), कॉलम, मंजिल प्रणाली (फ्लोर सिस्टम), छत प्रणाली (रूफ सिस्टम) के साथ–साथ इन तत्वों के बीच के संबंध शामिल हैं। इनमें से एक या एक से अधिक संरचनात्मक तत्वों की विफलता पूरी इमारत के विद्वंश का कारण बन सकती है। गैर–निर्माण संरचनाओं जैसे पुल, बांध, और उपयोगिता प्रणाली तत्वों के लिए संरचनात्मक निवारण उपायों को भी लागू किया जा सकता है।

गैर– संरचनात्मक निवारण

गैर–संरचनात्मक निवारण में एक इमारत के गैर–संरचनात्मक तत्वों का पुनः संयोजन किया जाता है। एक इमारत के गैर–संरचनात्मक तत्व वो होते हैं जो अप्रभावी होने पर उस इमारत को गिरने नहीं देते । इसमें बाहरी व आंतरिक तत्व, विद्युत, यांत्रिक और पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण शामिल हैं।

2.1.1 खतरा : बाढ़

संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
जल विलवणीकरण और जल प्रणाली का गहरीकरण	सिंचाई और ग्रामीण विकास	विभागीय कार्यक्रम और मनरेगा	नियमित
तटबंधों का निर्माण/ सुरक्षा दीवार	ग्रामीण विकास वन विभाग	विभागीय कार्यक्रम मनरेगा जलविभाजन समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	0 से 5 साल
विभागीय कार्यक्रम एवं मनरेगा,वाटरशेड, समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	विभागीय कार्यक्रम, मनरेगा	नियमित
बाढ़ के चैनल, नहरों, प्राकृतिक जल निकासी, तूफान के पानी की लाइनों की मरम्मत और रखरखाव	सिंचाई विभाग	विभागीय या विशेष योजना	0–1 साल
सुरक्षित आश्रयों का निर्माण (नया निर्माण विभिन्न आवास योजनाओं के माध्यम से)	जिला पंचायत		नियमित
संरक्षण दीवार और बांस व अतिक्रमण तथा भूमि के क्षरण से बचाव हेतु नदी के स्तर पर वनस्पति घेराव	वन और ग्रामीण विकास, कृषि विभाग	विभागीय योजनाएं, मनरेगा	0–6 महीने
नदी और तालाबों जैसे जल निकायों का अवमूल्यन करना	सिंचाई और ग्रामीण विकास	मनरेगा, भूमि विकास	नियमित

तलिका 6 : बाढ़ खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

बाढ़ के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभागा	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
मौजूदा और प्रस्तावित सुरक्षा लेखापरीक्षा के सुरक्षा ऑडिट	शिक्षा विभाग, स्वास्थय विभाग,पी.डब्ल्यू.डी., ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री आवास योजना अन्य आवास योजनाएं	नियमित
बांस, बेड़े जैसे पारंपरिक, स्थानीय और अभिनव प्रथाओं का प्रचार	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायत, मनोरंजनात्मक रिक्त स्थान, स्व–सहायता समूह, युवा समूह,सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन	आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना सभी स्तर पर	नियमित
स्वयंसेवकों और तकनीशियनों की क्षमता निर्माण	डी.डी.एम.ए.	आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना सभी स्तर पर	नियमित
पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करना	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रामीण विकास	विभागीय योजना	नियमित

तालिका 7 : बाढ़ खतरा के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.2 खतराः सूखा

सूखा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
आमसंपत्ति, बीज के खेतों और चारा भूमि में चरागाह का विकास	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ग्रामीणविकास पंचायत	विभागीय योजना, मनरेगा	0–3 साल
वर्षा जल संचयन भंडारण स्तर और सार्वजनिक भवन	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, युवा समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन	मनरेगा	0–3 साल
जल संचयन और रिचार्जिंग के लिए संरचनाएं जैसे कुआ, तालाब, चेक–डेम, बांध, खेत के तालाब	लोक निर्माण विभाग, डी.डी.सी., ग्रामीण विकास सिंचाई और जल संसाधन विभाग	मनरेगा, वाटरशेड कार्यक्रम, विभागीय योजना	0–3 साल
चारा भूमि का विकास/तटों की मरम्मत और रखरखाव, जल स्रोतों से नमक को निकालना,चेक बांध, हैंड पंप	डी.डी.एम.ए., कृषि विभाग, पशुपालन विभाग	डीडीएमपी विकास योजना	नियमित
मरम्मत और रखरखाव, पानी से नमक निकालना, चेक बांध, हाथ पंप	सिंचाई ग्रामीण विकास, जल संसाधन	मनरेगा , जल संसाधन	0–3 साल

तालिका 8 : सूखा खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

सूखे के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना / कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
सूखा प्रूफिंग / कमी कार्य के लिए काम को सूचीबद्ध करना, जिसमें पानी के निकायों की संभावित साइटों की पहचान शामिल है	ग्रामीण विकास, डी.डी. एम.ए.	मनरेगा	नियमित
सूखा प्रतिरोधी फसलों और पानी का कुशल उपयोग करने के लिए किसान को दि ाा–निर्दे ा	कृषि और बागवानी विभाग	विभागीय योजना	नियमित
प्रारंभिक अनसेट पर विनियमित जल उपयोग (तालाब,छोटे बांध, चेक बांध)के लिए नियंत्रण तंत्र सेट करें।	पंचायत		नियमित

तालिका 9 : सूखे के खतरे के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.3 जोखिमः सड़क दुर्घटनाएं

सड़क दुर्घटनाओं के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
भीड़ सड़क पर डिवाइडर का निर्माण	लोक निर्माण विभाग		
चौकों में यातायात संकेतों की व्यवस्था और रखरखाव	पी.डब्ल्यू.डी., पुलिस विभाग		
शहरों से गुजरने वाले राजमार्गों के लिए उपमार्ग सड़क का निर्माण	लोक निर्माण विभाग		
सड़कों, डिवाइडर, सड़क सुरक्षा प्रतीकों और गतिरोधक का रेट्रोफिटिंग और रखरखाव			

तालिका 10: सड़क दुर्घटना के खतरा हेतु संरचनात्मक निवारण उपाय

सड़क दुर्घटनाओं के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर– संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
राजमार्ग सुरक्षा गश्ती दल की स्थापना	पुलिस विभाग		हर दिन
पूरी तरह से प्रशिक्षित फायर ब्रिगेड कर्मी	सिटी फायर ब्रिगेड ऑफिस		मासिक प्रशिक्षण
सड़क सुरक्षा प्रतीकों और दीवार चित्रों के माध्यम से जागरूकता	यातायात नियंत्रण विभाग, आरटीओ	वाहन बीमा	
राजमार्ग के पास अस्पताल में सुविधाओं का उन्नयन	निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जिला स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य बीमा	

तालिका 11: सड़क दुर्घटना खतरा के लिए गरै – संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.4 जोखिमः महामारी

महामारी के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
निगरानी के लिए निगरानी केन्द्रों की स्थापना	जिला स्वास्थ्य विभाग	जिला विकास योजना	नियमित
आबादी के क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	जिला स्वास्थ्य विभाग	जिला विकास योजना	नियमित
ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन जैसे रक्त बैंक, शल्य चिकित्सा सुविधाएं और पैथोलॉजी इत्यादि	स्वास्थ्य मंत्रालय	जिला विकास योजना	नियमित

तालिका 12: महामारी खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

महामारी के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया तैयारी की आकस्मिक योजना	जिला स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्था	जिला विकास योजना	वार्षिक
स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्रण,दवाओं और टीकों की सूची, प्रयोगशाला की स्थापना, डॉक्टरों और कर्मचारियों की संख्या	जिला स्वास्थ्य विभाग		नियमित
प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण,सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम	शिक्षा विभाग, जिला स्वास्थ्य विभाग	सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	नियमित

तालिका 13: महामारी खतरे के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.5 खतराः आग

आग के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने की मशीन, रेत की बाल्टी की स्थापना	जिला अग्निशमन विभाग,लोक निर्माण विभाग		एक बार
आग/ धुआं अलार्म की स्थापना	जिला अग्निशमन विभाग,लोक निर्माण विभाग		एक बार
दिशा संकेत के अच्छी तरह से आग से बाहर निकलने का प्रावधान	जिला अग्निशमन विभाग,लोक निर्माण विभाग		एक बार
निर्माण में अग्निरोधक सामग्री का प्रयोग	लोक निर्माण विभाग		एक बार

तालिका 14: आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

आग के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
आपात योजना की तैयारी	जिला अग्निशमन विभाग	जिला विकास योजना	वार्षिक
निकासी योजना की तैयारी	जिला अग्निशमन विभाग	जिला विकास योजना	वार्षिक
अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण/शिक्षा	जिला अग्निशमन विभाग	सर्व शिक्षा अभियान	नियमित

तालिका 15 : आग के खतरे के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.6 जोखिम : लू

लू के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों का प्रावधान	जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग		वार्षिक
सूती कपड़े, ट्रम्पोलिन शीट, चिकित्सा, ओआरएस की व्यवस्था	जिला प्रशासन, डीडीएमए, जिला स्वास्थ्य विभाग		वार्षिक

तालिका 16 – लू के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

लू के लिए गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर– संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
लोगों को लू के बारे में चेतावनी देने के लिए चेतावनी तंत्र की व्यवस्था	जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए., जिला मौसम विज्ञान विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	वार्षिक (वशेष रूप से गर्मीयों में)
निवारक उपायों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम	जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए., जिला स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	वार्षिक (वशेष रूप से गर्मीयों में)

तालिका 17 – लू के खतरे के लिये गैर–संरचनात्मक निवारण उपाय

3 आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना –

"आपदा जोखिम का उद्देश्य आगे आने वाले खतरों को रोकना और मौजूद जोखिम को कम करना है। इस प्रकार यह जोखिमों का प्रबंधन करता है जो स्थायी विकास प्राप्ति में सहायक होता है।"

जिले की आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना (डीआरआर) में उन गतिविधियों और उपायों का समावेश है, जो जिले के सहयोग से होती हैं। ये आपदाओं के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें जलवायु से जुड़े खतरे भी शामिल होते हैं। यह योजना समुदायों और मुख्य विभागों के साथ किए गए विचार–विमर्श और गांवों के क्षेत्रीय मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, इस योजना में प्रमुख विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची भी है जिसे जिले में डीआरआर और आपदा की बहाली की गतिविधियों के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार से डीआरआर योजना एक लंबी अवधि की रणनीति है जो विकास के साथ ही आपदा प्रबंधन को भी जोड़ती है। इसकी प्रभावी योजना के लिए कई हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

- स्थिति स्थापक गांव या उबरने में कामयाब गांव
- स्थिति स्थापक आजीविका
- महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं
- स्थिति स्थापक मूल सेवाएं
- स्थिति स्थापक शहर या उबरने में सक्षम शहर

ये आधारभूत चीजें ऐसे आवश्यक क्षेत्रों की ओर कार्यवाही करने पर जोर देती है जो झटके और तनाव के कारण बाधित हो जाती हैं। इसिलए इन चीजों पर विशेषकर जोखिम को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने की जरूरत होती हैं।

3.1 क्षमता निर्माण –

क्षमता को किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन व योजना के रूप में समझा जाता है। इसलिए, क्षमता निर्माण/विकास का मतलब उस विधि या माध्यम से होता है जिससे उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता निर्माण को उप–उत्पाद प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। सबसे अच्छी क्षमता निर्माण का उसे कहा जाता है जिसमें आपदा के दौरान लोग उपलब्ध संसाधनों से अपनी समस्याओं का निपटारा करने में समर्थ होते हैं। समुदायिक स्तर पर आपदा जोखिम में कमी लाने और क्षमता निर्माण के लिए रणनीति बनाना समाज के संवेदनशील वर्गो के आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।

3.2 आपदा जोखिम न्युनीकरण (डी.आर.आर.) के लिए सुझाव –

- डी.आर.आर. की दिशा में डी.डी.एम.ए. की ओर से किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों में से एक जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र (डी.ई.ओ.सी.) की स्थापना और सुदृढ़ता है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में भी उत्कृष्टता की आवश्यकता है।
- आपदा प्रतिक्रिया के लिए हितधारकों की सूची बनाने और दस्तावेज बनाने की आवश्यकता है जो कि जिला प्रशासन के भीतर आसानी से उपलब्ध नहीं है। जब तैयारियों की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व है।
- इसलिए, जिला प्रशासन को सभी संपर्क विवरण तैयार करके रखने की आवश्यकता है। इससे आपातकाल के दौरान त्वरित संदर्भ में मदद मिलेगी। उनके बीच समन्वय में सुधार के लिए हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
- सभी आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और घटना कमांड सिस्टम को स्थापित करके उनके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। आपदा प्रतिक्रिया उपकरणों की निगरानी करते हुए नियमित स्टॉक को बनाए रखा जाना चाहिए। सभी हानि व क्षति आकलन और प्राप्त अनुभवों को नियमित रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए।
- पंचायत और जिले के स्तर पर कोई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली नहीं है। केवल भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और अन्य केंद्रीय संस्थान/संगठनों में से ज्यादातर चेतावनी देते हैं।
- इस संबंध में, जिला प्रशासन को शीघ्र ही चेतावनी के लिए अपनाई गई व्यवस्था को संशोधित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए ब्लॉक संबंधित खतरों के अनुसार हर संबंधित हिस्सेदार को समयबद्ध तरीके से शामिल और सूचित किया गया।
- कुशल कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में विभागवार प्रशिक्षण मासिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए इसके अलावा, अनुकरणीय अभ्यास और आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास को नियमित आधार पर नियोजित और आयोजित किया जाना चाहिए।
- मरम्मत की आवश्यकता वाली इमारतों जैसे कि विद्यालय, आंगनबाड़ी, पंचायत, सामुदायिक हॉल आदि की पहचान की जानी चाहिए।
- उत्तरदायी और पारदर्शी पंचायती राज संस्थानों और शासन को सतत डी.आर.आर. प्रक्रिया में एकीकृत करना आवश्यक हैं।
- विभिन्न वर्गों के मुद्दों का निर्णय लेने और उसके क्रियान्वयन में नीतियों से लेकर प्रथाओं के अमलीकरण में समाज या समुदाय के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, आग, दुर्घटना, महामारी, मनुष्य–पशु संघर्षों के लिए नीतियों के रूप में एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें आपदा प्रबंधन के साथ ही तैयारियों की योजना का विकास और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस रणनीति भी तैयार की जानी चाहिए।
- जोखिम मूल्यांकन और जोखिम में कमी के उपायों की पहचान नियमित आधार पर की जानी चाहिए, जो किसी भी नीति और योजना के मुख्य घटक हैं।
- नीति तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए कि सूखा और बाढ़ जोखिम कम करने की रणनीतियों को नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- तकनीकी–सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक–पर्यावरण–शासन इन पहलुओ को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से एक नया दृष्टिकोण। स्मार्ट फोन्स के उद्भव और इसके व्यापक उपभोक्ता को देखते हुए एक संसाधन के रूप में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसका कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अपडेट्स और बुनियादी कार्यप्रणाली और विभिन्न आपदा की घटनाओं इत्यादि में ।
- शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक पूंजी इत्यादि सामाजिक कारक बड़ी मात्रा में इन रणनीतियों की सफलता और विफलता का निर्धारण करेंगे।
- आपदा के बाद आर्थिक असमानता और बाजार में उत्पादों की कमी के कारण लोगों की आजीविका की दृष्टि से इसके सुचारु नियोजन की जरुरत पड़ती है।

डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल

प्राथमिकताएं	कार्यक्रम	मुख्य चिंताएँ
नीतियां/ योजनाएं/ कार्यक्रम	**ग्राम स्तर –** महतारी जतन योजना– गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार मुख्यमंत्री अमृत योजना– बच्चों के लिए पौष्टिक आहार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत योजना मुख्य मंत्री खाद और पोषण सुरक्षा योजना 102 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना–स्वास्थ्य सेवा योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना मुख्य मंत्री बांस बाड़ी योजना	योजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन

	मुख्य मंत्री आवास योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योनत योजना प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वन भूमि अधिकार पट्टा प्रधानमंत्री तीर्थयात्रा योजना सूचना क्रांति योजना मुख्य मंत्री पादुका योजना जननी सुरक्षा योजना **राज्य स्तर –** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री उज्जवल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संजीवनी एक्सप्रेस स्वच्छ भारत मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या–विवाह योजना सरस्वती सायकिल योजना मिशन स्मार्ट सिटी मेक इन इंडिया स्टैंडअप इंडिया डिजिटल भारत स्टार्टअप इंडिया	
संस्थाएं	भारतीय मौसम विभाग कृषि विज्ञान केन्द्र सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस थाना	उपलब्ध (नियमित मूल्यांकन और नियोजन की आवश्यकता है)

	सरकारी अस्पताल ग्राम पंचायत स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी अग्निशमन केंद्र कलेक्टरेट	
योजनाएं, एस.ओ.पी. और वित्तीय प्रबंधन	क्षेत्र, जिला और राज्य नियंत्रण कक्ष के बीच त्रिकोणीय संबंध के लिए योजना	वार्षिक दर से
बुनियादी ढांचा, सामग्री और उपकरण	स्कूल और आंगनबाड़ी आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा साज–सामान सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए शौचालय अनाज भंडारण पेटी एल.पी.जी. कनेक्शन पानी का नल खेल के मैदान अग्निशामक ग्राम पंचायत बाढ़ बचाव उपकरण अग्निशमन उपकरण चेतावनी अलार्म ग्राम स्तर बांधों और नदियों पर चेतावनी अलार्म नदियों पर पुल, खेतों और नदियों तक सड़कें सामुदायिक हॉल सुरक्षित आश्रय जंगलों के इलाकों में बाड़ लगाना	हर 6 महीने

	मालगोदाम पी.एच.सी. दवा की दुकानें	
क्षमता निर्माण	दरारों की मरम्मत बोरियों का संग्रहण, अत्यधिक संवेदनशील इलाकों के पास के लोगों को चेतावनी देना ग्राम पंचायत या गोदाम में अनाज और अन्य आवश्यक चीजों का संग्रहण ग्राम टैंक आपातकालीन सुवधाएं 108, 100 102 महतारी एक्सप्रेस प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	नियमित रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है
सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा	साफ–सफाई एवं स्वच्छता	नियमित
जोखिम का आकलन	मिडिया के साथ स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर के बीच चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना	नियमित
डीआरआर कार्यक्रम और योजनाएं	स्वच्छ भारत अभियान संशोधित प्रावधानों के अनुसार और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण हताहत होने पर राहत प्रदान करना	नियमित

तालिका 18 : डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे जिला स्तर के संस्थानों के कामकाज को मजबूत बनाने और जन जगरूकता अभियानों में क्षमता निर्माण की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

3.3 विकास की राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी–आर–आर– मुख्य धारा में –

क्र.	योजनाओं के नाम	पात्रता	लाभ	डी.आर.आर. एकीकरण
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं	कोई भी व्यस्क जो हाथों से काम करना चाहता है	यह योजना ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों के लिये रोजगार के लिये कानूनी अधिकार प्रदान करती है । इसमें कम–से–कम एक तिहाई लाभार्थियों को महिलाओं होना चाहिये। मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के हिसाब से भुगतान की जानी चाहिए, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को सूचित न करे (यह प्रति दिन 60 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए)।	ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर में वृद्धि और बुनियादी ढांचा की संपत्ति के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
2	प्रधान मंत्री आवास योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग	छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए घरों का निर्माण करेगा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करना। उन्हें अन्य उत्पादक पूंजी में निवेश करने की अनुमति देना
3	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली असंबद्ध बस्तियां (जनगणना 2001)	ग्रामीण सड़क संपर्क आर्थिक और उत्पादक रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देगा	बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण समुदायों की क्षमता में वृद्धि होगी

4	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	बी.पी.एल. परिवार	स्वच्छ और अधिक कुशल रसोई गैस (द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस) को ग्रामीण भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले अशुद्ध खाना पकाने वाले ईंधन से बदलना	स्वच्छ ईंधन,बीपीएल परिवारों को घर के भीतर एक स्वस्थ और धूम्रपान से मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा यह लकड़ी के ईंधन लाने के लिए महिलाओं के बोझ को कम करेगा
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	किसान	पानी की बर्बादी को कम करने, सटीक–सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकीयों को गोद लेने में वृद्धि करने के लिए आश्वस्त सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें, अधिक पानी की बचत करने वाली तकनीकों को बढ़ावा दें, जलस्रोत को फिर से भरें और सतत जल संरक्षण प्रथाओं को काम में लाएं	बेहतर सिंचाई सुविधा से किसान की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। सूखा–प्रभावित क्षेत्र पानी की कमी से स्थिति– व्यापक बन जाती है।
6	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	ग्रामीण आबादी	ग्रामीण विद्युतीकरणः ग्रामीण परिवारों को हर समय बिजली और कृषि उपभोक्ताओं को प्रयाप्त बिजली प्रदान करना	कृषि और गैर–कृषि भक्षणों को अलग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर–कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जानकारियों को बढ़ावा मिलेगा
7	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	जो व्यक्ति लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं	पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय समर्थन सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित करके यह देश में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का विकास	रोजगार सृजन और आर्थिक गतिवधियों में वृद्धि

			करेगा	
8	स्वच्छ भारत मिशन	सभी लोग	खुले में शौच और मैला ढोने का उन्मूलन	स्वच्छता में सुधार, खुलें में गंदगी से होने होने वाले रोगों को सीमित कर देगा
9	प्रधान मंत्री जन धन योजना	सभी लोग	यह विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता,अपवर्जित वर्गों की जरूरत, आधारित क्रेडीट, प्रेषण सुविधा, बीमा एवं पेंशन कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लिए	अल्पसंख्यक लोगों का वत्तीय समावेशन
10	प्रधानमंत्रीय फसल बीमा योजना	किसान	प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में योजना, किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।	खेती में लगे रहने के लिए यह किसानों की आय को स्थिर करेगा
11	मेक इन इंडिया	कंपनियां, श्रम बल	राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करके भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करना	आर्थिक पूंजी का निर्माण
12	डिजिटल भारत	सभी लोग	ई–गवर्नेंस पहल, रेलवे कंप्यूटरीकरण, भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण आदि जैसी प्रमुख परियोजनाएं, जो मुख्य रूप से सूचना प्रणालियों के विकास पर केन्द्रित थी	कृषि, जलवायु स्थितियों और प्रारंभिक चेतावनियों से संबंधित जागरूकता फैलाएं

तालिका 19 : विकास राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में

3.4 विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी–आर–आर– मुख्य धारा में –

क्र.	योजनाओं के नाम	पात्रता	लाभ	डी.आर.आर. एकीकरण
1	मुख्यमंत्री बांस बाड़ी योजना	गरीब परिवार के ग्रामीण लोग	गरीब लोगों को मुफ्त में बाटने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बांस पौधे दिए जाएंगे। घर के पिछवाड़े में बड़े स्थान की आवश्यकता हो सकती है। गरीबों की आर्थिक आवश्यकता और भविष्य में पड़ने वाली बांस की मांग को भी पूरा करगें।	आपातकालीन स्थितियों के समय के दौरान गरीबों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
2	महतारी जतन योजना–गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार	आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाए	गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार और तैयार खाना उपलब्ध कराएं	आपदाओं के दौरान, पौष्टिक भोजन और प्रोटीन उन कमजोर वर्ग को प्रदान किए जाएं जो असमर्थ हैं।
3	मुख्यमंत्री अमृत योजना–छत्तीसगढ बच्चों के लिए पौष्टिक आहार	आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे	इसकी योजना आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने की है।	बच्चों को पौष्टिक और प्रोटीन आहार उपलब्ध कराएं। बाढ़ और सूखे की चपेट में आने से हुए आर्थिक नुकसानो में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के परिवारों के लिए पूरक भोजन की व्यवस्था करें।
4	छत्तीससगढ़ में कुपोषण का उन्मूलन	हफ्ते में एक बार 6 से 9 वर्ष के बीच	कुपोषण को खत्म करने के लिए पौष्टिक दूध को वितरित	बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाना

	करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत योजना	की आयु के बच्चे	करने का अभियान चलाया जाना चाहिये।	
5	मुख्य मंत्री खाद और पोषण सुरक्षा योजना	सभी राशन कार्ड धारक	नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद राशन कार्ड वाले मौजूदा लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाएगा	यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने हेतु क्रय शक्ति की कमी के कारण सस्ते दामों पर राशन की दुकानों के माध्यम से कम से कम चावल और गेहूं खरीद सकें व सतत विकास लक्ष्य की आवयश्कता को पूरा करें।
6	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना–स्वास्थ्य सेवा योजना	बच्चे	गंभीर कुपोषण और अन्य संकट से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श सुविधा प्रदान करें	बच्चों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर से जुड़े कुछ घातक चीजों को कम करना।
7	मुख्य मंत्री आवास योजना	ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. आवेदक	ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करें, ई.डब्ल्यू.एस. और ए.ल.आई.जी. घरों के तहत आवास योजनाएं बनाई जाएंगी।	ऐसे लोगों को आश्रय उपलब्ध कराएं जो घरों का निर्माण नहीं कर सकते। लोगों को सशक्त बनाने में मदद करना।
8	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	ग्रामीण इलाके	ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करना	सिंचाई सुविधाओं में किसानों की सहायता करें

9	सूचना क्रांति योजना	युवा	राज्य में युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराने बावत् निर्दे ा जारी किये गए। राज्य सरकार ने युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए राज्य में डिजिटलकरण को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है।	जागरूकता से संबंधित कृषि,वर्षा और प्रारंभिक चेतावनी के प्रचार में सहायता करना।
10	संजीवनी एक्सप्रेस	छत्तीसगढ़ के लोग	संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा	एम्बुलेंस सेवाये आपात स्थिति के दौरान गर्भवती महिलाओं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य देख भाल एक अविभाज्य हिस्सा है। परिवहन घटक विभिन्न मिलेनियम विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाने के लिए योगदान करने के लिए जाना जाता है, इस लक्ष्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना भी शामिल है।
11	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	बेटियां	विवाह समारोहों के आयोजन के खर्चों से गरीब परिवारों को राहत देने, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने, दहेज कुप्रथा जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए और विवाह समारोहों पर आवयशक व्यय से बचने के प्रयत्न शामिल है।	यह योजना उन गरीब किसानों के तनावों को कम कर देती है जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए या किसी प्रकार का ऋण लेते हैं और फसलों के खराब होने या सूखे के कारण भुगतान करने में

				असमर्थ हैं।
12	सरस्वती साइकिल योजना	नौवीं कक्षा की की कन्याएं	उन कन्याएं के नामांकन (बीपीएल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) को सुनिश्चित करना जिन्होंने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। उन्हें कक्षा 12वीं तक पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। 12वीं कक्षा तक कन्याओं का नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण को सुधारने के लिए शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखना। इस बात पर जोर देना कि कन्याएं प्राथमिक शिक्षा के बाद भी अपनी शिक्षा को जारी रखें।	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को घर में काम करने, पानी लाने या उनके भाई–बहनों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह योजना शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है।
13	सुचिता योजना	सरकारी स्कूल	लड़कियों को अपने व्यक्तिगत और मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में प्रोत्साहित करना, झिझक पर काबू पाने में छात्राओं की मदद करना जैसे बाजारों से सैनिटरी नैपकिन खरीदने के दौरान सामना करती हैं।	स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें और लड़कियों को रोगों से बचाएं

तालिका 20 : विकास राज्य स्तरीय प्रमुख योजिनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में

4. जलवायु परिवर्तन क्रियाएं –

जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर की आपदा घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ाई है। परिणामस्वरूप, मानव जीवन, आजीविका, अद्योसंरचना, पर्यावरण के नुकसान के संबंध में बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थापना में बाधाएं आयी हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों के लिए आजीविका के विकल्प, अद्योसंरचना, पारिस्थिति की तंत्र सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बारे में एक प्रमुख चिंता बन गई हैं। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात और वर्षा से संबंधित खतरों के परिमाण और आवृति में वृद्धि देखी गई है। भारत भी प्राकृतिक और जलवायु से होने वाली तबाही का एक गवाह रहा है। विशिष्ट रूप से भू–जलवायु, सामाजिक आर्थिक स्थितियां और विकास संबंधी संकेतक, देश में होने वाली नाना प्रकार की खतरनाक दुर्घटनाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, जंगल की आग को और भी चिंताजनक बना देते हैं।

असम में बाढ़, चक्रवात, चेन्नई में बाढ़, उत्तराखंड में बादल फटने जैसी कई घटनाएं हुई हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर जलवायु संचालित आपदा घटनाओं, आपदा प्रतिक्रिया, तैयारी और शमन को लेकर गंभीर चिंताए उत्पन्न हुई है। छत्तीसगढ़ के संबंध में, एक अध्ययन मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया था जिसमें कई सूखाग्रस्त जिलों की पहचान की गई है। इसमें बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर–चाम्पा, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, रायगढ़, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा इत्यादि शामिल है।

जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष गतिविधियां

क्षेत्र	अविष्कार प्रकार	क्रियाएँ
कृषि		• बहु–फसल को अपनाने के लिए संसाधनों को विकसित करने के साथ उसको लागू करना। • जिला स्तर पर सुरक्षित भंडारण, बागवानी, वन और खाद्य उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा का विकास करना। • बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए फसलों का विविधीकरण करना। • छिड़काव और ड्रिप सिंचाई प्रणाली और बेहतर जल निकासी नेटवर्क का प्रयोग करना।

		• नदियों के साथ बाढ़ की दीवारों या तटबंधों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण
	योजना	• प्रत्येक जिले में कृषि और वन आधारित उद्योगों के विकास के लिए संभावित मानचित्र। • किसानों से लेकर सरकार तक,फसल के नुकसान से होने वाले जोखिमों के लिए बीमा आधारित उपायों का उचित कार्यान्वयन।
	पानी और मिट्टी का संरक्षण	• पानी और मिट्टी के माध्यम से किए गए नुकसान को कम करने के लिए चरणों का क्रियान्वयन जैसे कि एग्रोफोरस्ट्री, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन, चेक डैम के माध्यम से जल संचयन, मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण, क्योंकि कृषि मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करती है। • पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली का नवीनीकरण ।
	पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली	• उन्नत कृषि प्रणालियों के जरिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और मौसम सेवाओं को मजबूत करना।
	एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन	• संरक्षण कृषि के संवर्धन और एकीकरण के साथ कीटों के एकीकृत पोषण और प्रबंधन पर अनुसंधान और शिक्षा। • मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उर्वरकों को लागू करना, जिससे उर्वरक की दक्षता में वृद्धि होने के अलावा भूगर्भ–जल और मिट्टी के प्रदूषण में कमी आए।
आपदा प्रबंधन	अनुसंधान और क्षमता निर्माण	• समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की गतिविधियां, हर गांव में खोज और बचाव दल की स्थापना। • बेहतर वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ स्वदेशी तकनीकों का एकीकरण । • पारंपरिक व्यवहारों को प्रोत्साहन और जोखिम कम करने के लिए स्वदेशी ज्ञान।
	जागरूकता	• स्कूलों और कॉलेजों में अनुकर्णीय अभ्यास और प्राथमिक

		चिकित्सा प्रशिक्षण। • ग्रामीण अधिकारियों को समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधयों के साथ समन्वय में खतरे और जोखिम के मानचित्रण की गतिवधियों में प्रशिक्षण देना। • विभिन्न सार्वजनिक इमारतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं और सुरक्षा निकासी योजनाओं की तैयारी।
	भेद्यता और जोखिम	• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर ढांचों का आकलन। • सबसे संवेदनशील समूहों और संरचनाओं के सुरक्षित और बेहतर स्थानों के लिए पुनर्वास।
	जांचना और परखना	• स्वचालित मौसम स्टेशनों और उपग्रह संकेतों की स्थापना के द्वारा विभिन्न जलवायु मापदंडों में विविधिताओं का निरीक्षण करना। • भविष्य की आपदा जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण की निगरानी करना। • इसमें समय–समय पर मूल्यांकन और बहुमूल्य प्रतिक्रिया भी शामिल है । • आपदा जोखिम में कमी और शमन के संबंध में उनकी प्रगति और कमियां दर्शाते हुए विभिन्न विभागों की नियमित लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना। • विभिन्न लाइन विभागों की योजनाओं के संबंध में निकट समन्वय और जानकारी साझा करना।
जल संसाधन और स्वच्छता		• कार्यात्मक हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन, मौसम के बदलने और वर्षा पर निगाह रखने वाले स्टेशनों की नियमित रुप से समीक्षा करना। • जल संरक्षण और उचित स्वच्छता उपायों की प्रासंगिकता के बारे में जन जागरूकता हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को विकसित करना। • विभिन्न विभागों के साथ–साथ विभिन्न पंचायतों और नगर निगम के वार्डों में पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण की

		पहल,विकास और तैनाती, ताकि वे अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को इसे दे सकें । ● खुले में शौच के नुकसान और विभिन्न चीजों के महत्त्व को 'ग्राम सीट' के माध्यम से बढ़ावा देना जैसे कि गहन रुप से सामाजिक संचार, नुक्कड़ नाटक, बैनर इत्यादि। ● गांव में मौजूद जल निकासी नेटवर्क में सुधार और गांव में मौजूद पेयजल स्रोतों का समय–समय पर मूल्यांकन। ● ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल स्रोतों का परीक्षण और उपचार,जो कि यूरोफिकेशन, जलीय वनस्पतियों और जीवों के नुकसान को रोकने के लिए है।
वन और जैव विविधता	जैव विविधता का संरक्षण	● शेष हरे रंग की आवरण की मात्रा और इसके विभिन्न एन्थ्रोपोजेनिक जोखिमों के संबंध में पहचान और प्रलेखन। ● गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का प्रयोग रोकना। ● आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने और वनस्पतियों की स्वदेशी प्रजातियों के विकास को प्रोत्साहित करना। ● संस्थागत विकास की पहल जैसे कि संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम), एसएचजी इत्यादि के माध्यम से मौजूदा भूजल स्रोतों का संरक्षण और संस्थागत विकास के साथ उपयोगी आजीविका को बढ़ावा देना। भूमि संरक्षण।
	वन और गैर–वन क्षेत्रों में हस्तक्षेप	● लोगों के लिए सुलभ क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो अपनी दैनिक आवयश्कताओं को पूरा करने के लिए जंगल पर निर्भर हैं।
	जागरूकता और अनुसंधान	● आदिवासियों के पारंपरिक और धार्मिक विश्वाशों पर अध्ययन जो कि जैव विविधता के संरक्षण के अनुरूप हैं।
	अग्नि प्रबंधन	● विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान जंगल में आग फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाना।
शहरी विकास	ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का प्रबंधन	● डंपिंग स्थलों की उपलब्धता और उसके मानव निवास से निकटता को ध्यान में रखते हुए, घरों में ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए एक व्यापक

		और स्थायी दृष्टिकोण ।
	रिन्यूएबल तकनीको को अपनाना	• उर्जा के वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोतों के इस्तेमाल में लाने के लिए योजनाओं सहित घरों की उर्जा दक्षता में सुधार के लिए सामरिक योजनाओं का विकास करना। • जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए अक्षय उर्जा स्रोतों में नवीनता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
	प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाना	• जलवायु परिवर्तन से आवास और परिवारों की अनुकूलीय क्षमता में सुधार के लिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन और अग्रिम कमाई प्रणालियों को बढ़ाना। • शहरी जल निकायों, हरे और खुले स्थान और अपशिष्ट जल के उपचार के संरक्षण के लिए एक समिति स्थापित करना। • शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यस्त स्थानों में कुछ रिक्त स्थानों का रख–रखाव। • शहरी आवास परियोजनाओं और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के लिए उर्जा की दृष्टि से कुशल व्यवस्थाओं का प्रचार और उनको अपनाना।
परिवहन	परिवहन संरचना, योजना और प्रबंधन	• ईंधन के लिए स्वच्छ उर्जा स्रोतों की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना। • कार पूलिंग को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। • सभी वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र का जारी करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सर्जित प्रदूषण का स्तर अनुमति तादाद के भीतर है।
उर्जा	उर्जा दक्षता में संरक्षण और सुधार	• सौर उर्जा संचालित रोशनी, हीटर, पंपों और अन्य ऐसे नवीकरणीय उर्जा उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। • घरों और सार्वजनिक इमारतों में स्मार्ट ग्रिड मीटिंग सिस्टम को प्रयुक्त करना।

उद्योग		• हवा और जल निकायों में उद्योगों द्वारा जारी प्रदूषकों की नियमित जांच करना। • प्रदूषण नियंत्रण मशीन और फिल्टर का इस्तेमाल करना। • ग्रीन हाउस गैसेस (जी.एच.जी.) में कमी करने के उपाय, उर्जा ऑडिट,ईंधन स्विचिंग के लाभ आदि के बारे में जागरुकता करना।
मानव स्वास्थ्य		• स्वास्थ्य विभाग में जलवायु परिवर्तन कक्ष के साथ–साथ जिला स्तर के विभिन्न उप–कक्षों का गठन भी शामिल है। • आपातकालीन प्रतिक्रिया की योजना का विकास करना और पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में अनुकरणीय अभ्यास का आयोजन करना । • आपदाओं के दौरान और बाद में आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान क्षेत्रीय मानकों को अपनाने में जागरूकता फैलाना। विभाग के कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के लिए उचित फीडबैक के साथ प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम। • चरम जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव का सामना करने के लिए प्रत्येक पी.एच.सी. और सी.एच.सी में आपदा प्रबंधन दल का विकास, प्रशिक्षण और तैनाती करना ।

तालिका 21 : जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित गतिविधियाँ

जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल

आपदाओं को कम करने की पहल (तीव्र जलवायु परिवर्तन)	जलवायु परिवर्तन को कम करने की पहल
आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों और कार्य योजनाओं का विकास और उसको लागू करना।	वैकल्पिक ईंधन के अंश और उपयोग में वृद्धि सहित नवीकरणीय उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।
आपदाओं के जोखिम और प्रतिक्रिया के प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न लाइन विभागों और एजेंसियों के बीच सुधार समन्वय।	उर्जा कुशल प्रोद्योगिकी को बढ़ावा देना, विशेष रूप से भवनों, परिवहन, औद्योगिक सेट अप और घरेलु उपकरणों में।
अनुशंसित बिल्डिंग नियमों के अनुसार खतरनाक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत ढांचे का उन्नयन और पुनः सुधार।	ग्रीन इंडिया मिशन और अन्य ऐसी पहलों का कार्यान्वयन।
विशिष्ट खतरे और जोखिम के साथ–साथ संचार अभियानों एवं सूचना के माध्यम से सूचना के माध्यम से पहुंचने में सुधार, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।	परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र से विशेष रूप से उत्सर्जन की मात्रा में कमी।
आपदा की अनुकूल योजना बनाने हेतु समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधयों के साथ निकट समन्वय में अत्यधिक एच.आर.वी.सी. गतिविधियां, जिसमें मानवविज्ञानी कारकों द्वारा प्रेरित क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं।	घरों में ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल से उत्सर्जन में कमी।

तालिका 22 : जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल

5. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय –

5.1 क्षमता निर्माण –

डीएम अधिनियम (2005) के अनुसार, क्षमता निर्माण में शामिल हैं –

- मौजूदा और संग्रहित संसाधनों की पहचान;
- आपदाओं से निपटने हेतु प्रभावशाली प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

क्षमता संवर्धन अथवा क्षमता निर्माण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम को कम करना और इस प्रकार समुदायों को सुरक्षित बनाना है। क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में वृद्धि से है जो नि ित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वि िष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती है। जिला स्तर पर प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए उन सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए, इसमें एक व्यापक और अद्यतीय जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची, जागरूकता निर्माण, शिक्षा और व्यवस्थित प्रशिक्षण को बनाए रखना शामिल होना चाहिए। आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचााव कार्यों में प्र ाक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है।

जिला कलेक्टर को पूरे जिले की निम्नलिखित क्षमता निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए, और विभागों के विभिन्न प्रमुखों को अपने संबंधित विभागों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए संबंधित उपकरणों को खरीदना चाहिए।

5.2 संस्थागत क्षमता निर्माण –

संस्थागत क्षमता निर्माण एक स्तर–प्रणाली पर संरक्षित किया जाएगा जिसे जिला स्तर पर कई क्षेत्रों से कौशल अधिकारियों और पेशेवरों को लाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। डीडीएमए प्राथमिकता के आधार पर स्तर के रूप में संरचित निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों की क्षमताओं और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।

छत्तीसगढ़ अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीजीएए) छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य स्तर पर जिम्मेदारी लेती है। ट्रेनिंग तीन से पांच दिनों तक होती है और प्रशिक्षण के विशिष्टताओं के अनुसार विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को शामिल

किया जाता है। डीडीएमपी को अद्यतन करने हेतु प्रभारी अधिकारी का समय–समय पर आयोजित की गई सभी प्रशिक्षणों का ट्रैक रखने की भी जिम्मेदारी है। उनमें जिले के सभी अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण शामिल होंगे जिन्होंने पिछले छह महीनों में किसी भी आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लिया है। यह जिला स्तर पर आपदाओं से निपटने में सक्षम प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

इनके अलावा अन्य जिला स्तरीय संस्थान जैसे– कॉलेज, स्कूल, आ.ई.टी.आई, इंडीस्ट्रीयल प्रशिक्षण, इंस्टीट्यूट, एनजीओ, आदि की सहायता प्र ि ाक्षण हेतु ली जायेगी जिससे इन प्रबंधन कार्यक्रमो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुॅचाया जा सकेगा।

प्रशिक्षण आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता बढाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं में से एक है। समुदायों को प्रशिक्षित करना किसी भी आपातकाल के दौरान बिना विचलित हुए कुशल और प्रशिक्षित प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता को सुनिश्चित करता है। विभिन्न हितधारको की तुलना में अधिकारीयों और उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे क्षति कम हो।

5.3 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)–

आईडीआरएन, एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जो उपकरणों की सूची, कुशल मानव संसाधनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रबंधन हेतु है । प्राथमिक केन्द्र निर्णय निर्माताओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता पर उत्तर खोजने में सक्षम बनाना है। यह डेटाबेस उन्हें विशिष्ट भेद्यता के लिए तैयारी के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाएगा।

राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से वे अपने जिले में उपलब्ध संसाधनों के लिए आईडीआरएन में डाटा एंट्री व डेटा अपडेट कर सकते हैं ।

आईडीआरएन नेटवर्क में विशिष्ट उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और उनके स्थान और संपर्क विवरण के साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति के आधार पर कई सवाल विकल्प उत्पन्न करने की कार्यक्षमता रखता है ।

5.4 भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ –

विभाग	प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
डीडीएमए	• राहत शिविर की स्थापना करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। • राहत शिविरों के संचालन और प्रबंधन में प्रशिक्षित जिले की घटना प्रतिक्रिया टीम के एक सदस्य को राहत शिविरों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा। • चेतावनी संकेत प्राप्त करने पर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त बचाव उपकरण को तत्काल भेजा जाये।
कृषि	• जिले में फसलों की निगरानी के उद्देश्य से मौसम/सूखा निगरानी समिति का गठन और प्रशिक्षण। • मिट्टी, खेतों, सिंचाई प्रणालियों की स्थिति तथा आपदा स्थितियों में फसलों को कोई अन्य नुकसान का आकलन करने के लिए क्षति मूल्यांकन टीमों का गठन।
पशुपालन	• पशुधन, फीड और चारा, और पशुपालन के क्षेत्र में अन्य चीजों के कारण होने वाली क्षति की जांच और आकलन करने में सक्षम क्षति मूल्यांकन टीमों के गठन को सुनिश्चित करें।
शिक्षा	• विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और टीमों का गठन। • जिले में शिक्षकों और छात्रों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवित कौशल में प्रशिक्षण की व्यवस्था। • शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल करें। • स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा कर संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
सी.एस.ई.बी.	• जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से, पर्याप्त तैयारी की स्थिति बनाए रखने और त्वरित और कुशल आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत उपकरणों की समय पर खरीद सुनिश्चित करें।
अग्नि सेवाएं	• सभी जिला अधिकारियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण एवं समय–समय पर आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करना। • विभिन्न सरकारी और नागरिक इमारतों की सुरक्षा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना यह जांचने के लिए कि वे अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं।

	• अग्निशमन और निकासी प्रक्रियाओं के लिए नियमित मॉक–ड्रिल होना चाहिए।
नागरिक रक्षा और नगर सेना	• खोज और बचाव (एसएआर), प्राथमिक चिकित्सा, यातायात प्रबंधन, मृत शरीर प्रबंधन, निकासी, आश्रय और शिविर प्रबंधन, जन देखभाल और भीड़ प्रबंधन में स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। • जिला प्रशासन के उपयुक्त चौनलों के माध्यम से खोज और बचाव उपकरणों की खरीद के लिए व्यवस्था करें।
वन	• जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए विभाग के अंतर्गत टीमों के गठन और प्रशिक्षण सुनिश्चित करें जो मानव सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
आर.टी.ओ.	• प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में ड्राइवरों, कंडक्टरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। • जिले में सभी वाहनों और डिपो में प्राथमिक चिकित्सा किटों और आग बुझाने वाले यंत्रों के रख–रखाव की पर्याप्त स्टॉकिंग सुनिश्चित करना।
स्वास्थ्य	• विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और समूहों का गठन । • मोबाइल मेडिकल समूह, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा समूहों, मनो–सामाजिक देखभाल समूहों तथा पैरामेडिक्स के त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा समूहों (क्यूआरएमटी) के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। • क्षेत्र और अस्पताल निदान इत्यादि के लिए पोर्टेबल उपकरणों की समय पर खरीद की व्यवस्था करें। • प्राथमिक चिकित्सा और जीवन बचाने वाली तकनीकों में स्वास्थ्य परिचरों और एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। • स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं में स्थानीय समुदायों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। • क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपायों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करके संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण में वृद्धि।
सिंचाई	• बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी के संबंध में सभी मानव संसाधनों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। • जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और संचार उपकरणों की समय पर खरीद की व्यवस्था करें।

पुलिस	• जिला आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की तैनाती। • जिला में क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करें। • आपदाओं के बाद मानव तस्करी और अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए तैयारी।

तालिका 23 : प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

5.5 सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन –

समुदाय केवल विपत्तिग्रस्त होने के साथ–साथ किसी भी आपदा में पहला उतरदायी भी होता है । समुदायिक क्षमता से किसी भी आपदा का निवारण किया जा है । इसलिए समुदाय को रोकथाम शमन, तैयारी, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया, राहत, वसूली यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ निकटता से जुड़ा होना चाहिए।

कार्य	कार्यकलाप	उत्तरदायित्व
सामुदायिक तैयारी	• कमजोर समुदाय और खतरे में सबसे कमजोर समूहों का चयन करना • भेद्यता और समुदाय के लिए जोखिम के बारे में जानकारी प्रसारित करें। • सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय स्तर के आपदा जोखिम प्रबंधन योजना को बढ़ावा देना। स्थानीय संसाधनों और सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से समुदाय आपदा रोकथाम, शमन और तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो सलाह और दिशा निर्देश प्रदान करें। • समुदाय स्तर पर आपदा जोखिम में कमी के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करें। • समुदाय स्तर पर तैयारी की समीक्षा करें समुदाय की क्षमता को बढ़ाने के लिए उचित कार्यवाही	• जिला कलेक्टर • राजस्व विभाग • मौसम विभाग • वित्त शाखा • नगर आयुक्त • शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग • पंचायती राज

	करें। • सामुदायिक शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। • समुदाय को आने वाली आपदा की भविष्यवाणी और चेतावनी के समय पर प्रसार के लिए सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करें। • किसी भी आपदा स्थिति में समुदाय स्तर पर तत्काल जानकारी प्रसारित करें ।	

तालिका 24 : सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन

खण्ड — 3

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुकमा
(आपदा प्रबंधन योजना)
विषय सूची/क्रम सूची

	क्रं.	विषय	पेज संख्या
	1	**राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया**	**1–8**
	1.1	राहत व प्रतिक्रिया के चरण	1
	1.2	आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण	2–3
	1.3	आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया	4
	1.4	सुकमा जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन	4
	1.5	राज्य सरकार /जिला प्रशासन का सक्रीय होना	4–6
	1.6	आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति	7
	1.7	पुनर्निर्माण	7–8
	2	**पुनर्निर्माण, पुनर्वास के उपाय**	**9–13**
	2.1	पुनर्निर्माण और पुनर्वास	9
	2.2	रिकवरी गतिविधियां	**10–13**
	2.2.1	अल्पकालिक रिकवरी	10
	2.2.2	दीर्घकालिक रिकवरी	10–11
	2.2.3	नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण	11–12
	2.2.4	पुनर्गठन (समुत्थान)	12–13
	3	**जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन**	**14–16**
	3.1	केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता	14
	3.1.1	क्षमता वर्धन के लिए फंड	14
	3.2	राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं	14
	3.2.1	बाहय फंडिंग व्यवस्थाएं	14
	3.2.2	वित्तीय प्रावधान	15
	3.2.3	आपदा राहत निधि	15
	3.3	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि	15
	3.4	राज्य आपदा मोचन निधि	15
	3.5	छत्तीसगढ़ राहत कोष	15
	3.6	वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान	15
	3.7	जिले के वित्तीय संसाधन	16
	3.8	जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत	16
	4	**जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतिकरण**	**17–20**
	4.1	डीडीएमपी का मूल्यांकन	17
	4.2	डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण	17–18
	4.3	आपदा पश्चात मूल्यांकन तंत्र	18

	4.4	योजना के निरीक्षण व अद्यतिकरण का दायित्व	18–19
	4.5	मीडिया प्रबंधन	19
	4.6	जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन	19–20
	4.6.1	माकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाए निम्न होंगी	20
	5	**क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र**	**21–26**
	5.1	केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय	22
	5.1.1	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	22
	5.1.2	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति	22
	5.1.3	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)	22
	5.1.4	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF)	22
	5.2	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	22
	5.2.1	राज्य कार्यकारी समिति (SEC)	22
	5.3	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	23
	5.4	राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF)	23
	5.5	आपदा प्रबंधन केन्द्र	23
	5.6	नोडल विभाग	22
	5.7	जिला स्तर पर समन्वय	23–24
	5.8	स्थानीय स्तर पर समन्वय	24
	5.9	समाजसेवी संस्थाऐं–निजी संस्थाओं से समन्वय	25
	5.10	पडोसी जिलों के साथ समन्वय	25
	5.11	राज्य SDMP से समन्वय	26
	6	**मानक संचालन कार्यप्रणली तथा चैकलिस्ट**	**27–34**
	6.1	मानक संचालन कार्यप्रणाली	27–28
	6.2	बाढ़ के लिए तैयारी	28–30
	6.2.1	सावधानियां	28
	6.2.2	आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन	29–30
	6.3	सूखे के लिए तैयारी	30
	6.3.1	सावधानियां	30
	6.3.2	सूखा प्रबंधन के लिए उपयोगी सूचना	30
	6.4	भगदड़ से बचाव के लिए तैयारी एवं उपाय	30–31
	6.5	अन्य सभी आपदाओं के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली	31–32
	6.6	केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता	32–33
	6.7	मानवीय राहत व सहायता	33–34

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1: राहत व प्रतिक्रिया के चरण	1
2	तालिका 2: IRTF के विभिन्न चरण	6
3	तालिका 3: पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/अधिकारी	12
4	तालिका 4: जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत	16
5	तालिका 5: डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप	18
6	तालिका 6: सहायता हेतु तहसील अनुसाार निकटस्थ जिले एवं राज्य	25
7	तालिका 7: बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना	30
8	तालिका 8: केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता	33
9	तालिका 9: मानवीय राहत व सहायता	34

क्रं.	चित्र	पेज संख्या
1	चित्र 1: जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली	2
2	चित्र 2: इंसिडेंट रिस्पांस टीम	6
3	चित्र 3: आपदा राहत व प्रतिक्रिया हेतु धन के स्त्रोत	8
4	चित्र 4: नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु	12
5	चित्र 5: DDMP के निरिक्षण व अद्यतीकरण का चतुस्तरीय तंत्र	19

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1: राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण	2
2	प्रवाह चित्र 2: प्रमुख आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट	3
3	प्रवाह चित्र 3: प्रशासनिक रिस्पांस सिस्टम के विभिन्न चरण	5
4	प्रवाह चित्र 4: चित्र –इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम फ्रेमवर्क	5
5	प्रवाह चित्र 5: पुननिर्माण तथा मरम्मत कार्य	9
6	प्रवाह चित्र 6: DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र	21
7	प्रवाह चित्र 7: जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र	24
8	प्रवाह चित्र 8: स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र	24
9	प्रवाह चित्र 9: जिला आपदा प्रबंधन योजना	26

1. राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया

सभी आपदाऐं, आकस्मिक घटनाऐं एवं संकटकालीन घटनाऐं अत्यंत गतिशील होती है। जिससे शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकार भी पैदा हो सकते हैं। राहत एवं प्रतिक्रिया वे उपाय हैं जो आपदा घटित होने के तुरन्त बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उद्धेश्य आपदा से पूर्व तथा आपदा काल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पति को सुरक्षित रखना एवं आपदा से हुए नुकसान से निपटना शामिल है। राहत व प्रतिक्रिया सामान्यतः अत्यन्त विषम परिस्थितियों में क्रियान्वयित होते है। इन अभियानों के लिए बडी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आश्यकता होती हैं, अतः कुशल योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया टीम के बिना इन अभियानों का सफल होना कठिन है। आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम उतना ही कम किया जा सकता है।

1.1 राहत व प्रतिक्रिया के चरण –

आपदा से पूर्व	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
आपदा के दौरान	प्रथम प्रतिक्रिया –राहत
आपदोत्तर	राहत– समुत्थान

तालिका 1: राहत व प्रतिक्रिया के चरण

इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता है। राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण–

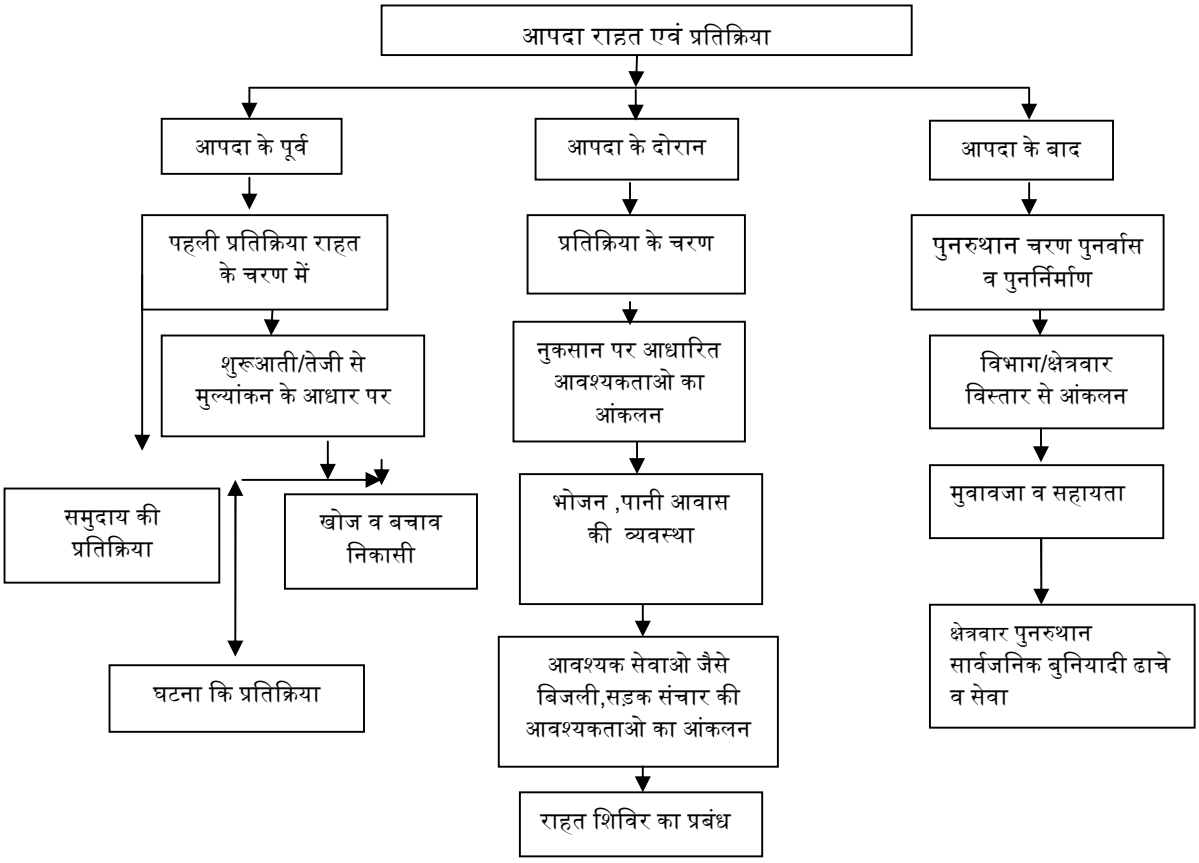

प्रवाह चित्र 1: राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण

1.2 आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण –

आपदाओं को भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान के आधार पर दो भागों मे बाँटा जा सकता है –

प्रथम प्रकार की आपदाएँ वे है जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव है।
द्वितीय आपदाएँ वे है जो आकस्मिक रूप से घटित होती है जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव नहीं है। आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया कार्य उक्त दोनों प्रकार की आपदाओं हेतु क्रियान्वित किये जाते है। किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को आपदा पूर्व तैयारी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा आने वाली सम्भावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया में निम्न तत्व सम्मिलित किये जाते है –

- पूर्व चेतावनी प्रणाली
- आपदा सम्बन्धित आंकडों का संग्रहण
- शरणस्थलों को चिन्हित करना
- आपदा से सम्बन्धित उपकरणों की एक स्थान पर उपलब्धता
- मॉकड्रिल
- संचार प्रणाली को दुरूस्त करना
- आपदा से सम्बन्धित विभाग को हाईअलर्ट
- फर्स्ट रेस्पॉड यूनिट का हाईअलर्ट
- जोखिमपूर्ण बस्तियों, मकानों को खाली करवाना
- पर्याप्त भोजन, दवा, जल, आवश्यक सामग्री का संग्रह

बाढ एवं सूखा सुकमा जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उक्त आपदाओं का पूर्वानुमान तथा चेतावनी संभव हैं। आगजनी, सड़क दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएँ आदि अन्य आपदाएँ हैं जिनका पूर्वानुमान सम्भव नहीं है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के पूर्वानुमान तथा चेतावनी हेतु जिले में चेतावनी प्रणाली को सुदृढ बनाना आवश्यक है। जिला प्रशासन के द्वारा संचार/पूर्व चेतावनी प्रणाली को दुरूस्त करना प्रस्तावित है। यह प्रणाली निम्न चरणों में कार्य करेगी।

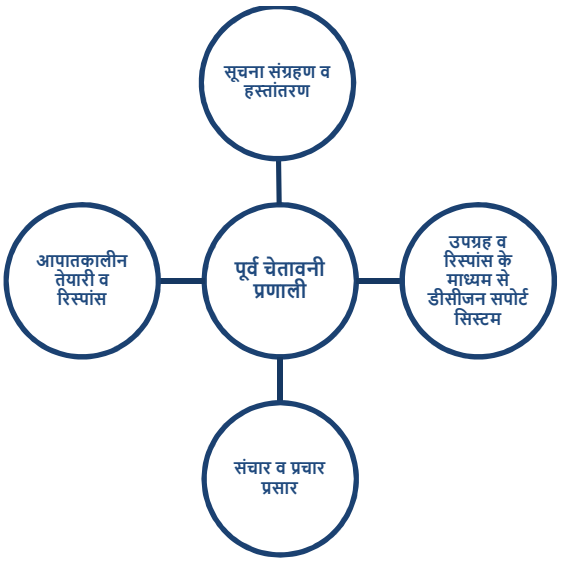

चित्र 1: जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली

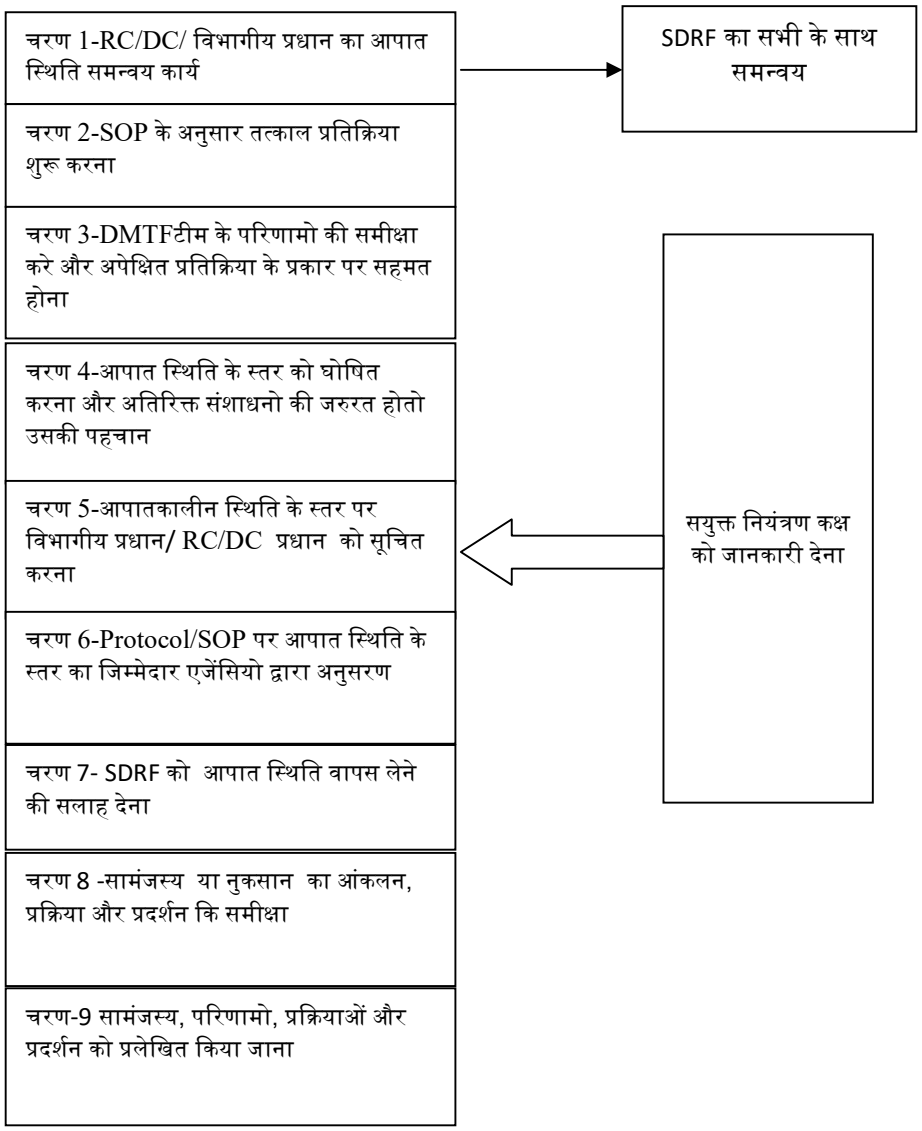

प्रवाह चित्र 2: प्रमुख आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट

- आपदाओं संबंधित पूर्व चेतावनी हेतु राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थान कार्यरत हैं :–

1- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2- मौसम विभाग
3- सुदूर संवेदन विभाग तथा भौगोलिक सूचना तंत्र
4- राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

1.3 आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया-

आपदा की स्थिति में लोग आपदा व उसके प्रतिकूल प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी चरण के दौरान राहत व प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गई कार्यवाही जितनी तेजी व कुशलता से की जायेगी, उतनी ही आधिक जन एवं धन तथा सम्पति के नुकसान को कम किया जा सकेगा। जिले में आपदा के प्रभाव की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया के निम्न चरण होगें –

1. **फर्स्ट रिस्पाँड ग्रुप का निर्धारण**
2. **राज्य सरकार व जिला प्रशासन का सक्रीय होना**
3. **सर्च व रेस्क्यू टीम**
4. **आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली**
5. **आश्रय स्थलों तथा अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था**
6. **शान्ति व्यवस्था बनाये रखना**
7. **क्रेन, बुलडोजर तथा आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण**
8. **अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना**
9. **राहत सामग्री की आपूर्ति**
10. **आपदा के बाद क्षति का आंकलन**
11. **आपदा पीड़ितों हेतु तत्काल राहत**

1.4 सुकमा जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन –

प्रथम समुदाय प्रतिक्रियक –

आकस्मिक आपदा आने के बाद सहायता मिलने में लगभग 12 से 24 घटें का समय लग जाता है अतः जन समुदाय फर्स्ट रिस्पाँडर के रूप में कार्य करते हैं। सुकमा जिले में विभिन्न जोखिम पूर्ण स्थानों पर रहने वाले तथा उनके आस पास रहने वाले समुदायों को आपदा के समय फर्स्ट रिस्पाँडर के रूप में कार्य करने हेतु दक्ष करना आवश्यक है। इस हेतु उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन आवश्यक है।

1.5 राज्य सरकार /जिला प्रशासन का सक्रीय होना –

समुदाय के पश्चात प्रथम रिस्पाँस देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील व नगर पालिका/परिषद् की होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केन्द्र से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशासनिक रिस्पाँस सिस्टम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार प्रस्तावित है–

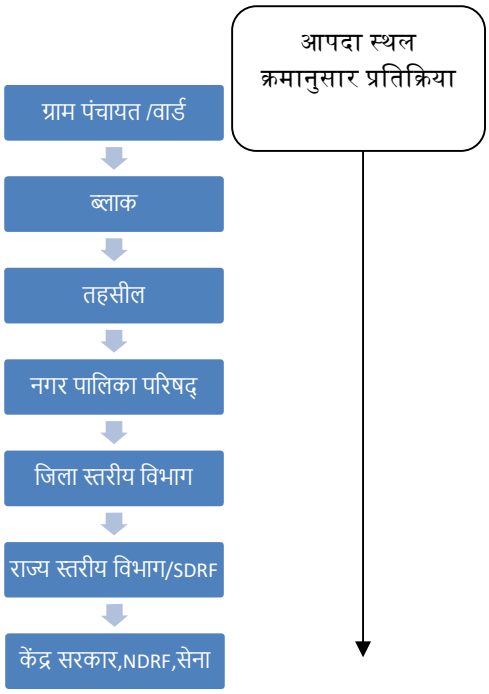

प्रवाह चित्र 3: प्रशासनिक रिस्पांस सिस्टम के विभिन्न चरण

आपदा में त्वरित सहयता पहुचाने के लिए जिले में इंसिडेंट रिस्पाँस टीम (त्वरित कार्यबल) तथा एक इंसिडेंट रिस्पॉस सिस्टम की आवश्यकता होगी जो आपदा के समय तुरंत स्वतः क्रियाशील होकर स्थिति नियंत्रित कर सके। जिला **सुकमा** इंसिडेंट रेस्पाँस टीम का फ्रेमवर्क निम्न प्रकार से होगा –

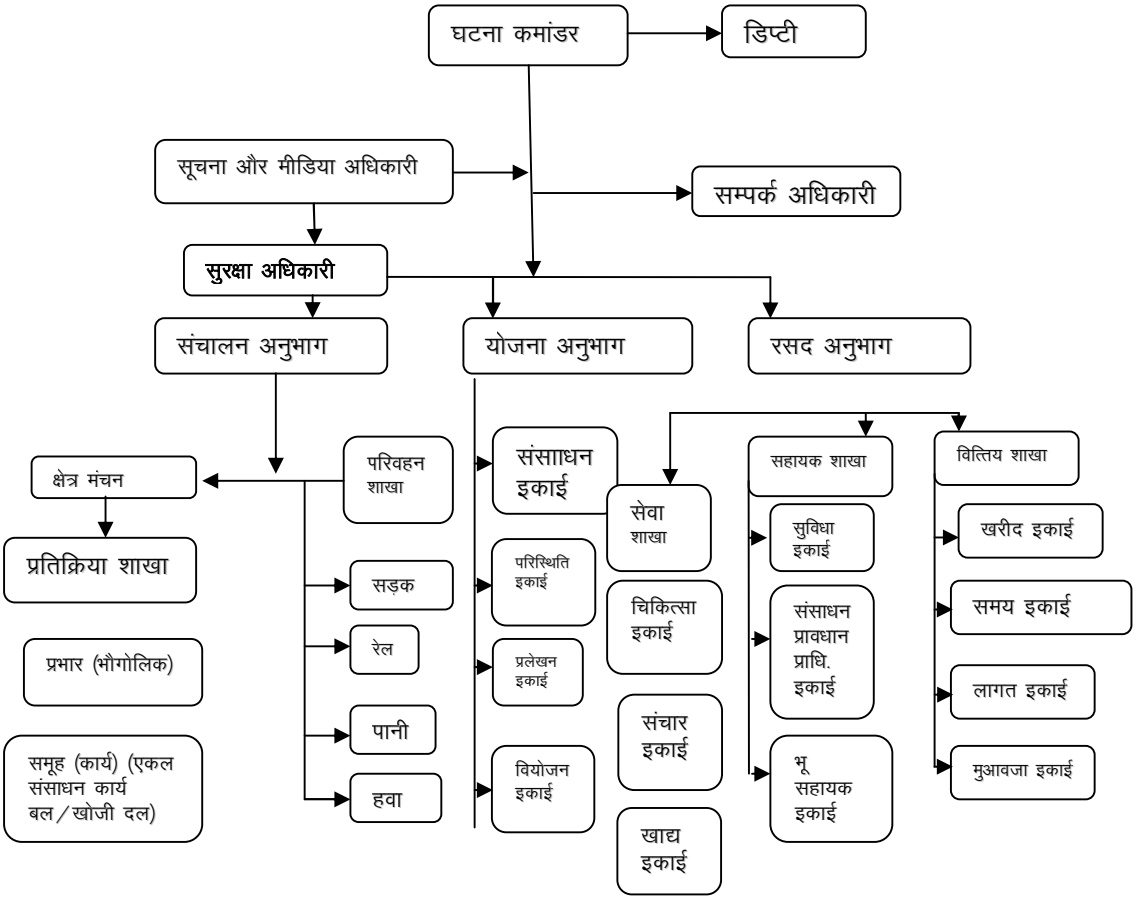

प्रवाह चित्र 4: चित्र –इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम फ्रेमवर्क

इस प्रकार जिले की इंसिडेट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग होंगे। इंसिडेंट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क (IRTF) के किस अनुभाग को सक्रिय करना हैं, क्या कार्य करना है यह जिम्मेदारी कमांड स्टाफ की होगी। जिसके प्रमुख जिला कलेक्टर होंगे। यह फ्रेमवर्क आपदा राहत व प्रतिक्रिया की रीढ़ होगी। इंसिडेंट रिस्पांस टीम का मुख्यालय जिला कार्यालय होगा जो आपदा नियंत्रण कक्ष के समन्वय से कार्य करेगा। आपदा के समय IRTF के विभिन्न चरण तथा घटक निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से क्रियाशील हो जायेंगे।

चित्र 2: इंसिडेंट रिस्पांस टीम

एल – 0	यह आपदा का सामान्य स्तर है जिसमें पूर्व तैयारी शामिल हैं।
एल – 1	यह आपदा का वह स्तर होगा जो जिला स्तर पर ही प्रबंधित की जा सकेगी।
एल – 2	यह आपदा का वह स्तर होगा जो राज्य स्तर के सहयोग से ही प्रबंधित किया जा सकेगा।
एल – 3	यह आपदा का वह स्तर होगा जिसमें केन्द्र सरकार एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

तालिका 2: IRTF के विभिन्न चरण

1.6 आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति –

यह आपदा के विरूद्ध त्वरित प्रतिक्रिया की स्थिति है। इस स्थिति में आपदा की तीव्रता तथा जोखिम लगभग समाप्त हो जाते हैं किन्तु राहत तथा प्रतिक्रिया का कार्य जारी रहता है। इस अवस्था में राहत तथा प्रतिक्रिया की प्राथमिकताऐं बदल जाती हैं। इस अवस्था का प्रमुख कार्य पुनर्वास तथा पुनर्रूत्थान होते हैं। बालोद जिले में राहत व प्रतिक्रिया की आपदोत्तर अवस्था के निम्न चरण होंगे–

- विस्तृत हानि का आंकलन – इसके अर्न्तगत जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सचिव, पटवारी, कोटवार, सरपंच के माध्यम से आपदा से हुई हानि का विस्तृत आंकलन करवाया जायेगा। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकेगा। आपदा से हुए नुकसान के साथ–साथ उसके कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियाँ आदि का भी रिकार्ड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रखा जाएगा। जिससे भविष्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।
- प्रभावित लोगों का पुनर्वास
- आपदा के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की होती है। राहत शिविरों में रह रहे लोग पुनः अपने घरों को लौटना चाहते हैं, इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न उपाय किए जा सकेंगे–

    - राज्य सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दिलवाना। आपदा प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित न होने की दशा में सुरक्षित स्थान पर लोगों के रहने हेतु भूमि की व्यवस्था।
    - भूमि व वित्तीय सहायता का आबंटन प्रभावितों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से किया जायेगा।
    - जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

1.7 पुनर्निर्माण –

जिला स्तर पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया इस प्रकार किया जाएगा जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके, यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस हेतु एक समर्पित कार्यदल का गठन किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए, उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जायेगी।

➢ आजीविका को पुनर्व्यवस्थित करना –

आपदा से प्रभावित परिवारों के समक्ष प्रमुख समस्या आजीविका के साधनों की होगी। इस हेतु सुकमा जिले हेतु निम्न प्रयास सुझाये गये हैं–

1. दुकानों, व्यावसायिक भवनों आदि का ढांचा पुनः सुधारना जिससे प्रभावित लोगों का रोजगार पुनः प्रारम्भ हो सके।
2. जिनकी आजीविका के साधन नष्ट हो चुके हैं उन्हे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा अथवा स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।
3. स्थानीय आवश्यकतानुसार नवीन आजीविका के साधन विकसित किये जायेंगे। इस क्रम में महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

➢ धन का आबंटन व ऑडिट –

विभिन्न माध्यमों जैसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, दानदाताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं जनसहयोग से प्राप्त धन को आपदा राहत व प्रतिक्रिया में खर्च करने के बाद उसकी ऑडिट प्रस्तावित की जायेगी जिससे प्राप्त धन का किसी प्रकार दुरूपयोग न हो सके।

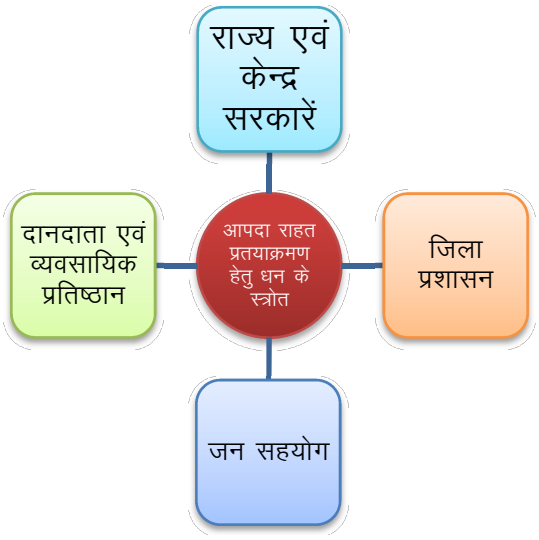

चित्र 3: आपदा राहत व प्रतिक्रिया हेतु धन के स्त्रोत

2. पुनर्निर्माण, पुनर्वास के उपाय

2.1 पुनर्निर्माण और पुनर्वास

पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास आपदा प्रबंधन का आखिरी चरण है। इस चरण में आपदा के पश्चात पुनः एक बेहतर एवं सुरक्षित समाज का निर्माण किया जाता है, अतः यह एक व्यापक प्रक्रिया है। पुनर्निर्माण में सभी सेवाओं, स्थानीय बुनियादी ढांचे, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाओं के प्रतिस्थापन, अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बहाली शामिल होती है। भविष्य में आपदा जोखिमों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित उपायों को शामिल करके ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए पुनर्निर्माण को दीर्घकालिक विकास योजनाओं में पूरी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी–

- बाढ़ से प्रभावित गांवों के इमारतों और घरों में,
- सड़कों, पुलों आदि जैसे बुनियादी ढांचे,
- आर्थिक संपत्ति (वाणिज्यिक और कृषि गतिविधियों आदि सहित),
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

आपदा के पश्चात लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है, इसमें आपदा से प्रभावित लोगों को आपदा क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर बसाना अथवा उसी स्थान पर पुनर्निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली शामिल है। पुनर्वास लोगों को आपदा की स्थिति से पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटाने की प्रक्रिया है, इसमें आपदा से सहमें तथा भयभीत लोगों को मानसिक तथा भावनात्मक बल भी प्रदान किया जाता है।

आपदा के समय आवासीय भवनों तथा प्रशासनिक एवं अन्य भवनों को नुकसान होना स्वाभाविक है। अतः आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है। इस कार्य के तीन अंग है–

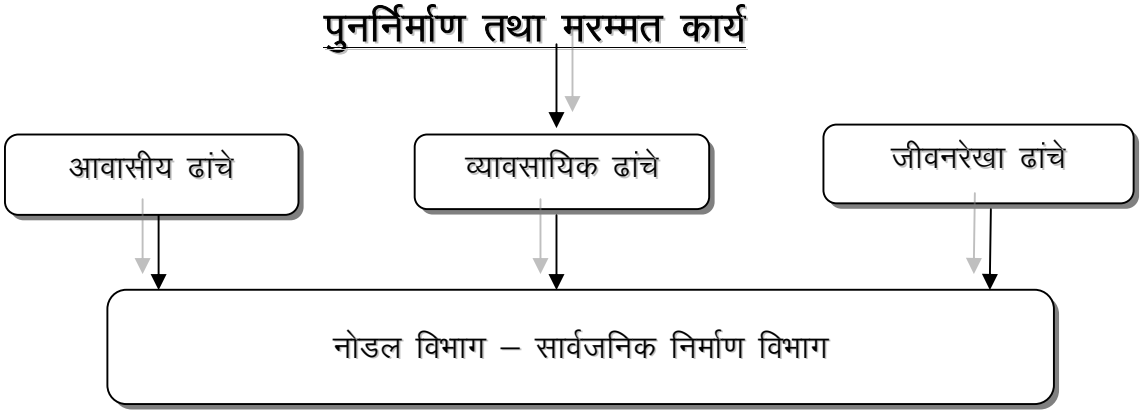

प्रवाह चित्र 5: पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य

2.2 रिकवरी गतिविधियां

2.2.1 अल्पकालिक रिकवरी

शॉर्ट टर्म रिकवरी चरण आपातकालीन घटना के पहले घंटों और दिनों के दौरान शुरू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक सुविधाओं को पुनः स्थापित करना है तत्काल उपायों के साथ अल्पकालिक रिकवरी में निम्नलिखित शामिल हैः

- संचार नेटवर्क
- पुनर्वास
- पीने के पानी की सप्लाई
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा
- खाद्य पदार्थ और कपड़े
- आश्रय और आवास
- सड़कें और पुल
- बिजली की आपूर्ति
- ड्रेनेज और सीवेज

2.2.2 दीर्घकालिक रिकवरी

दीर्घकालिक रिकवरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक–आर्थिक पुनर्विकास और पुनः स्थापना सम्मिलित है। पुनर्निर्माण चरण के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समय और संसाधनों की पर्याप्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भविष्य में किसी भी आपदाजनक मामले में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगेः

- आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक सेवाओं के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण।
- नष्ट हुए पर्याप्त आवास की पुनः स्थापना।
- नौकरियों की पुनः स्थापना.

जिले की आपदा प्रंबधन योजना में त्वरित अथवा लघु अवधि कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे–

1. अति आवश्यक सेवाओं की पुनः बहाली।
2. आधारभूत संरचना की पुनर्रचना।
3. पुनर्निर्माण।
4. आर्थिक सहायता।
5. प्रभावित लोगों का पुनरस्थापना ।

जिले की दीर्घावधि पुनर्वास योजना में दीर्घावधि में प्राप्त किये जाने वाले निम्न उद्देश्य सम्मिलित हैं –

1. प्रभावित लोगों के जनजीवन को पुनः सामान्य बनाना।
2. प्रभावित इलाकों में मानसिक चिकित्सक की उपलब्धता जिससे लोग बुरे अनुभवों को भूल सकें।

3. धीरे–धीरे लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के सतत् प्रयास।
4. लोगो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन बीमा जैसे दीर्घावधि प्रयास।
5. निश्चित समयांतराल पर प्रभावित इलाकों में समस्या समाधान शिविर।
6. प्रभावित इलाकों में पार्क, सिनेमा घर, मॉल इत्यादि की स्थापना जिससे लोग मनोरंजन में समय व्यतीत कर सकें।

2.2.3 नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण –

आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने का प्रभार जिला कलेक्टर का होगा। जिनके निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जायेगा। यह कमेटी विस्तृत आंकलन के पश्चात् रिपोर्ट, जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जिला कलेक्टर यह निर्धारित करेगें कि आपदा किस स्तर की है तथा किस स्तर पर पुनर्उत्थान कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

- **नीति निर्धारण –**

समुत्थान, पुनर्निर्माण व पुनर्वास हेतु निर्धारित नीति के तीन प्रमुख चरण होगें–

1. बहाली
2. पुनर्निर्माण
3. बसाव

- **बहाली–**

यह प्रथम आवश्यक चरण होगा, इसमें आपदा के कारण नष्ट हो चुकी अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली की जायेगी। आपदा के समय विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज, चिकित्सा, शिक्षा आदि आवश्यक सेवाऐं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अतः नीति निर्धारण में इन आवश्यक सेवाओं की बहाली हेतु प्रभावी प्रस्ताव होगा।

- **पुनर्निर्माण –**

आपदा के दौरान आधारभूत सरंचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भूकम्प, बाढ़, आग, सुनामी जैसी आपदा में आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन, रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, व्यावसायिक भवन, सड़कें, पटरियाँ आदि क्षतिग्रस्त हो जाती है अतः नीति निर्धारण का द्वितीय चरण पुनर्निर्माण होगा जिसमें क्षतिग्रस्त तथा नष्ट आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण सम्मिलित है।

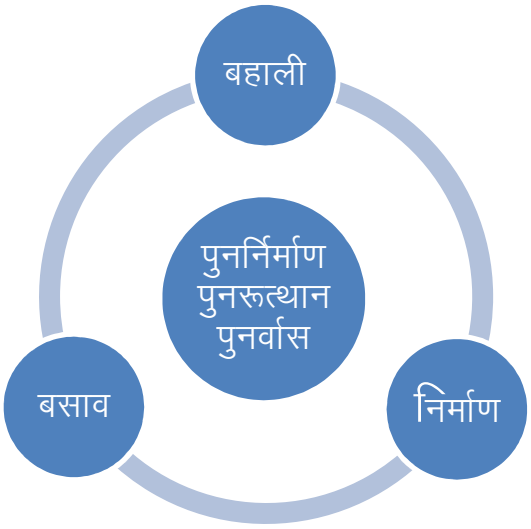

चित्र 4 – नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु

- **बसाव –**

आपदा से बेघर, शारीरिक–मानसिक रूप से टूट चुके व्यक्तियों का बसाव व पुनर्वास आवश्यक है। आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास भी नीति निर्धारण में सम्मिलित है।

2.2.4 पुनर्गठन (समुत्थान) –

इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर प्रभारी विभागों तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को आवश्यक व उचित दिशा–निर्देश प्रदान किये जायेगें। पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यों हेतु अलग–अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करें।

कार्य/पुनर्स्थापना	नोडल विभाग
1. विद्युत	स्थानीय विद्युत वितरण निगम
2. चिकित्सा	चिकित्सा विभाग
3. शिक्षा	शिक्षा विभाग
4. दूरसंचार	जिला दूरसंचार विभाग
5. पेयजल	जिला स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6. सीवरेज	नगर पालिका/परिषद्/ निगम
7. मलबा हटाना	नगर पालिका/ परिषद्/ निगम
8. खोज–बचाव	पुलिस विभाग

तालिका 3 – पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/अधिकारी

पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अर्न्तगत आवश्यक सेवाऐं सम्मिलित की जाती है। इसके अर्न्तगत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बॉटा जा सकता है–

- **बुनियादी सेवाऍं –** बुनियादी सेवाओं में जलापूर्ति, सेनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि आती है। इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेंसियो व एनजीओ की सहायता से यह कार्य संभव है। बालोद जिलें में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकरों से जलापूर्ति, अस्थायी टंकियों का निर्माण आदि उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जायेगा। सेनीटशन तथा सीवरेज हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शौचालय, चल शौचालय तथा स्नानघर उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे उन स्थानों पर सेनीटेशन तथा सीवरेज की समस्या हल हो सके। आपदा के पश्चात् मलबा हटाने हेतु जेसीबी तथा ट्रेक्टरों आदि के लिए नगर परिषद् तथा निजी एजेंसियों की सहायता ली जावेगी।

- **अत्यावश्यक सेवाऐं –** ये सेवाऐं जीवन रेखा कही जाती है – जैसे विद्युत, संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्योंकि राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्ही सुविधाओं पर निर्भर है। सामान्यतया सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी अत्यावश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना कितनी जल्दी होती है क्योंकि इसके असफल होने पर अव्यवस्था, दंगे, पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिले में जिला कलेक्टर के आदेश व अनुशंसा पर विद्युत, संचार व परिवहन स्थापना हेतु क्रमशः – विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग तथा परिवहन विभाग नोडल विभाग बनाये जायेगें जो अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगें।

  आवासीय ढ़ाँचे के पुनर्निर्माण में शहरी व ग्रामीण इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाईन, योजना व पुनर्निर्माण शामिल है। जिले में इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु दो उपाय किये जा सकते हैं –

  1. लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता देना।
  2. उचित स्थान का निर्धारण कर, आवास निर्मित कर लोगों को प्रदान करना।

  आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यावसायिक ढ़ाँचों के पुनर्निर्माण हेतु दी जायेगी। पूर्णरूप से नष्ट आवासीय तथा व्यावसायिक संरचना का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु उचित निर्माण स्थल का चयन करने के बाद बड़ी तादाद में निर्माण सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु जिले में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी । इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अस्थाई तथा स्थाई आवासों का निर्माण किया जायेगा । लोगों की भवन पुनर्निर्माण में स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाईन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं।

3. जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन

3.1 केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता

आपदा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए नीति और फंडिंग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में सम्मिलित होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग हर 5 साल में पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य में एक क्लैमिटी रिलीफ फंड स्थापित किया है, क्लैमिटी फंड का आकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है इसमें 75 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का और 25 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होता है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत सहायता सीआरएफ से दी जाती है। अगर आपदा बहुत व्यापक है जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तो वहां फंड नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंसी फंड (एनसीसीएफ) जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, में दिया जाता है। यह एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। देश में राहत एवं रिसपोंस संबंधी कार्यक्रमों के लिए फंडिंग की संस्थागत व्यवस्था की गई है जो बहुत ही मजबूत और कारगर है, हालांकि आपदाओं की सूची और मांगों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. और यह कार्य राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010–11 में क्लैमिटी रिलीफ फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपोंस फंड (एसडीआरएफ) तथा नेशनल फंड (एनडीआरएफ) कर दिया गया है, तथा स्टेट डिजास्टर मिटिगेसन फंड (एसडीएमएफ) की भी व्यवस्था की गई है। नुकसान का आकलन करने वाली मुख्य एजेंसी जिला प्रशासन है तथा इस काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह, चिकित्सा, पशुपालन, वन, जलापूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं।

3.1.1 क्षमता वर्धन के लिए फंड –

आपदा प्रबंधन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल तक (वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15) 4 करोड़ सालाना देने का प्रावधान किया है यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार में खर्च किया जावेगा।

3.2 राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं –

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा राज्य ने भी एक फंड स्थापित किया गया है जिसका नाम है छतीसगढ़ राहत कोष है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर 6 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और आगामी वर्षों में इसमें 25 लाख रुपए सालाना डाले जाएंगे इस फंड का इस्तेमाल दुर्घटनाओं से पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए किया जाएगा।

3.2.1 बाहय फंडिंग व्यवस्थाएं –

अभी तक बाहय स्त्रोतों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से कुछ परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटाने का प्रावधान है।

3.2.2 वित्तीय प्रावधान –

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से बजट राशि उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केंद्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

3.2.3 आपदा राहत निधि –

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को वित आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है. जिसमें केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होता है, केंद्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं।

3.3 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि –

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत विज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिस पर एक केंद्रीय दल द्वारा स्थिति का आकलन किया जाता है। केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

3.4 राज्य आपदा मोचन निधि–

राज्य में 13वें वित्त आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की पालन में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है. राज्य आपदा मोचन निधि में केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होगा इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदंड अनुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जाएगा।

3.5 छत्तीसगढ़ राहत कोष –

ऐसी प्राकृतिक आपदायें जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना संभव नहीं है, उनमे राहत प्रदान करने/व्यय हेतु छतीसगढ़ राहत कोष स्थापित किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है, इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी. राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

3.6 वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान –

राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु निवारण, तैयारी, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए वित्त की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबंधन हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी।
इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के तहत जोखिम बीमा जैसे वित्तीय साधनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जायेगा। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित इकाई की होगी।

3.7 जिले के वित्तीय संसाधन –

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नहीं हो पाती है। फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर दो प्रकार का राहत कोष बनाया जाएगा।

3.8 जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत –

जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत निम्न है जिनसे आपदा के समय वित्तीय सहायता ली जा सकती है –

व्यावसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान, शोरूम, होटल्स आदि
औद्योगिक संस्थान	राईस मिल आदि
एन0 जी0 ओ0	विभिन्न समाज सेवी संस्थान एवं दानदाता
जन सहयोग	विभिन्न समाज सेवी
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेंगें।

तालिका 4: जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत

4. जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतीकरण

4.1 डीडीएमपी का मूल्यांकन

योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यास, आपदा के पश्चात प्रश्नावली आदि के संयोजन शामिल है, परिणामस्वरूप योजना में उल्लेखित लक्ष्यों, उद्देश्यों, निर्णयों, कार्यों का समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया होगी।

- नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- जिले में किसी भी बड़ी आपदा/ आपात स्थिति के बाद योजना की प्रभावकारिता की जांच करना और उसके अनुसार योजना में संशोधन करना।
- भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) को योजना से जोड़े रखना तथा समय समय पर अद्यतन करना।
- जिम्मेदार कर्मियों और उनकी भूमिका का अर्ध–वार्षिक/ वार्षिक या जब भी परिवर्तन होता है का अद्यतन करना। नियमित रूप से संसाधनों के प्रभारी या नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण का अद्यतन करना।
- योजना सभी हितधारकों विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्रसारित की जानी चाहिए ताकि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को जान सकें और अपनी योजना तैयार कर सकें।
- योजना के प्रभावकारिता का परीक्षण करने और विभिन्न विभागों और अन्य हितधारकों की तैयारी के स्तर की जांच के लिए नियमित अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पार्टियां अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझें और आबादी के आकार और कमजोर समूहों की जरूरतों को समझें.
- योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण और अभिविन्यास किया जाना चाहिए।
- सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को नियमित रूप से योजना और अभ्यास में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- डीडीएमए को आपदाओं के दौरान समन्वय को मजबूत बनाने के लिए सेना या किसी अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ नियमित बातचीत और बैठकों का आयोजन करना चाहिए।

4.2 डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण

डीडीएमपी को अपडेट करने का कार्य जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) में सम्मिलित है। जिनका वार्षिक अद्यतन किया जाएगा। प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारी डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं–

डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप

क्र.	अधिकारियों का विवरण	पद	मो. न.
1	कलेक्टर	अध्यक्ष	9755449925
2	स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि	सह अध्यक्ष	9406281777
3	सीईओ, जिला पंचायत	सदस्य	9406378849
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	9479190085
6	मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी	सदस्य	9407908955
7	ईई, जल संसाधन विभाग	सदस्य	9425516072

तालिका 5: डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप

4.3 आपदा पश्चात मूल्यांकन तंत्र

आपदा मूल्यांकन तंत्र के एक हिस्से के रूप में, डीडीएमए की बैठक जिले में आपदा के 2 सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी, जहां प्रत्येक संबंधित विभाग/ एजेंसी के टीम/ नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। डीडीएमपी के नवीनीकरण की अनुसूची विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी/ डेटा के आधार पर अप्रैल/ मई के महीने में होगी।

4.4 योजना के निरीक्षण व अद्यतीकरण का दायित्व –

DDMP का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना में उल्लेखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जा रहा है। DDMP के निरीक्षण व **अद्यतीकरण** में विभिन्न स्तर होगें।

सर्व प्रथम जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की जायेगी। इस प्राधिकरण में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, विषय विशेषज्ञ शामिल किये जायेगें। यह 8–10 सदस्यीय दल होगा तथा इसमें संख्या निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर का होगा।

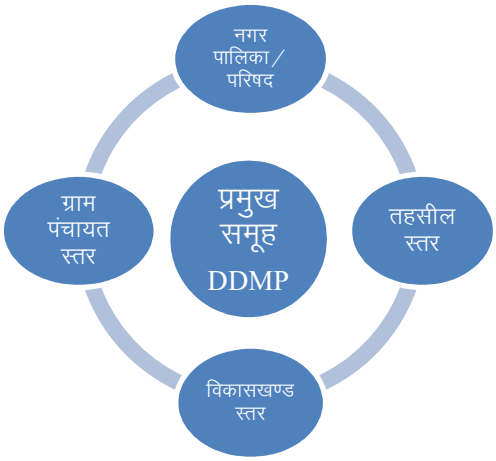

चित्र 5: DDMP के निरिक्षण व आाधुनिकीकरण का चतुस्तरीय तंत्र

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समाान नगर पालिका, तहसील, विकासखण्ड़, ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार की समिति बनायी जानी चाहिए। प्रत्येक स्तर की प्रत्येक समितियॉ DDMP में दिये गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगें। प्रत्येक स्तर की समिति अपने–अपने क्षेत्र की आपदाओं, उनके प्रभाव, उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं राहत व प्रतिक्रिया हेतु आवश्यकताओं का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट वर्ष के अंत में अथवा आवश्यकता होने पर जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। जिसके माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति DDMP में आवश्यक अद्यतीकरण करेगी।

4.5 मीडिया प्रबंधन

मीडिया प्रबंधन आपदा प्रबंधन से संबंधित मूल मुद्दों में से एक है, आपदा के मामले में, मीडिया संवाददाता बाहरी आपदा प्रबंधन एजेंसियों से पहले साइट तक पहुंचते हैं और वे स्थिति का आकलन करते हैं पर इनसे अपवाह की भी स्थिति निर्मित होती है। इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले द्वारा व्यवस्था की जाती है। घटना कमांडर मीडिया को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगाः–

- ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एजेंसियों को सूचना प्रसार के साथ, प्रेस को मूल्यांकन के आधार पर प्रारंभिक डेटा दिया जाएगा। यह अफवाहों के फैलाव को कम करेगा।
- केवल राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया को साइट पर ले जाना चाहिए। हर एक घंटे में, घटना कमांडर अफवाहों को नियंत्रित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति देगा।
- किसी भी मीडिया को मृत स्थिति की तस्वीरों को मुद्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आपदा की स्थिति में, जिला स्तर में केवल पीआर कार्यालय मीडिया के साथ संवाद करेगा और संक्षेप में डेटा प्रदान करेगा, कोई अन्य समांतर एजेंसी या ईएसएफ या आपदा प्रबंधन में शामिल स्वैच्छिक एजेंसी किसी भी प्रकार की प्रेस ब्रीफिंग नहीं देगी।

4.6 जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन

जिला स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा चरण से पहले हर साल आयोजित किया जाएगा। संबंधित विभाग मॉक ड्रिल में भाग लेंगे ताकि वे निकासी, खोज और बचाव, स्वास्थ्य और प्राथमिक

चिकित्सा, पेय सुविधाएं और राहत शिविर सेटअप के लिये, उचित योजना तैयार कर सकें। निष्पादन का मूल्यांकन DEOC द्वारा किया जाना है, जो आयोजन समिति उत्तरदायी है.

4.6.1 माकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाए निम्न होंगी –

- वे संस्थाए जो उस आपदा से जुडी है, जिनकी माकड्रिल की जा रही है। जैसे अग्नि दुर्घटना की माकड्रिल हेतु नगरपरिषद व् अग्निशमन दल।
- उस क्षेत्र का प्रशासन जंहा पर माकड्रिल की जा रही है। जैसे बीजापुर जिले में माकड्रिल की जानी है तो नगर सेना, स्थानीय प्रशासन उत्तरदायी संस्था होगा।

इस प्रकार आपदा विशेष तथा स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी संस्था बनाने से माकड्रिल अधिक यथार्थ प्रभावी हो सकेगी। जबकि वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन तथा राज्यआपदा प्रबंधन कोष से प्राप्त किये जांयेगे।

5. क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लागू के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ है। ये सभी संस्थाऐं परस्पर समन्वय से आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार का काम करेगा। राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रेस्पांस किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते है। इस काम में अन्य कई एजेन्सियॉ तथा संस्थाऐं भी शामिल होती है।

आपात सेवाऐं सदैव तैयार अवस्था में रहती है, जिससे वह तुरन्त रिस्पॉड कर सके तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सके। विभिन्न आपात सेंवाऐं अनिवार्य होती है किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ भी सहयोग करती है। ये सब संस्थाऐं अलग है इनकी ऑथोरिटी अलग है, पदानुक्रम अलग–अलग है। अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देने है तो इन सभी विभागों तथा एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक है। साथ ही एक दूसरें की क्षमताओं, सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक है।

सुकमा जिले में आपदा के समय सभी विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य बेहतर तालमेल हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। जिले द्वारा पूर्व में ही केन्द्र व राज्य स्तर पर तालमेल रखा जायेगा जो महत्वपूर्ण है। DDMP के समन्वित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक का तंत्र निम्न प्रकार होता है –

राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
राष्ट्रिय कार्यकारी समिति	राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन संस्थान	राष्ट्रिय आपदा अनुक्रिया बल

राज्य स्तर			
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	राज्य कार्यकारी समिति	राज्य आपदा प्रबंधन केन्द्र	राज्य आपदा अनुक्रिया बल

⇩

जिला स्तर			
			स्थानिय प्रशासन– तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत के उत्तरदायी विभाग व नोडल अधिकारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	राज्य कार्यकारी समिति	डिस्ट्रीक्ट इंसिडेंट रिस्पांस समिति	

प्रवाह चित्र 6: DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

5.1 केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय –

5.1.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन हेतु देश का शीर्ष निकाय है। यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा–निर्देश निर्धारित करने, आपदा के समय पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

5.1.2 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति –

केन्दीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित '' राष्ट्रीय कार्यकारी समिति'' राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करती है और उसके अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश के अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

5.1.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) –

आपदा प्रबंधन हेतु ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान'' शीर्ष संस्था है। यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों आपदा प्रबंधन अधिकारियों व अन्य हितधाराको के प्रशिक्षण का कार्य करती है। साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, शोध एवं प्रकाशन का कार्य भी करती है।

5.1.4 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) –

किसी चुनौती पूर्ण आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। यह आपदा की स्थिति में बुलाये जाने पर राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

5.2 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) –

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। यह राज्य में आपदा प्रबंधन के नीतियाँ और योजनाऐं निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय है। इसके कार्य राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करना, राज्य आपदा योजना के लिए क्रियान्वयन का समन्वयन करना, निवारण, प्रशमन, तैयारी के उपायों के लिए प्रावधान करना और राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की आपदा सम्बन्धी निगरानी करना है।

5.2.1 राज्य कार्यकारी समिति (SEC) –

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय व राज्य की नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करेगी।

5.3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) –
सुकमा जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह निकाय जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा निवारण, प्रशमन, तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों एवं अधिकारियों द्वारा पालन किया जाये।

5.4 राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) –
केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। इस बल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसे आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, रासायनिक एवं आणविक जैसी आपदाओं के लिए विशेष दल बनाए जायेंगे। महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल के लिए इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। शनैःशनै इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया जायेगा।

5.5 आपदा प्रबंधन केन्द्र –
राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन करने के उद्देश्य से **निमोरा प्रशासन अकादमी रायपुर** में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना, आपदा प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रबंधन एवं अनुसंधान के लिए कार्य करती है। धीरे–धीरे आपदा प्रबंधन केन्द्र का पृथक से स्वतंत्र अस्तित्व विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त **पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रायपुर** में स्थित है जो कि क्षमता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

5.6 नोडल विभाग–
राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की प्रकृति के आधार पर उनके नोडल विभाग निर्धारित कर दिये है। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमोदन से समय–समय पर संशोधन किया जावेगा। इन नोडल विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित आपदा के निवारण, उपशमन एवं तैयारी के लिए आवश्यक योजनाएं बनाऐं।

5.7 जिला स्तर पर समन्वय –
आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉडर स्थानीय प्रशासन व लोग होते है। उनके तुरन्त बाद जिले को उत्तरदायित्व लेना होता है जिले में डीडीएमपी सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसके बाद जिले का उत्तरदायी अधिकारी, जिला कलेक्टर होगा। इसके पश्चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया सचिव या कमाण्डर का कार्य करेगा। इसके साथ जिला सूचना अधिकारी एसडीएम अथवा तहसीलदार (संबंधित स्थान के) कार्य करेंगे। एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा। इसके पश्चात् दल तीन भागों में बंट जायेगा। (1) सभी उत्तरदायी विभागों के मुखिया (2) एसडीआरएफ के लीडर (3) रसद प्रमुख। यह समन्वित ढांचा निम्न प्रकार होगा।

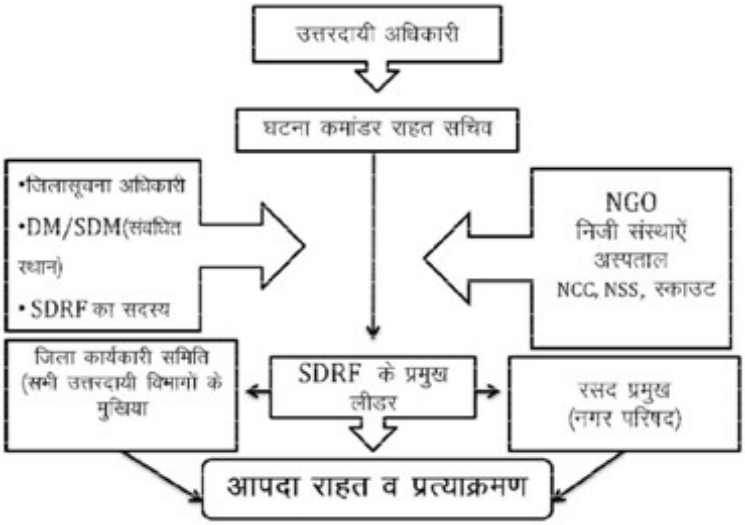

प्रवाह चित्र 7: स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

5.8 स्थानीय स्तर पर समन्वय –

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रसाशन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुक्रिया कारक होते है। आपदा का प्रथम प्रभाव उन्हें ही झेलना पड़ता है, तथा प्रत्याक्रमण भी उन्हें ही करना पड़ता है। अतः स्थानीय प्रसाशन तहसील पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, प्रमुख अनुक्रिया कारक होते है। इस दृष्टि से बालोद जिले में स्थानीय प्रसाशन को सुदृण बनाया जावेगा तथा आपदा संभावित गाँव में प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याक्रमण हेतु ससक्त बनाया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर त्वरित आपदा अनुक्रिया दल का गठन किया जावेगा। इसमें सरपंच, पटवारी, सचिव, कोटवार, मितानिन, चिकित्सा अधिकारी तथा गांव के समाजसेवी लोग सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार निकट तहसील, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत भी आपदा के समय प्रथम अनुक्रिया के समान उपयोगी हो सकते है।

स्थानीय स्तर पर पटवारी, सचिव, सरपंच सचिव, कोटवार सम्पूर्ण तंत्र के आधार होते है, जो आपदा के समय कार्य करते है आपदा के समय दूरस्थ स्थानों की जानकारी, सूचनाओ का सम्प्रेषण, आपदा के स्तर का आकलन, आपदा की क्षति का सर्वेक्षण आदि कार्यों की सही जानकारी स्थानीय स्तर के लोग/कर्मचारी ही दे सकते है।

प्रवाह चित्र 8:स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

5.9 समाजसेवी संस्थाऐं–निजी संस्थाओं से समन्वय –

विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा समाज सेवी संस्थाये ऐसे कारक है जो आपदा के समय प्रशासन के सामान ही प्रभावी ढंग से कार्य करते है बहुत एसे संस्थान है जो लम्बे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे है यह आपदा के समय प्रभावशाली तरीके से कार्य करते है इसी प्रकार निजी विद्यालय निजी अस्पताल भी आपदा के समय समन्वित तंत्र का अहम् हिस्सा होते है सुकमा जिले के सभी निजी एवं शासकीय विद्यालय को आश्रय स्थल तथा निजी अस्पतालों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया जा सकता है।

5.10 पडोसी जिलों के साथ समन्वय –

प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न तथा क्षमता नही होता है। आपदा के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। सुकमा जिला विषम परिस्थिति वाला है। उदाहरण के लिए जिले के तहसील **कोंटा** आदि ऐसे क्षेत्र है, जहां आपदा घटित होने पर जिला मुख्यालय की अपेक्षा पडोसी जिले, तहसील से सहायता तुरंत पहुंच सकती है। उदाहरण – **कोंटा** जहां आपदा घटित होने की दशा में **सुकमा** जिला मुख्यालय की अपेक्षा **ईस्ट गोदावरी** जिला मुख्यालय से राहत तुरंत पहुंच जायेगी। इस हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निकटस्थ जिलों तथा तहसीलों में उपलब्ध संसाधनों की सूची बालोद जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी। जिससे आवश्यकता पड़ने पर मदद ली जा सके। यहां ऐसे जिलों एवं राज्यों की सूची दी जा रही है जो निकटस्थ है तथा आपदा के समय तुरंत सहायता ली जा सके।

क्षेत्र	निकटस्थ, जिला, राज्य क्षेत्र
सुकमा	**मलकानगिरी-ओडिशा**
छिंदगढ़	**सुकमा**
कोंटा	**ईस्ट गोदावरी-आंध्रप्रदेश**

तालिका 6: – तहसील अनुसाार निकटस्थ जिले एवं राज्य जहां से सहायता ली जा सकती है।

5.11 राज्य SDMP से समन्वय –

राज्य SDMP सभी जिलों के लिए आदर्श स्तर एवं मानक होगी। सभी जिले राज्य SDMP के अनुसार अपने–अपने क्रियान्वयन तंत्रों व समन्वय तंत्रों में सुधार करेंगे। **सुकमा** DDMP क्रियान्वयन में भी कोई समस्या या शंका उपस्थित हाने पर SDMP का अनुशरण किया जावेगा।

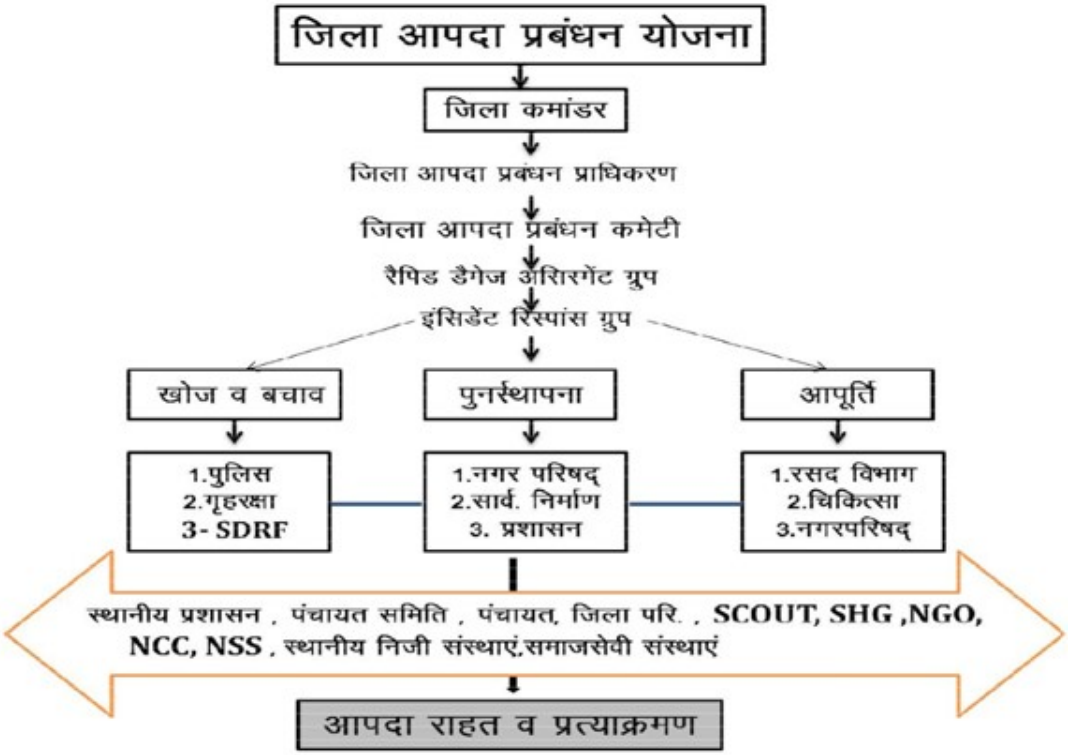

प्रवाह चित्र 9 : जिला आपदा प्रबंधन योजना

6. मानक संचालन कार्यप्रणली तथा चैकलिस्ट

इस अध्याय में शामिल हैंः
1. बाढ़, सूखे और भगदड़ के लिए मानक संचालक कार्यप्रणाली
2. अग्निशमन दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातकालीन निकासी योजना

6.1 मानक संचालन कार्यप्रणाली –

जोखिम विश्लेषण के अनुसार बाढ़ प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। बालोद जिले में सूखे का भी खतरा है, हालांकि, यह धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसमें बाढ़ की तुलना में तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। यह जिला सड़क दुर्घटनाओं, जंगल की आग, महामारी आदि जैसे अन्य सामान्य आपदाओं से ग्रस्त है। चूंकि जिले में मेला (मंडई) होने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, इसलिए अव्यवस्था की संभावना होती है जिसके परिणामस्वरूप उत्सव के दौरान भगदड़, अग्नि दुर्घटनाये जैसी प्राकृतिक आपदाये हो सकती हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओ से निपटने के लिए यह मानक संचालन कार्यप्रणाली प्रस्तावित हैं ताकि आपदा जोखिम में कमी की जा सके और सुरक्षा में वृद्धि हो सके।

i. अग्नि दुर्घटनाओं के लिए सावधानी पूर्वक उपाय।

अस्पतालों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक भवनों आदि में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, धूम्रपान अलार्म या स्वचालित अग्नि का पता लगाने / अलार्म सिस्टम की स्थापना, निवासियों को आग की प्रारंभिक चेतावनी के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। आग दुर्घटनाओं को रोकने और गतिविधियों के दौरान आपात स्थिति की स्थिति को प्रबंधित करने और सावधानी बरतने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

- सभी आवासीय भवनों के लिए आपातकालीन निकासी योजनाएं या जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अग्नि और सुरक्षा नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।
- निकासी के समय में किए जाने वाले प्रक्रियाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित मोकड्रिल अभ्यास किए जाएंगे।
- विशेष रूप से आग बुझाने वाले यंत्र, चिकित्सा किट और मास्क रखने की सलाह दी जाएगी।

ii. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सावधानी पूर्वक उपाय

आपदा के समय के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कदम अपनाए जाने चाहिएः

- भूकंप के दौरान, कुछ भारी फर्नीचर के नीचे छिपना याद रखें या कवर के लिए दरवाजे के नीचे खड़े हो जाओ।
- इमारत में आग लगने से सीढ़ियों से बाहार निकले, लिफ्ट का प्रयोग न करें ।
- अगर घर बाढ़ में डूब रहा हो तो छत या ऊँचे स्थान में जाने का प्रयास करें।
- मदद के लिए कॉल करने के अलावा टेलीफोन का उपयोग न करें, ताकि प्रतिक्रिया के संगठन के लिए टेलीफोन लाइनों को मुक्त किया जा सके।

- नवीनतम जानकारी के साथ अद्यतन रखने के लिए रेडियो और विभिन्न मीडिया द्वारा प्रसारित संदेशों को सुनो।
- रेडियो या लाउडस्पीकर द्वारा दिए गए आधिकारिक निर्देशों को पूरा करें।
- एक पारिवारिक आपातकालीन किट तैयार रखें। विभिन्न प्रकार की आपातकाल परिस्थितियों में, तैयार होने के लिए तैयार होना बेहतर है, सूचना प्राप्त करने के लिए ताकि संगठित हो सके, और बहुत जल्द बचाव कार्य कर सके।
- बाढ़ के दौरान बिजली से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए बिजली प्रवाह बंद कर दें।
- जैसे ही बाढ़ का आना शुरू होता है, ऊपरी मंजिल पर कमजोर लोगों (बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, आदि) को पहुचाये।
- पानी के प्रदूषण से सावधान रहें, सुरक्षित घोषित पानी या पीने से पहले पानी को उबालकर इस्तेमाल करे।
- बाढ़ वाले कमरे को साफ और निर्जलित करें।
- तूफान होने की घोषणा के बाद तूफान के दौरान कार या नाव में बाहर नहीं जाये।
- यदि तूफान में बाहर जाते है तो, तो जितनी जल्दी संभव हो सके आश्रय में शरण लें (कभी भी पेड़ के नीचे नहीं), यदि कोई आश्रय नहीं है, तो किसी गड्ढे या खाई में सीधे लेट जाये।
- आंधी या तूफान होने में दरवाजे, खिड़कियां, और विद्युत कंडक्टर से दूर रहें, बिजली के उपकरणों और टेलीविजन हवाई जहाजों को अनप्लग करें। किसी भी विद्युत उपकरण या टेलीफोन का उपयोग न करें।

6.2 बाढ़ के लिए तैयारी –

6..2..1 सावधानियां –

- मानसून की शुरुआत से पहले सभी हैण्ड पम्प, ट्यूब वेल, सैनिटरी कुएं की जांच की जानी चाहिए और मरम्मत की जानी चाहिए।
- सभी कुओं और पीने के अन्य स्रोतों की कीटाणुशोधन करना और दस्त(डायरिया) से बचाव के लिए नियंत्रित उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
- किसी भी आपातकालीन बचाव अभियान के लिए खोज और बचाव टीमों को रखा जाना चाहिए।
- स्थिति की निगरानी करने के लिए आपातकालीन समन्वय टीम का गठन।
- सुनिश्चित करें कि जल निकासी चैनल / नल - नालिंयो का समय–समय पर साफ - सफाई एवं रख- रखाव ।
- तहसीलदार और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने स्तर पर बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और क्षेत्रीय कर्मचारियों / पीआरआई / एनजीओ / स्थानीय स्वयंसेवकों से जुड़े राहत दल बनायेंगे।

6.2.2 आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन –

ए - विशेषज्ञ संसाधन

- खोज और बचाव दल (गोताखोर / तैराक, आपातकालीन चिकित्सा)
- विशेष उपकरण– नौकाओं, जीवन जैकेट, हेलीकॉप्टर इत्यादि।

बी- जनशक्ति

सी- चिकित्सा सहायता

- एम्बुलेंस (आपातकालीन दवाओ के साथ)
- डॉक्टर
- नर्स

डी- कानून और व्यवस्था एजेंसियां

- पुलिस /नगर सेना
- एसडीआरएफ / एनडीआरएफ
- सेना / वायु सेना (यदि आवश्यक हो)

ई - अन्य अनिवार्यताएं

- जल भंडारण टैंक
- क्लोरीन गोलियाँ
- स्वच्छता सुविधाओं के साथ अस्थायी आश्रय
- अस्थायी आम रसोई या खाद्य पैकेट

किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना नीचे दी गई है:–

कार्य / गतिविधियां	विभाग / जिम्मेदार अधिकारी
अलार्म / मास मैसेजिंग / सामुदायिक प्रणाली विकसित करें	डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर
पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से नियमित अपडेट देखें और कार्रवाई का पालन करें।	डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर
अगर पानी का स्तर महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच रहा है तो अलार्म बढ़ाएं	इंसिडेंट कमांडर
स्थिति का आकलन करें, निकासी योजना बनाएं और समुदाय को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाएं	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
विशेष संसाधनों को सक्रिय करें जैसे खोज और बचाव दल (गोताखोर / तैराक, नाव, जीवन जैकेट, सर्चलाइट्स, नायलॉन रस्सी) विशेष उपकरण (हेलीकॉप्टर, सैंडबैग, हुकुम, पोर्टेबल मोटर पंप)	इंसिडेंट कमांडर
एकीकृत आदेश स्थापित करें (प्रतिक्रिया एजेंसियों	इंसिडेंट रिस्पांस टीम

के साथ संपर्क के लिए)	
बाढ़ वाली सड़कों और क्षेत्रों में सुरक्षा एवं प्रवेश प्रतिबन्ध	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
आईएमडी / सीडब्ल्यूसी और अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में घंटे–प्रति घंटे की स्थिति का आकलन करें	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
क्षति मूल्यांकन का संचालन करें	डीडीएमए
पूरी तरह से चेक–अप और औपचारिक निकासी के बाद, समुदाय को उनके निवास स्थान पर लौटने की अनुमति	इंसिडेंट रिस्पांस टीम

तालिका 7: बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना

6.3 सूखे के लिए तैयारी –

6.3.1 सावधानियां –

- जिलों और उप–जिलों के स्तरों, विशेष रूप से कमजोर जिलों में कृषि आकस्मिक योजनाओं की तैयारी।
- तहसील स्तर पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान।
- सूखा प्रभावित स्थानों पर सूखा लचीला विविधता के बीज जैसे इनपुट की तैयारी।
- सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल निकायों / टैंक / कुओं आदि की मरम्मत और रखरखाव।
- जिम्मेदारियों के स्पष्ट आवंटन के साथ - साथ आकस्मिक उपायों को शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
- किसानों के बीच अन्तराल फसल,गीली घास,जंगली घास, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि जैसे प्रबंधन प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करना।
- किसानों को फसल बीमा रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गांवों में वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन जैसे जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना

6.3.2 सूखा प्रबंधन के लिए उपयोगी सूचना –

- सूचना प्रदान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी सीमांत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
- डाटाबेस, फसल की स्थिति, बाजार की जानकारी इत्यादि पर नियमित रूप से बनाया और अपडेट किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), आईएसआरओ, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा स्थापित गांव संसाधन केंद्रों से नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करना।

6.4 भगदड़ से बचाव के लिए तैयारी एवं उपाय

- पंडाल और आश्रय के आस–पास के क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करना।
- प्रमुख स्थानों और निकास मार्गों तक पहुंचने के लिए रूट मानचित्र का निर्माण।

- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार में लोगों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वार पर बैरीयर सिस्टम का उपयोग करे।
- छीना–झपटी जैसे अन्य छोटे अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और पुलिस उपस्थिति।
- गहरे पानी वाले स्थानों के आसपास बच्चों और बुजुर्गों को डूबने से रोकने के लिए बचाव दल के एक हिस्से के रूप में व्यावसायिक तैराको तैनात करना।
- भीड़ वाले स्थानों के आसपास एक एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था।
- अनियोजित और अनधिकृत विद्युत वाइरिंग, भीड़ वाले स्थानों में खाद्य स्टालों पर एलपीजी सिलेंडरों की जांच की जानी चाहिए।
- नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की सूची का निर्माण ।

6.5 अन्य सभी आपदाओं के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली

- **आग**

  आग दुर्घटना के दौरान अग्नि शमन बचाव विभाग को बुलाएं इमारत / अपार्टमेंट परिसर को निकटतम उपलब्ध निकास से खली करें। आपातकाल के दौरान परिसर या अपार्टमेंट छोड़ने के लिए कभी भी लिफ्ट का उपयोग न करें। यदि आपके कपडे में आग लगी है तो न घबराए न दौड़ें, रुकें और रोल करें।

- **गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें**

  धुंए और दम घुटने से बचने के लिये गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें कभी भी ऊंची इमारत के किनारे चढ़ने का प्रयास न करें और न कूदें क्योंकि इसका मतलब की मौत हो सकती है।

- **भागिए मत**

  आग के दौरान, कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) जैसे जहरीले गैसों धुएं में होती है। जब आप धुएं से भरे कमरे में भागते हैं, तो आप धुएं को तेजी से श्वास में लेते हैं। सीओ इंद्रियों को सुस्त करता है और स्पष्ट सोच को रोकता है, जिससे बचने के लिए गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें

- **प्राकृतिक आपदा**

  अधिकांश आपदाएं भूकंप, बाढ़, तूफान, सैंडस्टॉर्म, भूस्खलन, सुनामी और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक हैं। हमारे पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम उनके कारण उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए तरीका सीख सकते हैं। बाढ़, आग, भूकंप, भूस्खलन, बचाव जैसी आपदाओं के दौरान घर से बचाव शुरू होता है। बाहरी सहायता आने से पहले, आपदाओं से प्रभावित लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।

  सरकार और कई स्वैच्छिक संगठन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान में प्रशिक्षित लोंगो की टीम भेजते हैं। ये टीम स्थानीय सामुदायिक सहायकों जैसे डॉक्टरों, नर्सों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं।

अस्थायी आश्रय विस्थापित लोगों के लिए बनाया जाता है। डॉक्टर और नर्स चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। वे घायल और महामारी को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आपदा प्रभावित लोगों के लिए भोजन और कपड़े एकत्र करते हैं। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। मीडिया–पीड़ितों और उनकी स्थितियों के बारे में खबर फैलाने में मदद करते हैं। वे ऐसे विज्ञापन भी पोस्ट करते हैं जो लोगों से पीड़ितों के लिए दान करने का आग्रह करते हैं।

चरम स्थितियों में, सेना और वायु सेना बचाव अभियान आयोजित करती है। वे सड़कों को साफ़ करते हैं, मेडिकल टीम भेजते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करते हैं। वायु सेना प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और कपड़े छोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करता है।

6.6 केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता–

क्र सं.	कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पुनर्वास
1	खाली करवाना (आवासीय व व्यवसायिक भवन)	पुलिस,नगर परिषद्	• जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत खाली करवाना। • व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन। • विस्थापित लोगों हेतु अस्थायी सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना।
2	खोज व बचाव	पुलिस, NGOs,स्काउट, NSS,NCC,SDRF, नगर सेना	• संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थान पर भेजना। • संकटग्रस्त पशुओं को बचाना। 3. गुमशुदा व्यक्तियों की खोज।
3	प्रभावित क्षेत्र का सुरक्षा घेरा	पुलिस, नगर सेना SDRF	• प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने हेतु सुरक्षा घेरा ताकि भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखा जा सके।
4	यातायात नियंत्रण	पुलिस, यातायात पुलिस, NGOs	• प्रभावित स्थल के आस–पास वाहनों को न आने देना। • राहत कार्य में लगे वाहनों को शीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था। • आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की व्यवस्था।
5	कानून व्यवस्था	पुलिस, नगर सेना SDRF	• आपदा के समय भगदड़ आदि को रोकने की व्यवस्था। • अफवाहों को रोकना। • दंगें तथा लूटपाट को रोकना। • प्रभावितों को जान माल की सुरक्षा।
6	मृत देहों का	चिकित्सा विभाग,	• महामारी व प्रदूषण से बचने हेतु मृत देहों का

	निस्तारण	पुलिस, नगर परिषद	तुरंत विस्थापन। • मृत देहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था।
			• रासायनिक या जैविक या महामारी की दशा में मृत देहों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था। • मृत लोगों को सन्दर्भ में उनके रिश्तेदारों को सूचना।
7	मलबे का निस्तारण	पुलिस, नगरपरिषद्, प्रशासन SDRF	• अतिआवश्यक सेवाओं के पुनः स्थापना हेतु मलबे को हटाना। • मलबे के उचित स्थान पर डालना। • मलबे को सावधानी पूर्वक हटाना जिससे मूल्यवान वस्तुओं व मृत देहों को नुकसान न हो।

तालिका 8: केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता

6.7 मानवीय राहत व सहायता –

राहत व पुनर्वास के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताऐं आती है, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अतिआवश्यक होती है जो जिले में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अति आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होंगे –

क्रं. स.	अत्यावश्यक मानवीय सुविधाऐं	मानक स्तर के कार्य
1	भोजन	1.दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण
		2.भोजन के पैकेट दानदाताओं से, घर से एकत्रित करके, रसद विभाग।
		3.फल इत्यादि का वितरण।
2	पेयजल	1.नगरपरिषद् द्वारा पेयजल टेंकर उपलब्ध करवाना।
		2.जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल।
		3.पूर्व में विद्यमान जल स्त्रोतों की सफाई व क्लोरीन डलवाना।
		4.पेयजल आपूर्ति तुरंत बहाल करना।
3	दवाइयॉ	1.सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक बुखार, दस्त उल्टी आदि की दवाओं का वितरण।
		2.दवा व्यावसायियों के पास पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।
4	वस्त्र	1.जिला प्रशासन व दानदाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण
		2. NGOs,NSS, NCC, द्वारा पुराने वस्त्रों का संग्रहण व जरूरत मंदो में वितरण।
6	अस्थायी आवास	1.अस्थायी आवास (स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन) की व्यवस्था।
		2. बारिश से बचाव हेतु तिरपाल वितरण
		3. अस्थायी टेंट

7	हेल्पलाईन	1.आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
		2.आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर तुरंत हेल्प लाईन नम्बर की स्थापना।
8	वीआईपी भ्रमण	1.नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियो, सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था।
		2.परिवहन तथा भीड़ का नियंत्रण।
9	निजी संस्थाओं का सहयोग	1.निजी विद्यालय –अस्थायी आवास के रूप मे
		2. निजी अस्पतालों के ससाधनों का प्रयोग
		3. निजी बिल्डरों से जेसीबी, टैक्ट्रर ट्रॉली, डम्पर आदि की सहायता लेना।

तालिका 9: मानवीय राहत व सहायता

जिले में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक SOP (Standard Operating Procedure) निर्धारित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा। इसके पश्चात् चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा। आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुए बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा। आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाऐं भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी। डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबंधन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया है।

खण्ड — 4

अनुबंध

जिला–सुकमा(छ.ग.)

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुकमा
(आपदा प्रबंधन योजना)
विषय सूची/क्रम सूची

क्रमांक	विषय –सूचि	पृष्ट संख्या
1	अनुबंध 1 संपर्क विवरण	1–27
2	अनुबंध 2 उपकरणों एवं संशाधनो की सूचि	28–42

अनुबंध 1 **संपर्क विवरण**

National Disaster Management Authority **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** **(NDMA)**	**एन.डी.एम.ए., भवन**
	ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव
	नई दिल्ली - 110029
	दूरभाष +91-11-26701700
	नियंत्रण कक्ष +91-11-26701728
Government of India **भारत सरकार**	हेल्पलाइन नंबर 011-1078
	फैक्स +91-11-26701729

एनडीएमए नियंत्रण कक्ष				
नाम	**कार्यालय**	**फैक्स**	**मोबाइल**	**ईमेल आई डी**
नियंत्रण कक्ष	011-26701728	011-26701729	9868891801	controlroom@ndma.gov.in
	011-1078		9868101885	ndmacontrolroom@gmail.com

एनडीआरएफ मुख्यालय
मुख्यालय एनडीआरएफ, अन्त्योदय भवन,बी-2 विंग 9th फ्लोर
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110033
नियंत्रण कक्ष की जानकारी
नंबर - 011-24363260, फैक्स न. – 011-24363261
EMAIL ID**: hq.ndrf@nic.in**
एक्सचेंज/रिसेप्शन विवरण
क्र. - 011-24369279, फैक्स - 011-24363261
एनडीआरएफ यूनिट
श्री जैकब किसपोटटा **,** कमांडेंट
3री एनडीआरएफ बटा.
पो – मुंडाली,कटक – ओड़िसा, पिन - 754013

नाम	**कार्यालय**	**फैक्स**	**यूनिट कंट्रोलरूम न.**	**ईमेल आई डी**
ओड़िसा जोन	0671-2879710	0671-2879711	0671-2879711 09437581614	ori03-ndrf@nic.in

राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष	श्रीमती हीना नेताम, संयुक्त आयुक्त
	पुराना भू – अभिलेख कार्यालय
	गाँधी चौक, रायपुर

राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष				
नाम	कार्यालय	फैक्स	मोबाइल	ईमेल आई डी
नियंत्रण कक्ष	0771-2223471	0771-2223472	7974916920	cgrelief@gmail.com

(A) जिला स्तर नियंत्रण कक्ष			
क्र.	**आपदा नियंत्रण कक्ष**	**अधिकारी**	**दूरभाष] मोबाइल**
1	जिला स्तर	श्री हिमांचल साहू डिप्टी कलेक्टर जिला सुकमा	07864.284012 9437608423
2	अनुभाग स्तर	श्री जे.आर.चौरसिया अ0वि0अ0(रा.) सुकमा	07864.284011 9406032191
		श्री प्रदीप वैध अ0वि0अ0 (रा0) कोण्टा	07866.261622 9407775757
3	तहसील स्तर	श्री उत्तम प्रसाद रजक तहसीलदार छिन्दगढ़	07863.244611 9424184244
		श्री भागीरथी खाण्डे तहसीलदार कोण्टा	9424183973
		श्री मनोज भारद्वाज नायब तहसीलदार	07864.284282 7587870733
4	चिकित्सा विभाग	डॉ. विरेन्द्र ठाकुर	07864.284235 9424281947
5	जिला सेनानी नगर सेना	श्री एस.एन.नेताम	94241.84267
6	पुलिस नियंत्रण कक्ष जिला सुकमा	श्री भरत खुंटे सहायक उपनिरीक्षक	07864.284204 284107 284103

जिला सुकमा अंतर्गत अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	मुख्यालय	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	**श्री जय प्रकश मौर्य**	**कलेक्टर, जिला सुकमा**	**सुकमा**	**9755449925**
2	**श्री कमलेश कुमार जुर्री**	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	**सुकमा**	**9406265111**
3	**श्री अभिषेक मीणा**	**पुलिस अधीक्षक, सुकमा**	सुकमा	**9479190085**
4	**श्री के.आर.बढई**	**वन मण्डलाधिकारी, सुकमा**	सुकमा	**9425586652**
5	**श्री गजेन्द्र ठाकुर**	**मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत**	**सुकमा**	**9406378849**
6	श्री जे.आर.चौरसिया	संयुक्त कलेक्टर/अनु.वि.अ(रा)	सुकमा	9406032191
7	श्री हिमांचल साहू	डिप्टी कलेक्टर (परि.)	सुकमा	9437608423
8	श्री रवि साहू	डिप्टी कलेक्टर (परि.)	सुकमा	7646811455 9827882080
9	श्री के.एल.सोरी	डिप्टी कलेक्टर	सुकमा	9425590137
10	श्री प्रदीप कुमार वैद्य	डिप्टी कलेक्टर / अनु.वि.अ.(रा.)	कोन्टा	9407775757
11	श्री नभ एल स्वाईल	डिप्टी कलेक्टर (परि.)	सुकमा	7587496034
18	श्री मनोज कुमार भारद्वाज	प्रभारी तहसीलदार (नायब तहसीलदार)	सुकमा	7587870733
15	श्री उत्तम प्रसाद रजक	तहसीलदार	छिन्दगढ	9424184244
12	श्री भागीरथी खाण्डे	तहसीलदार	कोन्टा	9406012586
	श्री लहरे	नायब तहसीलदार	सुकमा	9755993954
13	श्री रूपेश मरकाम	नायब तहसीलदार	छिन्दगढ	7647007343
16	श्री रामसिंह राणा	नायब तहसीलदार	छिन्दगढ	9406083733
14	श्री प्यारेलाल नाग	नायब तहसीलदार	कोन्टा	9406159948
17	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	दोरनापाल	9479103133
19	श्री राकेश बेहरा	नायब तहसीलदार	छिन्दगढ	9407785724
20	**श्री पी.एल.रामटेके**	**सहायक आयुक्त / परि. प्रशासक**	सुकमा	9424292202
21	**श्री राजेन्द्र सिंह राठौर**	**जिला शिक्षा अधिकारी/जि.प.स. रा.गा.शि.मि.**	सुकमा	9424281456
22	**श्री एस.एस.चौहान**	**जिला मिशन समन्वयक, रा.गा.शि.मि.**	सुकमा	9424290405
23	श्री चन्द्रशेखर कश्यप	सहायक संचालक जनसंपर्क	सुकमा	9406032355
24	श्री विनोद कुमार ओग्वे	मुख्या कार्यपालन अधिकारी, ज.पं.	सुकमा	9407653321
25	श्री एस.एल.देवांगन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं.	छिन्दगढ	9406282435
26	श्री एस.एस.मण्डावी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं.	कोन्टा	9424124080
27	**श्री के.आर.गंजीर**	**कार्यपालन अभियंता, लो.नि.विभाग**	सुकमा	9424172234
28	श्री व्ही.के.पटेरिया	कार्या. अभियंता, पुलिस हाउसिंग कार्पो.	दोरनापाल	9407678216
29	श्री भुआर्य	एस.डी.ओ. पी.डब्लू.डी.	दोरनापाल	9406289033
30	विकास श्रीवास्तव	एस.डी.ओ.,पी.डब्लू.डी.	सुकमा	7646964368

31	श्री नागेश कुमार साहू	एस.डी.ओ.,पी.डब्लू.डी.	कोंटा	9424123612
32	श्री दीपक ध्रुव	एस.डी.ओ.,पी.डब्लू.डी.(ई.एण्ड.एम)	सुकमा	9406056887
33	**श्री एल.पी.शर्मा**	**कार्यपालन अभियंता, ग्रा.यां.वि.**	सुकमा	9424214809
34	श्री अनिल राठौर	आर.ई.एस., एस.डी.ओ.	सुकमा	9425260263
35	श्री के.आर.टाण्डेय	आर.ई.एस., एस.डी.ओ.	छिन्दगढ	8717952170
36	श्री एच.डी.कुर्रे	आर.ई.एस., एस.डी.ओ.	कोंटा	9479079139
37	**श्री जे.के.लकड़ा**	**कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग**	सुकमा	9425516072
39	श्री डी.एल.कोरी	एस.डी.ओ. जल संसाधन विभाग	कोंटा	9424450127
40	**श्री व्ही.के.उरमलिया**	**कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां.**	सुकमा	9424150257
41	श्री आर.एल.मंडावी	एस.डी.ओ., लो.स्वा.यां.	सुकमा	9407632100
42	**श्री एस.के.सोनी**	**कार्यपालन अभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि. अभि.**	सुकमा	9425261240
43	श्री अरूण वर्मा	अ.वि.अ., छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि.	सुकमा	9425519884
44	**श्री के.एल.उईके**	**कार्यपालन अभियंता, सी.एस.ई.बी.**	सुकमा	9424111481
45	श्री बी.सी.सिंह	सहा. अभियंता, सी.एस.ई.बी.	सुकमा	9406356700
46	**श्री ए.के.चौहान**	**कार्यपालन अभियंता, एन.एच.**	सुकमा	9406062552
47	श्री आर.एन.उसेण्डी	एस.डी.ओ. एन.एच.	सुकमा	9424286708
48	श्री जे.एल.टण्डन	एस.डी.ओ. एन.एच.	कोंटा	9425244794
49	**श्री प्रभु किण्डो**	**कार्यपालन अभियंता, सेतू निर्माण**	जगदलपुर	9425502914
50	**श्री सी.के.ठाकुर**	**कार्यपालन अभियंता, हाउसिंग बोर्ड**	जगदलपुर	9424209020
51	**श्री ओ.पी.बघेल**	**अनुविभागयी अधिकारी हाउसिंग बोडे**	सुकमा	9407969515
52	**श्री बैगा**	**कार्यपालन अभियंता, क्रेडा**	जगदलपुर	8370008662
53	श्री प्रदीप कुमार महेश्वरी	सहायक अभियंता क्रेडा, सुकमा	सुकमा	9407908955
54	डॉ. विरेन्द्र ठाकुर	सी.एम.एच.ओ.	सुकमृा	9424281947
55	डा.सी.बी.प्रसाद बनसोड	सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय	सुकमा	9479114799
56	डॉ. के.आर. गौतम	ए.एम.ओ. जिला आयुर्वेद अधिकारी	सुकमा	9425597875
57	श्री रोहित वर्मा	डी.पी.एम.	सुकमा	9479268598
58	श्रीमती भारती कोर्राम कश्यप	जिला को ाालय अधिकारी	सुकमा	9406214298
59	श्री सुधाकर बोदले	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सुकमा	9752100372
60	श्री गणेश कुमार कुर्रे	जिला खाद्य अधिकारी	सुकमा	9407976812
61	श्री के.आर.पिस्दा	सहायक खाद्य अधिकारी	सुकमा	7587422300
62	श्री आकाश राहि	प्रबंधक, जिला नागरिक आपूर्ति निगम	सुकमा	9977115282 9407711484
63	श्री सी.केरकेट्टा	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सुकमा	7646852917
64	श्री दिनबंधु ध्रुव	मैनेजर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सुकमा	9424219565
65	श्री वीरूपाक्ष पुराणिक	जिला खेल अधिकारी (प्रभारी)	सुकमा	9425260430

66	श्री मनहरण कोशले	मु.का.अ., जिला अंत्यावसायी	सुकमा	7587230938
67	श्री एन.के.नेताम	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	सुकमा	9479010062
69	श्री राकेश जोशी	सहायक संचालक, कृषि विभाग	सुकमा	9406338417
70	श्री बी0एस0बघेल	प्रभारी उप संचालक, समाज कल्याण	सुकमा	9406088628
71	डॉ. जहीरउद्दीन	उप संचालक, पशु चिकित्सा	सुकमा	9424220786
72	श्री राजेश कुमार पानीग्राही	सहायक संचालक मत्स्य उद्योग	सुकमा	9424283533
73	श्री आर.आर.गहलोद	सहायक संचालक रेशम	दंतेवाडा	9406003071
74	श्री एस.आर.अजगरा	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	जगदलपुर	9406088669
75	श्री सत्यजीत पिस्दा	सहायक संचालक, सी.एस.एस.डी.ए.	सुकमा	7587415735
76	श्री आलेखराम सिदार	जिला आबकारी अधिकारी	सुकमा	9425233294
77	श्री के.पी.ठाकुर	सहा. श्रम पदाधिकारी	सुकमा	9479201376
78	श्री रविन्द्र आदिले	कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग	सुकमा	8223856126 7646865690
79	श्री एस. चन्द्रवंशी	वन विभाग, एस.डी.ओ. (नारंगी क्षेत्र)	सुकमा	9406153770
80	श्री खुजुर	वन विभाग, एस.डी.ओ. (तेन्दुपत्ता)	सुकमा	8720884721
81	श्री अनवर खान	वन विभाग, एस.डी.ओ.	सुकमा	7587207500
82	श्री शिवप्रकाश सिंह चौहान	खण्ड शिक्षा अधिकारी	सुकमा	9425596495
83	श्री बी.आर.बघेल	खण्ड शिक्षा अधिकारी	छिन्दगढ	9424298225
84	श्री बी.वी.राव	खण्ड शिक्षा अधिकारी	कोंटा	7587170136
85	श्री उमाशंकर तिवारी	खण्ड स्त्रोत समन्वयक	सुकमा	9407616457
86	श्री राजीव दीक्षित	खण्ड स्त्रोत समन्वयक	छिन्दगढ	9425575472
87	श्री बी.एस.रेड्डी	खण्ड स्त्रोत समन्वयक	कोंटा	9406105505
88	श्री लाल सिंह मरकाम	नगर पालिका/परिषद, सी.एम.ओ.	सुकमा	9406257888
89	श्री आर.के.बंजारे	सी.एम.ओ.,नगरपंचायत	दोरनापाल	7646901445
90	श्री जोशी	नगर पंचायत, सी.एम.ओ.	कोंटा	9424287892
91	श्री प्रमोद नायक	जिला खनि अधिकारी (प्रभारी)	सुकमा / दंतेवाडा	7587350731
92	श्री एम.के.नर्मदा	प्राचार्य, शहीद बापूराव पी.जी.कॉलेज सुकमा	सुकमा/कोंटा	9425260241
93	श्री एस.के.सिंह	प्राचार्य, पॉलीटेकनीक कॉलेज सुकमा	सुकमा	9479256437
94	श्री ओ.डी.साहू	प्राचार्य, आई.टी.आई. सुकमा (प्रभार)	सुकमा	9575031948
95	श्री ए.ओ.लारी	जिला रोजगार अधिकारी (प्रभार)	सुकमा / जगदलपुर	9406346840
96	श्री मो.शाहिद	ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर	सुकमा	9406076086
97	श्री हेमंत जांभुलकर	लीड बैंक आफिसर	सुकमा	9425267625
98	श्री नरेन्द्र कुमार डहरिया	उप–जेल अधीकक्षक	सुकमा	9424250525
99	डॉ. डीपेश चन्द्राकर	पदेन अधीक्षक, उप–जेल	सुकमा	9406437075
100	श्री सुदेश कुजूर	शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	सुकमा	9425265606

101	श्री बी.पी.रथ	शाखा प्रबंधक, पंजाब नेश्नल बैंक	सुकमा	9425501376
102	श्री आर.पाल	शाखा प्रबंधक, सहकारी बैंक मर्या.	सुकमा	9479189783
103	श्री	शाखा प्रबंधक, छ.ग. ग्रामीण बैंक	सुकमा	9425546856
104	श्री सौरभ शुक्ला	शाखा प्रबंधक, यूको बैंक	छिन्दगढ	9407728508
105	श्री राकेश वर्मा	खनिज निरीक्षक, सुकमा	सुकमा	7587294728
106	श्री यूके	कम्पनी कमाण्डेंट, नगर सेना,	सुकमा	9406130545
107	श्री नरसिम्हा राव	प्राचार्य,जवाहर नवोदय विद्यालय सुकमा	सुकमा	9406315598
108	श्रीमती सत्या कश्यप	जिला पंजीयक (प्रभारी)	जगदलपुर	9425591661
109	श्री सुभाष सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर प्र.आर.टी.ई.ओ.	सुकमा/दन्तेवाड़ा	7587139897

DISTRICT OFFICE CREDA SUKMA

S.No	**DESIGNATION**	**NAME**	**MOBILE NUMBER**
1.	ASSISTANT ENGINEER	Mr.PRADEEP KUMAR MAHESHWARI	94079-08955
2.	JUNIOR ENGINEER	Mr.KRISTESH KUMAR GENDRE	75878-18221
3.	JUNIOR ENGINEER	Mr.RAMKINKAR SINGH	94790-57160
4.	COMPUTER OPERATOR	Mr.PANKAJ KUMAR VERMA	9039938138
5.	MECHANIC	Mr.REMAN SINGH RAWTE	94061-10306
6.	DRIVER	Mr.ANGEHSWER PRASAD SHAU	94792-37352
7.	JUNIOR ASSISTANT	Mr.GHNSHYAM NAYAK	76468-67720
8.	HELPER/PEON	Mr.SHUDAN SINGH BAGHEL	75873-45939
9.	HELPER/PEON	Mr.BHUWNESHWER KASHYAP	94791-65297
10. 1	HELPER/PEON	Mr.KAUSHAL SINGH THAKUR	94063-38719
11.	04Wheeler		

पुलिस विभाग के अंतर्गत अधिकारियों की सूची

S.No.	DESIGNATION	NAME	MOBILE NUMBER
1	S.P.	Abhishk meena	9479190085
2	Add. S.P.	Jitendra shukla	9479194301
3	Add. S.P.	Harish rathore	9479191301
4	Add. S.P.	Sanjay mahadeva	9479191585
5	DSP	Rajkumar Minj	9479194399
6	DSP (POLIE LINE)	Satanand vindhyaraj	9479191303
7	SDOP(Sukma)	Ramgopal kariyare	9479190435
8	SDOP(Dornapal)	Vivek Shukla	9479194305
9	SDOP(Konta)	Chandresh singh	9479194304
10	SDOP(Maraiguda)	Ramkumar barman	9479190439
11	SDOP(Jagargunda)	Hemsagar sidar	9479191302
12	Thana incharge (Sukma)	Kesav narayana aditya	9479194320
13	Thana incharge (gadirash)	Gagan bajpeyi	9479194321
14	Thana incharge (Chhindgrah)	Rajesh patel	9479191570
15	Thana incharge (kukanar)	Shalim khakha	9479194322
16	Thana incharge (tongpal)	Prakash rathore	9479194323
17	Thana incharge (puspal)	Jitendra gupta	9479190431
18	Thana incharge (Dornapal)	Amit singh	9479194327

DIST. TRADE AND INDUSTRIES CENTER, SUKMA (C.G.)

S. NO.	DESIGNATION	NAME	MOBILE NUMBER
1	2	3	4
1	GENRAL MANAGER	C Kerketta	7646852917
2	MANAGER	Dinbandhu Dhruw	9424219565
3	ASSIT. GRADE - 01	Kishor Minj	9406431132
4	STENOGRAFER GRADE-03	Gajendra Kumar Dhruw	9406415315
5	COMPUTER OPRETOR	Daneshwari Salam	9407918801
6	ASSIT. GRADE - 03	Hemant Kumar Sethiya	9406294479
7	WATCHMAN	Kamloo Ram Maurya	7647002034
8	PEON	B. Shiv Shankar Prasad	9424287649

CG STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED SUKMA

S.N.	NAME	DESIGNATION	PHONE NUMBER		MOBILE NUMBER
			LAND LINE		
			STD CODE	OFFICE	
1	SHRI A. K . GAWLE	SR. ASSISTANT	7864	284431	9406284255
2	SHRI LALIT KUMAR PATEL	ACCOUNTANT	7864	284431	9425519791
3	SHRI BIMAL KUMAR POYA	Jr. Tech. assistant	7864	284431	9406288207
4	SHRI MAHENDRA KUMAR SAHU	Jr. Tech. assistant	7864	284431	7587421188
5	SHRI PRAMOD KUMAR SHARMA	Jr. Assistant	7866	261650	9425558456
6	SHRI GAJPAL SING MANDAVI	Jr. Assistant	7864	284431	7587746975
7	SHRI PRADIP KUMAR MISHRA	Jr. Assistant	7866	283535	9479016850
8	SHRI GOVIND DAS VISHNAV	Data Entry Operator	7864	284431	7587451818
9	SHRI LONG SING	DRIVER	7864	284431	9479133164
10	SHRI DIPENDRA KUMAR	DRIVER	7864	284431	7587348137
11	SHRI RANJIT KUMAR BOS	DRIVER	7864	284431	9424298514
12	SHRI DHINANATH CHOHAN	DRIVER	7864	284431	9406376207
13	SHRI CHAMRA RAM	TULAWATI	7864	284431	9406075924
14	SHRI MOTI RAM MORY	TULAWATI	7864	284431	9479133164
15	SHRI KHEDAR RAM MORY	TULAWATI	7864	284431	9479018405
16	SHRI MANHER RAM MORY	TULAWATI	7864	284431	9479154921
17	SHRI ANIL KUMAR KOSHIK	Asstt. Programmer (Contract)	7864	284431	9406021498
18	SHRI TULARAM NAG	ACCOUNTANT (contract)	7864	284431	7587464838
19	SHRI GHANSHYAM PATEL	Data Entry Operator (Contract)	7866	261650	9425516673

ACTWD

S.NO.	DESIGNATION	NAME	PHONE NUMBER		
			LAND LINE		MOBILE NUMBER
			STD CODE	OFFICE	
1	2	3	4	5	7
1	ACTWD	P.L. RAMTEKE	7864	284666	9424292202
2	ASO	BHOJPAL SINGH			9713795379
3	CIRCLE ORGANISIOR	NARD KUMAR MANJHI			9406465617
4	CIRCLE ORGANISIOR	L.S. CHURENDRA			9424234991
5	ACCOUNTANT	MUKESH KUMAR MISHRA			9425215159
6	ACCOUNTANT	M.N. NAMDEV			9424290555
7	AG 02	G.V.S.N. SHARMA			9406281832
8	AG 02	SMT. SUREKHA AYANGAR			7587023298
9	DATA ENTRY OPERATOR	VINOD KUMAR VEKKO			9407726065
10	AG 03	REVENDRA DEVANGAN			9425588133
11	AG 03	ARJUN NAGESH			7587307312
12	AG 03	M.D. JAHIR			9479186414
13	AG 03	TULSI RAM BAGHEL			9479022957
14	AG 03	KAMLESH KUMAR BAGHEL			9424157489
15	AG 03	SUMIT DAHATE			9406131816
16	DATA ENTRY OPERATOR	SHEKH ABDUL SALAM			7587124636
17	DRIVER	TILK BABU MOURYA			7587331585
18	PEON	BUDHESHWAR NISHAD			7587759424
19	PEON	SHAILENDRA KUMAR NAG			9479225309
20	PEON	SMT. KANCHAN DIPANKAR			9406240495
21	PEON	MAKSUD KHAN			9479094110
22	PEON	AKSHANSH BELEKAR			7587268606
23	PEON	LOKNATH SAHU			7587412689

District Employment Department

.	DESIGNATION	NAME	PHONE NUMBER		
			LAND LINE		MOBILE NUMBER
			STD CODE	OFFICE	
1	District employement officer	Rishikesh singh	7864	284074	7587490488
2	Assistant grad 3	Narendra			7587837474
3	Data Entry operator	Devendra			7587834558
4	Peon	Dhuleshwer			7587811627

स्वास्थ विभाग के अंतर्गत अधिकारियों की सूची

S.NO	DESIGNATION	NAME	MOBILE
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी	डॉ विरेन्द्र ठाकुर	9424281947
2	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सुकमा	डॉ. चन्द्रभान प्रसाद बन्सोड	9479033934
3	आर.एम.ओ	डॉ. बी.के. सिन्हा	9406120976
4	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	श्री रोहित वर्मा	9479268598
5	जिला लेखा प्रबंधक	श्री भास्कर चौधरी	9424106041
6	जिला डाटा प्रबंधक	श्री मिथलेश कुमार शोरी	7587465388
7	जिला प्रशिक्षण समन्वयक	कु. मधु खुंटे	9479225038
8	राष्ट्रीय/मुख्यमंत्री स्वा0बीमा योजना नोडल, राष्ट्रीय कीट जनित रोग नियत्रंण कार्यक्रम नोडल	डॉ विरेन्द्र ठाकुर	9424281947
9	संजीवनी सहायता कोष नोडल, पोषण पुनर्वास केन्द्र नोडल	डॉ. सी.बी.प्रसाद बंसोड	9479033934
10	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम (प्उउनदप्रंजपवद) नोडल, शिशु सुरक्षा माह कार्यक्रम ´;ैडड्ढ नोडल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम नोडल	डॉ. डीपेश चन्द्रकर	9406437075
11	महामारी नियत्रंण कार्यक्रम ;प्क्ैच्द्ध नोडल, राष्टीय अंधत्व नियत्रंण कार्यक्रम नोडल, मितानिन कार्यक्रम नोडल, पी. सी.पी.एन.डी.टी. नोडल, ॅप्थ्ै (सप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड गोली) कार्यक्रम नोडल	डॉ. बारसे महादेव	7587009329
12	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियत्रंण कार्यक्रम ;त्छज्ब्च्द्ध नोडल, राष्ट्रीय एड्स नियत्रण कार्यक्रम ;भ्प्टद्ध नोडल, सिकल सेल नियत्रंण कार्यक्रम नोडल, परिवार नियोजन कार्यक्रम (Family Planinig) नोडल	डॉ. बी.के. सिन्हा	9406120976
13	ब्लड बैक नोडल, 104, स्वास्थ्य सेवा सहायता केन्द्र नोडल, महतारी एक्सप्रेस(102) संजीवन एक्सप्रेस(108), मुक्तांजलि वाहन (1099) तथा शासकीय एम्बुलेंस एवं वाहन सेवा शाखा नोडल	डॉ. के.के. नाग	9407641641
14	आर.सी.एच. नोडल, एम.डी.आर./सी.डी.आर. नोडल, चिरायु कार्यक्रम नोडल, आर.के.एस.के. नोडल, बाल हृदय एवं श्रवण योजना नियत्रंण कार्यक्रम नोडल	डॉ. प्रवीण तेली	9479172202
15	गैर संचारी रोग (छब्क्) नियत्रंण कार्यक्रम नोडल, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम नोडल	डॉ. सत्यानारायण राव	9291555888
16	राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम नोडल	डॉ. योगेश पैकरा	
17	प्रभारी मिडिया अधिकारी नोडल जिला सुकमा	श्री जयराज सिंह	9406375769

18	खण्ड चिकित्सा अधिकरी सुकमा	डॉ. विरेन्द्र ठाकुर	9424281947
19	विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक सामु.स्वास्थ्य केन्द्र सुकमा	श्री शाश्वत सिंह	9407773563
20	बी.ई.ई सुकमा	श्री गोपाल साही	9479278488
21	विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक सामु.स्वास्थ्य केन्द्र कोन्टा	कु0 आशा किण्डो	9406469890
22	बी.ई.ई कोन्टा	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	9424282851
23	खण्ड चिकित्सा अधिकरी छिन्दगढ़	डॉ. सत्यानारायण राव	9291555888
24	विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक सामु.स्वास्थ्य केन्द्र छिन्दगढ़	श्री लिलेश्वर कावडे	9406352951
25	बी.ई.ई छिन्दगढ	श्री जयराज सिंह	9406375769
26	विकासखण्ड कोन्टा (प्राथ0स्वा0केन्द्र)		
27	प्राथ0स्वा0केन्द्र दोरनापाल	डॉ. कपिल देव कश्यप श्री देवश कुमार साहू (आ. एम.ए.)	9406405006 9406422448
28	प्राथ0 स्वा0केन्द चिन्तागुफा	श्री मुकेश बक्शी (सेक्टर प्रभारी)	7587052169
29	प्राथ0 स्वा0केन्द चिन्तानार	श्री सत्यप्रकाश चन्द्रा (सेक्टर प्रभारी)	7389699035
30	प्राथ0 स्वा0केन्द जगरगुण्डा	श्री विपिन सिंह ठाकुर (सेक्टर प्रभारी)	9406330498
31	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र गोलापल्ली	श्री झलक प्रकाश साहू (सेक्टर प्रभारी)	9407642994
32	विकासखण्ड छिन्दगढ़ (प्राथ0स्वा0केन्द्र)		
33	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र पुसपाल	श्रीमती लल्ली साहू (सेक्टर प्रभारी)	9406287220
34	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र तोगपाल	डॉ. नीरज पैकरा (सेक्टर प्रभारी) श्री मंयक जैन (आर.एम.ए.)	9174063541 9424218270
35	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र सौतनार	श्री सुरेन्द्र कुमार साहू (पी.एच.सी.प्रभारी)	9424210420

List of Ashrams of Sukma

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	अधीक्षक/अधीक्षिका का नाम	मोबाइल नम्बर
1	सुकमा	कन्या आश्रम चिकपाल	श्रीमती देवी मरकाम	9479022611
2	सुकमा	कन्या आश्रम तेलावर्ती	श्रीमती सुशीला कश्यप	9479214463
3	सुकमा	कन्या आश्रम कोर्रा	श्रीमती राजम्मा सोड़ी	9425228851
4	सुकमा	कन्या आश्रम भेलवापाल	श्रीमती लता गोटी	7587264880
5	सुकमा	कन्या आश्रम लेण्डीरास	श्रीमती सरस्वती कोर्राम	9406072566
6	सुकमा	कन्या आश्रम गोंदपल्ली	श्रीमती हेमलता मरकाम	7587023901
7	सुकमा	कन्या आश्रम चिंगावरम (मा.स्तर)	श्रीमती अनुसुईया सोढ़ी	9407735626
8	सुकमा	कन्या आश्रम कोतरा (मा. स्तर)	श्रीमती गीता शांडिल्या	7587094703
9	सुकमा	कन्या आश्रम सोनाकुकानार	कु.पीसा लक्ष्मी	9406346054
10	सुकमा	बालक आश्रम बडेसट्टी	श्री देवनाथ	9479094093
11	सुकमा	बालक आश्रम कुडकेल	श्री एम.आर.मरकाम	9406169949
12	सुकमा	बालक आश्रम कुडमेलपारा	श्री धनसिंह कुरैटी	7587834481
13	सुकमा	बालक आश्रम बोड़को मरकामपारा	श्री जी.आर.ठाकुर	7587192279
14	सुकमा	बालक आश्रम पुसपल्ली	श्री गंगाराम मरकाम	7587462580
15	सुकमा	बालक आश्रम पोंगाभेज्जी	श्री घस्सू कवाची	9406172966
16	सुकमा	बालक आश्रम मुतोड़ी	श्री राजेश कुमार	9479213287
17	सुकमा	बालक आश्रम गुटटागुड़ा	श्री अनतराम नाग	7587834232
18	सुकमा	बालक आश्रम पेरमापारा	कन्हैयाराम वेट्टी	9407716947
19	सुकमा	बालक आश्रम मानकापाल(मा.स्तर)	श्री हुंगाराम नेंडी	9407901340
20	सुकमा	बालक आश्रम डब्बारास (मा.स्तर)	श्री मनेश्वर जुर्री	9407928152
21	सुकमा	बालक आश्रम नागारास (मा.स्तर)	श्री कोसा राम कवासी	9407918632
22	सुकमा	बालक आश्रम नीलावरम(मा.स्तर)	श्री सेवाराम कुमेटी	9406361150
23	सुकमा	बालक आश्रम कोयाबेकुर	वंजामी गंगा	7587445806
24	सुकमा	बालक आश्रम गिरदालपारा	श्री चिंगाराम मंडावी	7587005371
25	सुकमा	बालक आश्रम रामाराम	मदन सिंह मोर्य	7587215443
26	सुकमा	बालक आश्रम झापरा	श्री हापका मुत्ता	9407637155
27	सुकमा	बालक आश्रम मुलागुड़ा	श्री हुंगाराम बारसे	9407615075
28	सुकमा	बालक आश्रम मुनगा (मा.स्तर)	श्री सोढ़ी मासा	9406144143
29	सुकमा	बालक आश्रम गोण्डेरास	श्री देवाराम वंजामी	9407697415
30	सुकमा	बालक आश्रम मिरीवाड़ा	श्री मनोज पोया	9406227042

31	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम पुसपाल	श्रीमती बबीता मिड़ियम	9424282570
32	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम तालनार	श्रीमती रूकमणी ध्रुव	9406465542
33	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम बिरसठपाल	श्रीमती इन्दुबाला कवाची	7587286707
34	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम कुन्दनपाल	श्रीमती जमुना नाग	7587472400
35	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम गंजेनार	श्रीमती सुनीता तिर्की	9479238664
36	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम उदलातरई	श्रीमती अनुसुईया नेताम	7587357289
37	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम केरातोंग	कु.मिथिलेश मरकाम	7587454105
38	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम भण्डाररास	श्रीमती लता नेताम	9407918798
39	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम हिकमीरास मा.स्तर	कु.संगीता नाग	7587469640
40	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम कुकानार	श्रीमती उषा भदौरिया	9407928435
41	छिन्दगढ़	कन्या आश्रम टहकावाड़ा	रामकुमारी नेताम	9479289202
42	छिन्दगढ़	बालक आश्रम किंदरवाड़ा	श्री रामसिंह नाग	9406337292
43	छिन्दगढ़	बालक आश्रम चितलनार	श्री रामदयाल परडोती	9406227458
44	छिन्दगढ़	बालक आश्रम तोंगपाल	श्री थानूराम नाग	9406294744
45	छिन्दगढ़	बालक आश्रम कुमाकोलेंग	बी.आर.नेगी	9407799285
46	छिन्दगढ़	बालक आश्रम ओलेर	श्री सुखराराम मरकाम	7587753820
47	छिन्दगढ़	बालक आश्रम कोडरीपाल	श्री परमेश्वर मांझी	9479231366
48	छिन्दगढ़	बालक आश्रम पेंदलनार	भगतराम मांझी	9407631904
49	छिन्दगढ़	बालक आश्रम गुम्मा	श्री मुक्काराम कश्यप	7587070220
50	छिन्दगढ़	बालक आश्रम डोलेरास	श्री शेषमणी दुबे	9406282538
51	छिन्दगढ़	बालक आश्रम गोरली	श्री रामाराव सोढ़ी	7587443744
52	छिन्दगढ़	बालक आश्रम किकिरपाल मा.स्तर	सोड़ी हिड़मा	9479153834
53	छिन्दगढ़	बालक आश्रम तातीपारा(अधिकारीरास)	हनुमान सिंह ठाकुर	9479063840
54	छिन्दगढ़	बालक आश्रम कांजीपानी	श्री सखाराम नेगी	9407646140
55	छिन्दगढ़	बालक आश्रम राजामुण्डा	श्री मुड़ाराम पदामी	9406477110
56	छिन्दगढ़	बालक आश्रम कुन्ना	श्री देवचन्द पोड़ियामी	7587753604
57	छिन्दगढ़	बालक आश्रम उरमापाल	श्री बागाराम मरकाम	9406226851
58	छिन्दगढ़	बालक आश्रम पाकेला	शंकर लाल नाग	9407796337
59	छिन्दगढ़	बालक आश्रम इड़जेपाल	श्री राकेश कुमार कश्यप	7587280308
60	छिन्दगढ़	बालक आश्रम नामापारा	रामानंद नाग	9406152710
61	छिन्दगढ़	बालक आश्रम बालेरास	श्री हड़माराम मरकाम	9406004793
62	कोन्टा	कन्या आश्रम मिलमपल्ली	श्रीमती कोरसा गंगी	9479097140
63	कोन्टा	कन्या आश्रम दुब्बाटोटा	श्रीमती सुशीला कवासी	7587173973
64	कोन्टा	कन्या आश्रम नागलगुण्डा मा.स्तर	श्रीमती गौरी मण्डावी	9406098386
65	कोन्टा	कन्या आश्रम दोरनापाल मा.स्तर	कमला केमरो	9406097095
66	कोन्टा	कन्या आश्रम मरईगुड़ा मा.स्तर	श्रीमती ललिता पायाम	9406312572
67	कोन्टा	कन्या आश्रम दरभागुडा मा.स्तर	कट्टम लक्ष्मी	9406025584

68	कोन्टा	कन्या आश्रम चिंतलनार मा.स्तर	श्रीमती संगनी ठाकुर	9407929112
69	कोन्टा	कन्या आश्रम बिरला मा. स्तर	कु. सेवती कोड़ौपी	9479092083
70	कोन्टा	कन्या आश्रम गोलापल्ली मा.स्तर	श्रीमती डी. समक्का	9652513837
71	कोन्टा	कन्या आश्रम ढोण्ढरा	श्रीमती लक्ष्मी सोरी	9424287881
72	कोन्टा	कन्या आश्रम भेजी	कु.ललिता तलाण्डी	7587765835
73	कोन्टा	कन्या आश्रम मिसमा	श्रीमती माधुरी कांगे	9479155013
74	कोन्टा	कन्या आश्रम कांकेरलंका	कुमारी रविनन्दनी ठाकुर	9406253252
75	कोन्टा	कन्या आश्रम चिन्तागुफा	श्रीमती दीपा मण्डावी	9406226819
76	कोन्टा	कन्या आश्रम जगरगुण्डा	श्रीमती ललिता कुंवर	7587496515
77	कोन्टा	बालक आश्रम डब्बाकोन्टा मा.स्तर	कवासी हिड़मा	9406315782
78	कोन्टा	बालक आश्रम गंगलेर	सुमनलाल	9573623320
79	कोन्टा	बालक आश्रम इंजरम	भाऊराम कोर्राम	9424287574
80	कोन्टा	बालक आश्रम जगरगुण्डा	मड़कम सन्ना	7587379365
81	कोन्टा	बालक आश्रम करीगुण्डम	श्री माड़वी जोगा	9424290964
82	कोन्टा	बालक आश्रम पेदाकुरती मा.स्तर	श्री देउराम कांगे	9406475173
83	कोन्टा	बालक आश्रम सामसट्टी	श्री राजेश मरकाम	7587766277
84	कोन्टा	बालक आश्रम किस्टाराम	सतीश कुमार	9406331739
85	कोन्टा	बालक आश्रम मरईगुड़ा मा.स्तर	दुलामणी एक्का	9476720288
86	कोन्टा	बालक आश्रम गोलापल्ली	परसराम ठाकुर	9502968096
87	कोन्टा	बालक आश्रम मेहता	सरियम मुकेश	7587396044
88	कोन्टा	बालक आश्रम बण्डा (मा. स्तर)	वंजाम अशोक	7587421131
89	कोन्टा	बालक आश्रम कोन्टा	राजू टांडिया	9479092107
90	कोन्टा	बालक आश्रम दोरनापाल	श्री कुहराम कन्ना	9407736143
91	कोन्टा	बालक आश्रम नागाराम	पूनेम हिरमा	9479221848
92	कोन्टा	बालक आश्रम मिनपा	साधूराम नाग	9406214144
93	कोन्टा	बालक आश्रम पालाचलमा	सन्तु उईके	7587319643
94	कोन्टा	बालक आश्रम उरसागंल	पिच्चे लिंगा	9424438286
95	कोन्टा	बालक आश्रम सिलगेर	कृष्ण कुमार देहारी	9479090718

List of Chatrawas

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	अधीक्षक/अधीक्षिका का नाम	मोबाइल नम्बर
1	सुकमा	प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास सुकमा क्रं– 1	श्रीमती ललिता हिड़ामी	9479008163
2		प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास सुकमा क्रं– 2	श्रीमती मालिनी नेताम	9407747767
3		प्री.मैट्रिक.कन्या छात्रावास गादीरास	श्रीमती ललिता ठाकुर	9424287430
4		प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास सुकमा	श्री वेद कुमार चन्द्राकर	9479175625
5		प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास गादीरास	श्री नुप्पो देवा	9479216935
6		प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास केरलापाल	श्री रविन्द्र कुमार पोड़ियामी	7587256401
7		प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास बड़ेसट्टी	श्री आई. के. कोरटिया	9407736072
8		प्री.मैट्रिक.बालक छात्रावास सोनाकुकानार	श्री देवेन्द्र मरकेला	7587410495
9	छिन्दगढ़	प्री.मैट्रिक कन्या छात्रावास तोंगपाल	श्रीमती प्रमीला समरथ	9424273898
10		प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास कुमाकोलेंग	श्रीमती शांती मरकाम	9425229103
11		प्री.मैट्रिक. कन्या छात्रावास छिंदगढ़	श्रीमती बंसती भण्डारी	9406226932
12		प्री.मैट्रिक. कन्या छात्रावास कोकावाड़ा	श्रीमती मंगलदई बघेल	7587088921
13		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास पुसपाल	श्री संतोष मंडावी	7587170750
14		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास तालनार	श्री संजय डेरहा	9406227061
15		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास कुमाकोलेंग	श्री अर्जुन नाग	9406228749
16		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास गुडरा	श्री बुधराम बही	7587245224
17		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास छिंदगढ़	श्री सोनधर मांझी	9406314264
18		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास तोंगपाल	सुरेन्द्र उसेंडी	9406105928
19		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास कोकावाड़ा	विनय कुमार ध्रुव	9479203565
20		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास कुकानार	बालचन्द नाग	9479288980
21	कोन्टा	प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास कोंटा	श्रीमती अनिता सोरी	9406340049
22		प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास गोलापल्ली	श्रीमती सुन्नम सोनी	7587498169
23		प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास जगरगुण्डा	श्रीमती कामिनी नाग	7587217077
24		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास भेज्जी	कारम राजेश	9406062886
25		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास कोंटा	आस मुकेश	7587155906
26		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास एर्राबोर	श्री जलन्धर सिंह निहाल	7587357012
27		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास जगरगुण्डा	श्री सोमारू मुचाकी	9406370657
28		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास पोलमपल्ली	श्री तेलम हुंगा	9479253357
29		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास दोरनापाल	श्री एल.के.अंधारे	9406117657
30		प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास दुब्बाटोटा	श्री वेट्टी हड़मा	7646953096
		योगः–		
31	सुकमा	पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास सुकमा	हिरा मण्डावी	7587077497
32		पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास सुकमा	श्री कवासी लखमा	9406109316

जिलेवार महामारी नियंत्रण कक्ष की जानकारी

कं.	जिले का नाम	नियंत्रण कक्ष का स्थान/पता	नियंत्रण कक्ष प्रभारी का नाम / पद नाम	दूरभाष/मो. नं.	नियंत्रण कक्ष सहायक प्रभारी का नाम / पद नाम /मोबाईल नम्बर
1	सुकमा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा	डॉ. बारसे महादेव / जिला सर्विलेंस अधिकारी श्री मनीष कुमार नायक / डाटा एन्ट्री ओपरेटर	9479145186 9406226494	
2		विकास खण्ड चिकित्सा अधिकरी सुकमा	डॉ. विरेन्द्र ठाकुर /खण्ड चिकित्सा अधिकरी सुकमा श्री पी. के खलखो / पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	9424281947 9406092548	श्री शास्वत सिंह /विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक मो. नम्बर 9407773562
3		विकास खण्ड चिकित्सा अधिकरी छिन्दगढ	डॉ. एम.व्ही.व्ही सत्यनारायण/खण्ड चिकित्सा अधिकरी छिन्दगढ श्री जयराज सिंह/ खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी	9424225301 9406375769	श्री लिलेशवर कावडे/विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक मो. नम्बर 9406352951
4		विकास खण्ड चिकित्सा अधिकरी कोन्टा	डॉ टी. सुनील चिकित्सा अधिकारी सी.एच.सी. कोन्टा कु. गंगी मरकाम / विकास खण्ड डाटा मैनेजर	9406126736 9406059282	श्री आशा किन्डो /विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक मो. नम्बर 9406469890

जिला स्तरीय काम्बेट दल की जानकारी

कमांक	जिले का नाम	काम्बेट दल प्रभारी का नाम	पदनाम	दुरभाष / मो. नं.	सदस्यों के नाम	पदनाम	दूरभाष कं.
1	सुकमा	डॉ. प्रवीन टेली	मेडिकल ऑफिसर	9479172202	डॉ. प्रवीन टेली	चिकित्सा अधिकारी	9479172202
2					डॉ. दिपेश चन्द्राकर	चिकित्सा अधिकारी	9406437075
3					डॉ. राजेश भास्कर	चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सक	7587722502
4					श्री पंकज कुमार नाग	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	7587351813
5					श्री कपिस ध्रव	फार्मासिस्ट	9479016101
6					कु. चेस्टा नागवंशी	स्टाफ नर्स	9406369693
7					श्री हेमन्त कुमार	वार्ड बॉय	9406476392
8					श्री रामेश्वर कश्यप	ड्राईबर	9406465818

क्रमांक	विकासखंड का नाम	काम्बेट दल प्रभारी का नाम	पदनाम	दुरभाष/ मोबाईल नं.	ईमेल	सदस्यों के नाम	पदनाम	दुरभाष/ मोबाईल नं.
86		श्री हिमांशु जयसवाल	RMA (PHC Kistaram)	7587312094	bpmukonta@gmail.com	श्री हिमांशु जयसवाल	AMO	7587312094
87						श्री मनोज पात्र	AMO(AYUSH)	
88						श्री धनुर्जय पुजारी	W/B	
89		श्री मुकेश बक्शी	RMA (PHC Chintagufa)	9406422039	bpmukonta@gmail.com	श्री मुकेश बक्शी	AMO	9406422039
90						डॉ ललित यदु	AMO(AYUSH)	
91						कु. सुनीता कट्टम	W/A	
92		श्री सत्यप्रकाश चन्द्रा	RMA (PHC Chintalnar)	7389699035	bpmukonta@gmail.com	श्री सत्यप्रकाश चन्द्रा	AMO	7389699035
93						श्री विपिन ठाकुर	AMO	9406330498
94						श्री युवराज साहू	AMO	7587049364
95						डॉ जे.डी. सहानी	AMO(AYUSH)	
96						कु. कमला पुनेम	ANM	
97						श्री आर.एस बैद्य	Dreser	

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,छत्तीसगढ़
महामारी नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2018–19

जिलेवार महामारी नियंत्रण कक्ष की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	नियंत्रण कक्ष का स्थान/पता	नियंत्रण कक्ष प्रभारी का नाम / पद नाम	दूरभाष/मो. नं.	नियंत्रण कक्ष सहायक प्रभारी का नाम / पद नाम /मोबाईल नम्बर	ई–मेल
1	सुकमा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा	डॉ. बारसे महादेव / जिला सर्विलेंस अधिकारी श्री मनीष कुमार नायक / डाटा एन्ट्री ओपरेटर	9479145186 9406226494		cmho.sukma@gmail.com dm.sukma@gmail.com
2		विकास खण्ड चिकित्सा अधिकरी सुकमा	डॉ. विरेन्द्र ठाकुर /खण्ड चिकित्सा अधिकरी सुकमा श्री पी. के खलखो / पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	9424281947 9406092548	श्री शास्वत सिंह /विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक मो. नम्बर 9407773562	bmo.sukma@gmail.com
3		विकास खण्ड चिकित्सा अधिकरी छिन्दगढ	डॉ. एम.व्ही.व्ही सत्यनारायण/खण्ड चिकित्सा अधिकरी छिन्दगढ श्री जयराज सिंह/ खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी	9424225301 9406375769	श्री लिलेशवर कावडे/विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक मो. नम्बर 9406352951	bmo.chhindgrah@gmail.cor
4		विकास खण्ड चिकित्सा अधिकरी कोन्टा	डॉ टी. सुनील चिकित्सा अधिकारी सी.एच.सी. कोन्टा कु. गंगी मरकाम / विकास खण्ड डाटा मैनेजर	9406126736 9406059282	श्री आशा किन्डो /विकास खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक मो. नम्बर 9406469890	bpmukonta@gmail.com

क्रमांक	विकासखंड का नाम	काम्बेट दल प्रभारी का नाम	पदनाम	दुरभाष/मोबाईल नं.	ईमेल	सदस्यों के नाम	पदनाम	दुरभाष/मोबाईल नं.
55		श्री नन्दकुमार मण्डल	RMA (PHC Edjepal)	9406407597	bmo.chhindgrah@gmail.com	श्री नन्दकुमार मण्डल	AMO	9406407597
56						श्री इन्द सिह यादव	Ward Boy	
57						श्री यू.बी.पटेल	MPW	
58		श्री सुरेन्द कुमार साहू	RMA (PHC Sauthnar)	9424210420	bmo.chhindgrah@gmail.com	श्री सुरेन्द कुमार साहू	AMO	9424210420
59						श्री देवव्रत शर्मा	AMO	9425524214
60						श्री देवेन्द कुमार नायक	pharma	7898541625
61						श्री नारायण ठाकुर	Dresser	
62						श्री निकेतन मान्झी	Ward Boy	
63						श्रीमति शारदा बाई	Ward Aaya	
64	Konta	डॉ टी. सुनील	MO Konta	9406126736 Office 7866261747	bpmukonta@gmail.com	डॉ टी. सुनील	MO	9406126736
65						श्रीमति सी.के कोसले	Staff Nurse	
66						कु. नीलिमा पुजारी	Staff Nurse	9407924871
67						श्रीमति लक्ष्मी धाकड	ANM	
68						श्री पी.सी. गोस्वामी	Pharma	9406072036
69						श्री जहागीर खान	Draiver	
70		डॉं कपिल देव कश्यप	MO (PHC Dornapal)	9406405006 Office 07866283500	bpmudornapal@gmail.com	डॉं. कपिल देव कश्यप	MO	9406405006
71						श्री देवेश साहु	AMO	9406422448
72						कु. क्षमा साहु	AMO	9479050553
73						कु गीता वारसा	Pharma	
74						श्री चन्दन शाह	MPW	
75						कु. देवबती सोरी	Staff Nurse	7587464246
76						श्रीमति शिमला बोस	ANM	
77						श्री हडमा राम करटाम	W/B	
78		श्री रुद्रमणी बैष्णव	RMA (PHC Golapalli)	7587112184	bpmukonta@gmail.com	श्री रुद्रमणी बैष्णव	AMO	7587112184
79						श्रीमति भी.बी. रमन्ना	ANM	
80						श्री पवन कुमार	pharma	9398887520
81						श्री एस.एस. पण्ड्डा	AMO(AYUSH)	
82						श्री विजय कुमार	W/B	
83		श्री राजेश सोनी	RMA (PHC Gogunda)	9407645020	bpmukonta@gmail.com	श्री राजेश सोनी	AMO	9407645020
84						डॉं के एल पोरी	AMO(AYUSH)	
85						श्री सीता राम कश्यप	W/B	

कमांक	विकासखं का नाम	काम्बेट दल प्रभारी का नाम	पदनाम	दुरभाष / मोबाईल नं.	ईमेल	सदस्यों के नाम	पदनाम	दुरभाष / मोबाईल नं.
24	Chhindgarh	डॉ. एम.व्ही.व्ही सत्यना	BMO (CHC Chhindgarh)	7587399539 Offoce 07863244730	bmo.chhindgrah@gmail.com	डॉ. एम.व्ही.व्ही सत्यनारायण	BMO	7587399539
25						श्री भुपेन्द्र कुमार नेगी	pharma	9406451513
26						श्री सेवक राम सिन्हा	Dresser	
27						श्रीमति कविता कश्यप	S/N	
28						कु. भारती देवी पोर्ते	S/N	
29						श्री राम दयाल नेताम	W/B	
30						श्री एम.एल. साहु	Draiver	
31		श्री एम.के. जयसवाल	AMO (PHC Tongpal)	7646879497 Office 07863286444	bmo.chhindgrah@gmail.com	श्री एम.के. जयसवाल	AMO	7646879497
32						डॉ मोहन सिंह कंवर	AMO(AYUSH)	
33						श्री दया राम कश्यप	pharma	9406470736
34						श्रीमति एन.नाग	LHV	
35						कु. दुर्गा मण्डावी	S/N	
36						कु. रुपेश्वरी जुर्री	ANM	
37						श्री बुधराम नाग	Dresser	
38		श्रीमति लल्ली साहु	RMA (PHC Puspal)	9406287220	bmo.chhindgrah@gmail.com	श्रीमति लल्ली साहु	AMO	9406287220
39						श्री एन.के.दीन	pharma	9424282280
40						श्रीमति दीपिका दीन	LHV	
41						कु. संतोषी नाग	S/N	
42						श्रीमति सोनमती प्रसाद	ANM	
43						श्री चितु राम मौर्य	Dresser	
44		श्री महेश कुमार	MPW (PHC Gorli)	7587129963	bmo.chhindgrah@gmail.com	श्री महेश कुमार	MPW	7587129963
45						श्री परेवश कुमार मौर्य	pharma	9479129252
46						श्रीमति बालमति नाग	ANM	
47						श्री सुरेश सोरी	Dresser	
48		श्री दिनेश गुप्ता	RMA (PHC Kuakanar)	9424167343	bmo.chhindgrah@gmail.com	श्री दिनेश गुप्ता	AMO	9424167343
49						श्री पवन कुमार मोहेाड	AMO	9479202138
50						श्री वीरेन्द्र कुमार	pharma	9479081938
51						श्री शम्भुनाथ बघेल	Dresser	
52						कु. पुर्णिमा कुजुर	S/N	
53						श्री बिजेन्द्र झाडी	Ward Boy	
54						श्री जोहन लाल ज्वाला	Mpw	

पशु विकास विभाग सुकमा अंतर्गत संचालित संस्थाऐं व प्रभारी की जानकारी

क्र.	संस्था	संस्था प्रभारी	पदनाम	मो.नंबर
1	पशु चिकित्सालय कोंटा	डॉ.आर.सी.अल्वा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9424283564
2	पशु चिकित्सालय सुकमा	डॉ.योगेश्वर पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	8889420005
3	पशु चिकित्सालय दोरनापाल	डॉ.एल.पी.सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	7587365092
4	पशु चिकित्सालय छिंदगढ	डॉ.सतीश राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9479861711
5	पशु चिकित्सालय तोंगपाल	डॉ.सतीश राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9479861711
6	पशुऔशधालय गादीरास	डॉ.योगेश्वर पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	8889420005
7	पशु औशधालय कुड़केल	डॉ.योगेश्वर पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	8889420005
8	पशु औशधालय गोलापल्ली	श्री पी.व्ही.राव	सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्रअधिकारी	9425595956
9	पशु औशधालय जगरगुंडा	डॉ.एल.पी.सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	7587365092
10	पशु औशधालय दुब्बाटोटा	डॉ.एल.पी.सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	7587365092
11	पशु औशधालय गगनपल्ली	श्री पी.व्ही.राव	सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्रअधिकारी	9425595956
12	पशु औशधालय कोडरीपाल	डॉ.सतीश राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9479861711
13	पशु औशधालय पुसपाल	श्री एन.के.कोर्राम	सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्रअधिकारी	9406292293
14	पशु औशधालय कुकानार	डॉ.सतीश राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9479861711
15	कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र सुकमा	डॉ.योगेश्वर पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	8889420005
16	कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र कोंटा	डॉ.आर.सी.अल्वा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9424283564
17	कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र दोरनापाल	डॉ.एल.पी.सिंह	पशु चिक़ित्सा सहायक शल्यज्ञ	7587365092
18	कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र छिंदगढ़	डॉ.सतीश राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9479861711
19	कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र तोंगपाल	डॉ.सतीश राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	9479861711
20	चलित चिकित्सा इकाई सुकमा	डॉ.योगेश्वर पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	8889420005

जिला पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों के नाम

Ø0	कार्यालय का नाम	सरपंच का नाम	पद नाम	पता	मो0 नम्बर
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	जिला पंचायत सुकमा	श्री हरीश कवासी	सभापति	ग्रा.+ पो. सोनाकुकानार तह.+ जिला सुकमा	9406281777
2		श्री बोड्डू राजा	सदस्य	ग्रा. आसीरगुड़ा पो. इंजरम तह. कोन्टा जिला सुकमा	9424287823
3		श्रीमती कुसुम नाग	सदस्य	ग्रा.+ पो. पाकेला तह. छिन्दगढ़ जिला सुकमा	–
4		श्री टहल सिंह मांझी	सदस्य	ग्रा.+ पो. हमीरगढ़ तह. छिन्दगढ़ जिला सुकमा	7587009545
5		श्रीमती माड़वी कन्नी	सदस्य	ग्रा.+ पो. दोरनापाल तह. कोन्टा जिला सुकमा	9406307032
6		श्रीमती दुले सलवम	सदस्य	ग्रा.+ पो. दुब्बाटोटा तह. कोन्टा जिला सुकमा	7587029057
7		श्रीमती जानकी कवासी	सदस्य	ग्रा. मिलमपल्ली पो. जगरगुण्डा तह.कोन्टा जिला सुकमा	9479262641
8		श्रीमती कल्पना नाग	सदस्य	ग्रा.+ पो. पुसपाल तह. छिन्दगढ़ जिला सुकमा	7587463712
9		श्री धनीराम बारसे	सदस्य	ग्रा.+ पो. झापरा तह.+ जिला सुकमा	9424291107
10		श्री रामा सोड़ी	सदस्य	ग्रा.+ पो. कोर्रा तह.+ जिला सुकमा	7587210077

जनपद पंचायत – छिन्दगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के सचिवों का पता एवं मों. नं. की जानकारी

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	सचिव का नाम	सचिव का मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	डब्बा	श्री देवाराम	श्री लखमु मुचाकी	9406130384
2	मारेंगा	श्रीमती महादेई नाग	श्री अर्जून श्रीवास	9406104919
3	तोंगपाल	श्री पीलाराम उईके	श्री ब्रम्हानंद	9406079308
4	लेदा	श्री सुखराम	श्री गंगा सोढ़ी	7587142279
5	चिड़पाल	श्री दुर्गाप्रसाद	श्री किच्चे मल्ला	9479233461
6	चिउरवाड़ा	श्रीमती मुढ़े कवासी	श्री राजु राम नाग	9406907877
7	कुमाकोलेंग	श्री लक्ष्मण	श्री अनुप दास परवार	947935730
8	पेरमारास	श्रीमती फगनी	श्रीमति प्रमीला माडवी	7587940950
9	हमीरगढ़	श्रीमती फुलमती नाग	श्री लच्छिन्दर प्रधानी	9407696032
10	पुसगुन्ना	श्रीमती रजनी	श्री बीरबल कवाची	7587171099
11	कुन्ना	श्रीमती वेटटी बीड़े	श्री भीमाराम कुहरामी	9479093644
12	मिचवार	श्रीमती भीमें बाई	श्री अमित सोडी	9424286859
13	कुन्दनपाल	श्री विनोद नाग	श्री गंगाराम कुहरामी	9406083407
14	पालेम	श्री हड़माराम	श्री सुक्का राम पोडियामी	9406394118
15	कावराकोपा	श्री रामसिंह	श्री सुखराम मांझी	9406227136
16	चितलनार	श्रीमती मधु बघेल	श्री मनीराम कश्यप	7587215391
17	पुसपाल	श्रीमती रामबती	श्री जमुना प्रसाद	7587216822
18	किन्दरवाड़ा	श्री लच्छिन्दर नाग	श्री जुबराज सरकार	9479283583/9406312894
19	मेखावाया	श्रीमती आशो कवासी	श्री बीरबल कवाची	7587171099
20	उरमापाल	श्रीमती भीमें	श्री देवाराम पोडियामी	9406226929
21	रोकेल	श्रीमती राजकुमारी	श्री रमाशंकर बघेल	9407943379
22	केरातोंग	श्रीमती सोमड़ी मुचाकी	श्री प्रवीशचंन्द्र बघेल	9424240446
23	पेंदलनार	श्री मुड़ा	श्री मनीराम कश्यप	7587215391
24	गोरली	श्रीमती सुकड़ी	कु. कमला करटम	7587335814
25	अधिकारीरास	श्रीमती मिटकी	श्री गंगाराम सोड़ी	9406088897
26	पोंदुम	श्री नंदाराम सोड़ी	श्री पनकूराम	9479014770
27	कांजीपानी	श्रीमती कमला नेगी	श्री रामनाथ बघेल	9407640341
28	पतिनाईकरास	श्री हुंगाराम	कु. हिंगेश्वरी	9479240850
29	गुडरा	श्री विरेन्द्र मरकाम	श्री कोमरा राम	9406105860
30	किकिरपाल	श्री जोगाराम	श्री दिनेश मांझी	9406343087
31	ओलेर	श्री तिरनाथ	श्री आयता राम	9407717811
32	नेतानार	श्री कुशराम बघेल	श्री सुरेन्द्र मरकाम	9407637675
33	तालनार	श्री सन्तुराम नाग	श्री चैतुराम बघेल	9479184031
34	धोबनपाल	श्रीमती हिड़मे मरकाम	श्री कानुराम	7587848933
35	चिपुरपाल	श्री सोमाराम	श्री किच्चे मल्ला	9479233461
36	बिरसठपाल	श्रीमती लक्ष्मी देवी	श्री महादेव नेगी	9406487924
37	मुर्रेपाल	श्री मुड़ा राम	श्री बी.आर. मांझी	9406226903
38	पाकेला	श्रीमती बुधरी बाई	श्री लक्ष्मण कश्यप	9424290901

जनपद पंचायत –कोंटा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के सचिवों का पता एवं मों. नं. की जानकारी

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	सचिव का नाम	मो0 नम्बर
1	2	3	4	6
1	किस्टाराम	श्री सीता राम	श्री मडकम चलपतरी	9406283953
2	रेगडगट्टा	श्री सोड़ी कोसा	श्री उदय कुमार सिंह	9424287828
3	डब्बाकोन्टा	श्री गंगाराम माड़वी	श्री मोहम्मद खलील खान	9407747277
4	गोरगुण्डा	श्री पोड़ियाम मुकेश	श्री अजय मण्डावी	9406226795
5	मराईगुडा (राज.)	बंजारी सोयम	श्री अजय मण्डावी	9406226795
6	नागाराम	श्रीमती आयते	श्री एम. विजय कुमार	7587469949
7	ताड़मेटला	श्री विजा माड़वी	श्री एम. विजय कुमार	7587469949
8	एलमागुण्डा	श्री जोगा सोड़ी	श्री कारसिंह नाग	9406282453
9	मराईगुडा (वन)	श्री मारा हपका	श्री हेमाराम ध्रुव	7587003109
10	कांकेरलंका	श्री लिंगा	श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी	9479092133
11	सुरपनगुड़ा	श्रीमती सुक्की	श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी	9479092133
12	मोरपल्ली	श्रीमती हिना मड़काम	श्री मौसम तमैया	9424287888
13	गोंदपल्ली	श्रीमती जोगी	श्री ओयामी देवा	9424688660
14	जगरगुण्डा	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	श्री ओयामी देवा	9424688660
15	कोत्ताचेरू	श्री लच्छिन्दर कश्यप	श्री रविन्द्र कुमार सिंह	9424290701
16	दरभागुडा	श्री सोयम राजे	श्री पी. मधुसुदन राव	9407630366
17	मिलमपल्ली	श्रीमती पार्वती मड़कम	श्री सुशील कश्यप	9407633185
18	चिंतलनार	श्रीमती पोड़ियाम नंगी	श्री एस.आर. निर्मलकर	9406360695
19	गगनपल्ली	श्रीमती सोयम कन्नी	श्री मो. हफीज खान	7587335841
20	ढोढंरा	श्री कृष्णा मड़काम	श्री हिमांचल पुरी गोस्वामी	9425596401
21	पेन्टापाड़	श्रीमती प्रतिभा कलमू	श्री लच्छीराम कुंजाम	9479020441
22	मुलाकिसोली	श्री मारको सोयम	श्री साई श्रीनू	9424284810
23	गंगलेर	श्री मुकेश काको	श्री पोटला गंगलू	7587163768
24	मेहता	श्रीमती चेन्दीर कोसम	श्री लक्ष्मी स्वामी कोर्राम	9407933162
25	पालामडगू	श्री कारम सिंगा	श्री करतम लच्छा	9479092121
26	गोलापल्ली	सुन्नम नागेश	श्री सी.एच. नागेश राव	9479099041
27	सामसट्टी	श्री मुका	श्रीमति सुन्दरी देवी	9407749037
28	टेटराई	श्री कटट्म हिड़मा	श्रीमति पी. कृष्णावेणी	9406105853
29	मेड़वाही	श्रीमती गंगी सरियम	श्रीमति अनिता सिंह चौहन	9406343368
30	पुनपल्ली	श्री मिड़ीयम जोगा	श्री गोपी कृष्ण सिंह	9425267462
31	इंजरम	श्री नारैया सलवम	श्री टी. रविकुमार	7587421709
32	बण्डा	श्री शंकरू कटट्म	श्री कृष्ण प्रकाश सिंह	9425595518
33	भेजी	श्रीमती सोमबाई नाग	श्री गोलूल सर्यम नाग	9424292841

34	मिसमा	श्रीमती उईका शंकुतला	श्री मडकम सुकडा	9479211568
35	मनीकोन्टा	श्री कवासी हिड़मा	श्री बोड्डी गंगा	9407971681
36	कोर्रापाड़	श्रीमती किच्चे भीमें	श्री बलराम	9479008860
37	दुब्बाटोटा	श्री पुनेम मासा	श्रीमति पारूल सिंह	7587061668
38	आरगगटटा	श्रीमती ललिता सीरियम	श्री कवासी देवा	7587371500
39	एलमपल्ली	श्रीमती बुधरी	श्री जी. रामबाबु	7587351959
40	चिमलीपेंटा	श्रीमती कन्नी मड़कम	श्री जी. रामबाबु	7587351959
41	चिंतागुफा	श्रीमती मुये	श्री माड़वी हड़मा	7587340936
42	पोलमपल्ली	श्रीमती कामें	श्री सोयम लच्छा	9479261857
43	नागलगुण्डा	श्री सोयम एर्रा	श्री गिरीश कुमार कश्यप	9407717097
44	एर्राबोर	श्रीमती आस जोगी	श्रीमति लक्ष्मी कश्यप	7587499324
45	बुर्कलंका	श्रीमती हिड़मे	श्री बिजेन्द्र कुमार पंत	9406261640
46	बगड़ेगुड़ा	श्री हड़मा वंजाम	श्री बंगी राम	9424157888
47	कुन्देड़	श्री लक्के उईका	श्री सोयम गंगा (रो. सहायक)	7587754217
48	गुमोड़ी	श्रीमती गंगी	श्री बुधराम बारसे	7587430663
49	कोण्डासावली	श्री पोदिया	श्री उदय भास्कर	9406169269
50	कामारम	श्रीमती बुच्ची	श्री उदय भास्कर	9406169269
51	तारलागुड़ा	श्री बिजे	श्री जगदीश नायक	9407614974
52	सिलगेर	श्री कोरसा सन्नू	श्री शिवराम मांझी	7587848360
53	केरलापेदा	श्रीमती हिड़मे	श्री मो. जावेद खान	9424271786
54	मुकरम	श्रीमती हिड़में	श्री पोड़ियाम कोमल (रो. सहायक)	7587250202
55	दुलेड़	श्रीमती पोडियाम सोमड़ी	श्रीमती कोमला बघेल	9406282789
56	पालाचलमा	श्रीमती शिव रत्ना	श्री मो. हफीज खान	7587335841
57	सिंगाराम	श्री सुन्नम राजेन्द्र कुमार	श्री सोड़ी भीमा	9424171514

जनपद पंचायत – सुकमा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के सचिवों का पता एवं मों. नं. की जानकारी

क्र.	पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	सचिव का नाम	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5
1	मारोकी	श्री माड़वी अजय	श्री संतोष कुमार सोड़ी	9406451064
2	चिंगावरम	श्री हड़मा माड़वी	श्रीमती अपर्णा खेस्स	7587872421
3	डोडपाल	श्रीमती हिड़में वेटटी	श्रीमती मोती किच्चे	9406383294
4	सोनाकुकानार	श्रीमती सुखदई नाग	श्री सुरेंन्द्र कुमार	9407979222
5	नागारास	श्री बन्डी माड़वी	श्री नागुल नागेश राव	7587307186
6	कोर्रा	श्रीमती हुंगी सोड़ी	श्री केशवचंद्र कश्यप	7587250235
7	मानकापाल	श्रीमती मल्ले	श्री गंगाराम मंडावी	9406333454
8	गुफडी	श्रीमती मंजू कवासी	श्री ज्ञानेश्वर कर्मा	9406152350
9	पोरदेम	श्रीमती मंगड़ी कुरामी	श्री नंदलाल इडो	9406098269
10	कोन्डरे	श्री सुकड़ी पोड़ियाम	श्रीमती मीना कोड़ी	9407697256
11	गादीरास	श्रीमती बीड़े मड़कामी	श्री के0 राजकुमार	9406282587
12	रामपुरम	श्रीमती संगीता	श्रीमती भीमें मुचाकी	9424166319
13	बुडदी	श्रीमती मिटकी	श्री सीताराम कश्यप	7587256245
14	कोकरपाल	श्री लच्छू मरकाम	श्री खरेंद सिंह	9406475187
15	भेलवापाल	श्री हिड़मा मुचाकी	श्री बारसे छोटु	9406282511
16	झापरा	श्री धुरवा राम बारसे	श्री गंगलु राम नाग	9406098419
17	मुरतोंडा	श्री परदेशी नाग	कुमारी राधा मरकाम	7587467733
18	जीरमपाल	श्री कवासी भीमा	श्री पोड़ियामी हिड़मा	9406178724
19	बोडको	श्रीमती आयती कलमू	श्रीमति कमलेश्वरी	9424290722
20	बडेसट्टी	श्री कलमू हुंगा	नंदलाल इडो	9406098269
21	गोन्दपल्ली	श्री बुधरा वंजाम	श्री जीतेन्द्र राव पेददी	9424291076
22	गोन्डेरास	श्री मंगा सोड़ी	श्री रवा देवा	9479177518
23	पोंगाभेजी	श्री पुनेम सन्ना	श्री प्रवीण सोडी	9424290473
24	सिरसटटी	श्रीमती लक्ष्मी पदाम	श्री सोमा मरकाम	7587466108
25	फुलबगड़ी	श्रीमती माड़वी सुकड़ी	श्री पदमाराव	9406070113
26	नीलावरम	श्री वेटटी देवा	श्री रामा पोंदी	7587024715/9425573520
27	गोंगला	श्री माड़वी हांदा	श्री दशरथ बघेल	7587197911
28	पुसपल्ली	श्रीमती शरीफा	श्री मोहन राव कर्मा	9479153549
29	रामाराम	श्रीमती कलमू हुंगी	श्री पुनेम सुक्का	9407928977
30	चिकपाल	श्री प्रमोद मरकाम	श्री सलवम बंडी	7587430142
31	कोयाबेकुर	श्री भुसका सोड़ी	श्री दीपक देशमुख	9479258156
32	केरलापाल	श्री सोमा मरकाम	श्री गोपाल सिंह अजमेरा	9406338725

जनपद पंचायत सुकमा

क्र.	पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	मोबाइल नम्बर	उप सरपंच का नाम	मोबाइल नम्बर
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	मारोकी				
2	चिंगावरम	श्री हड़मा माड़वी	9407648119	श्रीमती हुंगी माड़वी	
3	डोडपाल	श्रीमती वेट्टी हिड़में	9407911380	श्री सोना बारसे	7587877612
4	सोनाकुकानार	श्रीमती सुकदई नाग	947170612	श्री पुरन सिंह	
5	नागारास	श्रीमती बण्डी			
6	कोर्रा	श्रीमती हुंगी सोड़ी		श्री गुगा राम सोड़ी	
7	मानकापाल	श्रीमती मल्ले		श्री माड़वी भीमा	
8	गुफडी	श्रीमती मंजू कवासी	7587170720	श्री मडकमी पाण्डू	
9	पोरदेम	श्रीमती मंगड़ी		श्री गंगा	
10	कोन्डरे	श्रीमती पोंदी सुकड़ी	9407647826		
11	गादीरास	बीड़े मरकाम	7587768575	धर्मेन्द्रसिंह	9425549574
12	रामपुरम	श्रीमती संगीता नाग	9406090042 9406089507	श्रीमती शांति यादव	
13	बुडदी	श्रीमती मिटकी	9406433716	श्री वागाराम	9406233526
14	कोकरपाल	श्री लच्छू मरकाम	7587467692	श्री लक्ष्मण बघले	9479092688
15	भेलवापाल	मुचाकी हिड़मा	7587217042	मुचाकी मल्ला	
16	झापरा	श्री धुरवाराम बारस	9407647842	लखमा सोड़ी	9425216625
17	मुरतोंडा	श्री परदेशी नाग	9425574331	धरम नाग	9406105696
18	जीरमपाल	श्री भीमा कवासी	7587042607	श्रीमती शांति यादव	
19	बोडको	आयती कलमू	9479211825	श्रीमती रवा देवे	
21	गोन्दपल्ली	श्री बुधरा वंजाम	7587445728	श्रीमती वुजामी गंगी	
22	गोन्डेरास	श्री सोड़ी मासा		श्री सोड़ी देवा	
23	पोंगाभेजी	श्री पुनेम सन्ना	9406416016		
24	सिरसटटी	श्रीमती पदामी लक्ष्मी		श्री पोडियाम भीमा	
25	फुलबगड़ी	श्रीमती मडवी सुकडी	9407635135	श्री कुंजाम भीमा	
29	रामाराम	श्रीमती कलमू हुंगी	7587335192	श्री सोड़ी आयता	
30	चिकपाल	श्री प्रमोद मरकाम	7587803678		
31	कोयाबेकुर	श्री भुसका सोड़ी	9479022407	श्री घासीराम यादव	9479746749
32	केरलापाल	श्री सामा मरकाम	9479260383	श्रीमती बीरे कुहरामी	
क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	मोबाईल नंबर	उप सरपंच का नाम	मोबाईल नम्बर
1	2	3		4	6
1	किस्टाराम	कडती सीताराम	7646800139	कटार राममूर्ति	9407904347
4	गोरगुण्डा	श्री मोड़ियाम मुकेश	9406226810	कलमू दुल्ला	
24	सामसट्टी	श्री मड़कम मुका	7587477207		
27	पुनपल्ली	श्री मिडियाम जोगा	9406080712	श्रीमती लखे	
30	मराईगुडा(राज.)	सुश्री सोयाम बंजारी	7646923308	श्री कुर्मी दुला	
36	दुब्बाटोटा	श्री पुनेम मासा	9424167655	श्री सवलम नन्दा	7587023370
37	आरगगटटा	श्रीमती ललिता	9407919480	श्री मुत्ता नुप्पो	9406344683

जिला सुकमा (छ.ग.)

कमांक	पेट्रोल/डीजल पम्प का नाम	स्थान	ऑयल कम्पनी का नाम	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5
1	मेसर्स नीरज ऑटोमोटिव	सुकमा	B.P.C	07864.284550
2	मेसर्स बरी पेट्रोल पम्प	सुकमा	B.P.C	07864.284477
3	मेसर्स जेम आर फ्यूल	सुकमा	B.P.C	9406072238
4	मेसर्स सहीद संकर राव पेट्रोल पम्प	सुकमा	H.P.C.	9424287043

वाहन की जानकारी 2018					
विभाग का नाम :– स्वास्थ्य विभाग					
क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन का प्रकार (भारी/हल्का पूल/अन्य)	वाहन क्रमांक	अधिकारी का नाम	नहीं की स्थिति में आबंटन का औचित्य
1	2	3	6	7	8
1	मुख्य चिकित्सा एवं	टाटा सुमो गोल्ड	CG02 /6146	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ.ग.)	
2	स्वास्थ्य अधिकारी	टाटा सुमो	CG 02/3518		सुपरवाईजरी
		एम्बुलेंस			
3		बोलेरो पीक अप	VACCINE VAN		VACCINE VAN
4		टाटा सुमो गोल्ड	CG.02.7149		
5		टाटा सुमो	CG.02.6992		
		एम्बुलेंस			
6		आयशर एम्बुलेंस	CG02/2511		एम्बुलेंस
7	खण्ड चिकित्सा अधिकारी छिंदगढ़	टाटा सुमो	M.H.12/0625	खण्ड चिकित्सा अधिकारी छिंदगढ़	
8		आयशर एम्बुलेंस	CG02/1630		एम्बुलेंस
9		टाटा सुमो	CG02/3622		एम्बुलेंस
10	खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोन्टा	टाटा सुमों एम्बुलेंस	CG02/3946	खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोन्टा	
11		आयशर एम्बुलेंस	CG02/1616		एम्बुलेंस
12	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र दोरनापाल	टाटा सुमो एम्बुलेंस	M.H.12/0627	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोरनापाल	एम्बुलेंस
13	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र चिन्तागुफा	टाटा सुमों	M.H.12/0626	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्तागुफा	एम्बुलेंस
14	**सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सुकमा**	टाटा स्पेशियो	CG02/2154	सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला सुकमा	एम्बुलेंस
15		मारूती वेन	मारूती वेन	जिला अस्पताल सुकमा	एम्बुलेंस
16		महेन्द्रा	CG 02/3170	जिला अस्पताल सुकमा	सुपरवाईजरी

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	सुकमा	तहसीलपारा	34	——''——	कलरपारा
2	——''——	मस्तानपारा	35	——''——	पुजारीपारा
3	——''——	राजवाड़ापारा	36	——''——	बारसेपारा
4	——''——	पटनमपारा 2	37	——''——	दारापारा
5	——''——	कुम्हारारास	38	——''——	गीदम
6	——''——	पावारास	39	——''——	नीबूपदर
7	——''——	पुसामीपारा	40	——''——	रापुराम
8	——''——	कोठीगुड़ा	41	——''——	रापुराम पटेलपारा
9	——''——	पटनमपारा	42	——''——	नीलावरम
10	——''——	शांति नगर	43	——''——	चिचोगुडा
11	——''——	गायत्री वार्ड	44	——''——	टुरकापारा
12	——''——	इंदिरा कालोनी	45	——''——	कोननगुडा
13	——''——	शबरी नगर	46	——''——	मुरतोंडा
14	——''——	सूपनर	47	——''——	गोलागुडा
15	——''——	कुम्हारारास	48	——''——	कांडकीपारा
16	——''——	सम्राटनगर	49	——''——	पेरमापारा
17	——''——	डुरकागुड़ा	50	——''——	मुयापारा
18	——''——	गॉधीनगर	51	——''——	निरगुंडीपारा
19	——''——	अस्पतालपारा	52	——''——	फोटकुरास
20	——''——	मस्जिदपारा	53	बुड़दी	काकडीआमा
21	——''——	श्रीनगर	54	——''——	कोतरा
22	——''——	मारवाड़ीपारा	55	——''——	बुडदी
23	——''——	कोयलाभट्टी	56	——''——	बुडदी 2
24	——''——	नाकापारा	57	——''——	तुर्रेतोंग
25	——''——	कुम्हारारास 2	58	——''——	आवासपारा
26	——''——	रूमीनगर	59	——''——	बारूपाटा
27	रामपुरम	नागारास	60	——''——	लौहण्डीपारा
28	——''——	कोठीगुडा	61	——''——	कमलापदर
29	——''——	गुटटागुड़ा	62	——''——	बैटटीपारा
30	——''——	डाडाबडी	63	——''——	कोकरपाल
31	——''——	सोनाकुकानार	64	——''——	जोरूतोंग
32	——''——	राउतपारा	65	——''——	देवकुपली
33	——''——	पेदापारा	66	——''——	भेलवापाल

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
67	——''——	कोसाबन्दर 2	100	——''——	मांझीपारा
68	——''——	पटेलपारा	101	——''——	सड़कपारा
69	——''——	सैतापारा	102	——''——	गिरदालपारा
70	——''——	नयापारा	103	——''——	चिकपाल
71	——''——	झापरा	104	——''——	दुरमापारा
72	——''——	मुलागुडा	105	——''——	पटेलपारा

73	––''––	कोसाबन्दर	106	––''––	सड़कपारा
74	––''––	इत्तापारा	107	––''––	पोगाभेज्जी
75	––''––	पुसपल्ली	108	––''––	धुरगुड़ा
76	––''––	मंगीपाल	109	––''––	रबड़ीपारा
77	––''––	कुडुकरास	110	––''––	बोरगुड़ा
78	––''––	दरभा	111	––''––	पटेलपारा
79	रामाराम	रामाराम	112	––''––	सिरसटटी
80	––''––	सड़कपारा	113	––''––	रावपारा
81	––''––	कुड़केल	114	––''––	रेगड़पारा
82	––''––	पातासुकमा	115	––''––	नन्दापारा
83	––''––	नाड़ीगुफा	116	––''––	मांडोपारा
84	––''––	कोयाबेकुर	117	––''––	गड़गड़ीपारा
85	––''––	मंदिरपारा	118	फूलबगड़ी	फुलबगड़ी
86	––''––	इत्तापारा	119	––''––	दामापारा
87	––''––	गोलाबेकुर	120	––''––	मेसीपारा
88	––''––	पुजारीपारा	121	––''––	सोलूपारा
89	––''––	छिंदपारा	122	––''––	कवासीपारा
90	––''––	डोंगरीपारा	123	––''––	बोड़को
91	––''––	ढोलूपारा	124	––''––	पलिया
92	––''––	गोंगला	125	––''––	कोटामपारा
93	––''––	मुयारास	126	––''––	मडकामपारा
94	––''––	धाकड़पारा	127	––''––	रेगड़पारा
95	––''––	तेलावर्ती	128	––''––	इत्तापारा
96	––''––	बोरगुड़ा	129	––''––	बडेसटटी दुरमा
97	––''––	पटेलपारा	130	––''––	स्कूलपारा
98	केरलापाल	केरलापाल	131	––''––	बंडेमपारा
99	––''––	पटेलपारा	132	––''––	सिंगनपारा

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
133	––''––	कंगोड़ीपारा	166	––''––	गोंदपल्ली
134	––''––	इत्तापारा	167	––''––	सोफिरास
135	––''––	पालोरपारा	168	––''––	माटेमपारा
136	––''––	गांधरपारा	169	––''––	पटेलपारा
137	––''––	ताड़पारा	170	––''––	मोसलपारा
138	गादीरास	गादीरास	171	मानकापाल	मानकापाल
139	––''––	मिरीवाडा	172	––''––	कुचारास
140	––''––	ओईरास	173	––''––	दोड़परिया
141	––''––	माटेमरका	174	––''––	बोरापारा
142	––''––	गुटूररास	175	––''––	मारोकी
143	––''––	लेंडरास	176	––''––	बेरगोंदी
144	––''––	तमियापारा	177	––''––	कापेपारा
145	––''––	पटेलपारा	178	––''––	गादेमपारा

146	——''——	राउतपारा	179	——''——	टोटापारा
147	——''——	तमि. राउतपारा	180	——''——	पोरदेम
148	——''——	तुर्रेपाल	181	——''——	चिरमुर
149	——''——	मिच्चीपारा	182	——''——	नागलगुड़ा
150	——''——	कलगुंडा	183	——''——	नीलावाया
151	——''——	जीरमपाल	184	——''——	गोडेरास
152	——''——	चिन्नापारा	185	——''——	पेदापरा
153	——''——	झलियारास	186	——''——	लेण्डीपारा
154	——''——	जामपारा	187	——''——	पुजारीपारा
155	——''——	डब्बारास	188	——''——	पटेलपारा
156	——''——	मुतोडा	189	——''——	गुफड़ी
157	——''——	पटेलपारा	190	——''——	पटेलपारा
158	——''——	पखनागुडा	191	——''——	केशापारा
159	——''——	माडभाटा	192	——''——	दोकापारा
160	——''——	कोंडरे	193	कोर्रा	कोर्रा
161	——''——	पेरमापारा	194	——''——	मुनगापारा
162	——''——	पदामीपारा	195	——''——	धुरवारास
163	——''——	गडगडीपारा	196	——''——	कासरगुडा
164	——''——	आमापार	197	——''——	एटपाल
165	——''——	नयापारा	198	——''——	आदगुडा

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
199	––"––	पडवारास	232	मिचवार	मिचवार
200	––"––	माडियरास	233	––"––	पाईकपारा
201	––"––	एतलपारा	234	––"––	रेंगामपारा
202	––"––	एटपाल पटेलपारा	235	––"––	गरीपाल
203		महरापारा	236	––"––	मिचवार(ठोठापारा)
204	––"––	डोडपाल	237	––"––	ठोठापारा गरीपाल
205	––"––	तोंगरास	238	––"––	कोटवारपारा(गरीपाल)
206	––"––	पटेलपारा	239	––"––	मिचवार(एंदेपारा)
207	––"––	गौरेपारा	240	––"––	गड़गड़पारा
208		चिंगावरम	241	––"––	कप्पेगोंदी
209	––"––	पटेलपारा	242	––"––	डब्बा स्कूलपारा
210	––"––	मुरकी	243	––"––	डब्बा(कोलेंगपारा)
211	––"––	छोटे मुरकी	244	––"––	मेशीडब्बा
212	पेन्दलनार	पेन्दलनार	245	––"––	पिट्टेडब्बा
213	––"––	मुठेली	246	––"––	डब्बा(खासपारा)
214	––"––	ईत्तागुफा	247	––"––	डब्बा लोहरापारा
215	––"––	रासावाया	248	**रोकेल**	रोकेल
216	––"––	डोलेरास	249	––"––	लखापारा
217	––"––	इरपा	250	––"––	पेदापारा
218	––"––	मुन्डुम	251	––"––	रोकेल(लाठीपारा)
219	––"––	गोरली(पटेलपारा)	252	––"––	रोकेल मासेंगापारा
220	––"––	गोरली(बाजारपारा)	253	––"––	रोकेल(पेरमापारा)
221	––"––	गोरली(मिड़कमपारा)	254	––"––	लस्केपारा
222	––"––	नयानार	255	––"––	उरमापाल–1
223	––"––	(गोरली)पेदापारा नयापारा	256	––"––	उरमापाल–2
224	––"––	पेरमापारा	257	––"––	मारीभाटा
225	––"––	पाईकपारा गोरली	258	––"––	कुशलपारा
226	––"––	केरातोंग	259	––"––	उरमापाल(पाडेपदर)
227	––"––	महिमा	260	––"––	सुभाषपारा
228	––"––	अन्दुमपाल	261	––"––	छुर्रागट्टा
229	––"––	बेन्द्रापानी	262	––"––	छुर्रागटटा पटेलपारा
230	––"––	केरातोंग(माटापारा)	263	––"––	पतिनाईकरास
231	––"––	मारीपारा	264	––"––	पतिनाईकरास(पटेलपारा)
क.	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**	**क.**	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**
265	––"––	कोकरतोंग	298	**कुन्दनपाल**	कुन्दनपाल–1
266	––"––	पतिनाईकरास (मुरियापारा)	299	––"––	कुन्दनपाल–2
267	––"––	पाईकपारा धोबनपाल	300	––"––	फंदीवार
268	––"––	गोन्चेपारा धोबनपाल	301	––"––	रावतपारा
269	––"––	धोबनपाल(ठोठापारा)	302	––"––	पटेलपारा
270	––"––	धोबनपाल	303	––"––	कुन्दनपाल(खासपारा)
271	**छिन्दगढ़**	छिन्दगढ़–1	304	––"––	कुन्दनपाल(मिलकमपारा)

272	——"——	छिन्दगढ़—2	305	——"——	कुन्दनपाल(पटेलपारा)
273	——"——	छिन्दगढ़—3	306	——"——	कुन्दनपाल(बागापारा)
274	——"——	छिन्दगढ़—4	307	——"——	कुन्ना
275	——"——	छिन्दगढ़(महारापारा)	308	——"——	धनीकोड़ता
276	——"——	बागापारा	309	——"——	तरईटिकरा
277	——"——	छिन्दगढ़(रानीबहाल)	310	——"——	कोर्मागोंदी
278	——"——	छिन्दगढ़(गिरलीखुटी)	311	——"——	पेदापारा
279	——"——	ब्लाकपारा(छिन्दगढ़)	312	——"——	डेंगोपारा
280	——"——	बेकोपारा	313	——"——	कलारपारा कुन्ना
281	——"——	पोड़ियामीपारा	314	——"——	मड़कामीपारा कुन्ना
282	——"——	पुजारीपाल	315	——"——	सोड़ीपारा
283	——"——	कॉजीपानी(ठोठापारा)	316	——"——	पेरमापारा कुन्ना
284	——"——	कॉजीपानी(सरपंचपारा)	317	——"——	ताड़ापारा कुन्ना
285	——"——	महारापारा कॉजीपानी	318	——"——	कावड़पारा
286	——"——	कॉजीपानी	319	——"——	धनीकोड़ता(खासपारा)
287	——"——	नयापारा कॉजीपानी	320	——"——	धनीकोड़ता(लखापारा)
288	——"——	पटेलपारा कॉजीपानी	321	——"——	पुसगुन्ना
289	——"——	बकुलाघाट	322	——"——	चुलेरास
290	——"——	बकुलाघाट(ठोठापारा)	323	——"——	दुनामपारा
291	——"——	बकुलाघाट(खासपारा)	324	——"——	गुज्जापारा
292	——"——	रेड्डीपाल(राऊतपारा)	325	——"——	पेरमापारा(पुसगुन्ना)
293	——"——	रेड्डीपाल	326	——"——	लोहारपारा
294	——"——	गंजेनार	327	——"——	पुसगुन्ना ठोठापारा
295	——"——	गंजेनार नयापारा	328	चिपुरपाल	चिपुरपाल
296	——"——	बंटुपारा	329	——"——	हिकमीरास
297	——"——	कस्तुरी	330	——"——	चिकारास
क.	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**	**क.**	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**
331	——"——	द्वारीपारा	364	——"——	मुर्रेपाल
332	——"——	चिपुरपाल(ठोठापारा)	365	——"——	चौपेल
333	——"——	चिपुरपाल(कलारपारा)	366	——"——	राजामुंडा
334	——"——	हिकमीरास(मुरियापारा)	367	——"——	बडेपारा राजामुण्डा
335	——"——	बिरसठपाल	368	——"——	उदलातरई 1
336	——"——	कोडरीकोसम	369	——"——	उदलातरई 2
337	——"——	बिरसठपाल(ठोठापारा)	370	——"——	बोरगापारा राजामुण्डा
338	——"——	सरपंचपारा बिरसठपाल	371	——"——	अधिकारीरास—1
339	——"——	रतिनाईकरास राउतपारा	372	——"——	अधिकारीरास —2
340	——"——	कोपागुडा	373	——"——	जरलोडीह
341	——"——	सिलिकजोड़ी बिरसठपाल	374	——"——	पुजारीपारा
342	——"——	रतिनाईकरास	375	——"——	रामपुराम अधिकारीरास
343	——"——	पोन्दूम—1	376	——"——	कोमटीगुड़ा
344	——"——	पोन्दूम—2	377	——"——	धावड़ाभाटा अधिकारीरास
345	——"——	आरकातोंग	378	——"——	मुरियापारा अधिकारीरास
346	——"——	ड्वाकीरास	379	——"——	अधिकारीरास(तातीपारा)
347	——"——	सुरवीरास	380	तोंगपाल	तोंगपाल 1

348	—"—	पोन्दूम सरपंचपारा	381	—"—	तोंगपाल 2
349	—"—	टोटेरपारा पोन्दूम	382	—"—	बाजारपारा
350	पाकेला	पाकेला–1	383	—"—	नहरपारा
351	—"—	पाकेला–2	384	—"—	इन्द्राकालोनी
352	—"—	पाकेला–3	385	—"—	संजयनगर
353	—"—	पाकेला हिरमापारा	386	—"—	पेरमापारा
354	—"—	बाजारपारा पाकेला	387	—"—	कमलापदर
355	—"—	पेदापारा नीचेपारा पाकेला	388	—"—	कावराकोपा
356	—"—	ठोठापारा 2 पाकेला	389	—"—	पाइकपारा ठोठापारा
357	—"—	ठोठापारा 01 पाकेला	390	—"—	गुफनपाल
358	—"—	टेमरूटिकरा पाकेला	391	—"—	मासापारा
359	—"—	मंगीतोग	392	—"—	भण्डारपाल
360	—"—	बुटारास	393	—"—	कोयलाभटटी
361	—"—	बालाटिकरा	394	—"—	किलेपारा
362	—"—	पाकेला(बगीचापारा)	395	—"—	सगुनधाट
363	—"—	पाकेला(पेरमापारा)	396	—"—	पेरमारास

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
397	——"——	लुडकीरास	430	——"——	उखेनपारा
398	——"——	ठोठापारा लिटिरास	431	——"——	पटेलपारा
399	——"——	तरईटिकरा	432	——"——	बोगाम
400	——"——	मुरईटिकरा	433	——"——	पालेम
401	——"——	धुरवापारा लिटिरास	434	——"——	साडरापाल
402	——"——	गुटेरपारा	435	——"——	जग्गुमुण्डा
403	——"——	मुत्तामाडम	436	——"——	डोकरीपारा
404	——"——	लिटिरास	437	पुसपाल	पुसपाल 1
405	——"——	माहरापारा चालकीरास	438	——"——	पुसपाल 2
406	——"——	गोडपारा	439	——"——	किन्दरवाडा 1
407	——"——	हमिरगढ 1	440	——"——	किन्दरवाडा 2
408	——"——	हमिरगढ 2	441	——"——	सुर्रेपाल
409	——"——	कासनपाल	442	——"——	कोकराल
410	——"——	सरपंचपारा	443	——"——	गुम्मा 1
411	——"——	जैमेर	444	——"——	गुम्मा 2
412	——"——	जमेर ठोठापारा	445	——"——	गुम्मा 3
413	——"——	कुरैली	446	——"——	कुमाकोलेंग 1
414	——"——	मारापारा	447	——"——	कुमाकोलेंग 2
415	लेदा	लेदा 1	448	——"——	बाडनपाल
416	——"——	लेदा 2	449	——"——	चिउरवाडा
417	——"——	भटटीपारा	450	——"——	चितलनार 1
418	——"——	ठोठापारा	451	——"——	चितलनार 2
419	——"——	पटेलपारा	452	——"——	चितलनार 3

420	—"—	मारेंगा	453	—"—	चितलनार 4
421	—"—	टिपनपाल	454	—"—	नेतानार
422	—"—	खासपारा	455	—"—	जंगमपाल
423	—"—	कानापारा	456	—"—	किकिरपाल 1
424	—"—	चिडपाल	457	—"—	किकिरपाल 2
425	—"—	कोकालपाल	458	—"—	तुमकपाल
426	—"—	खेडेपारा	459	—"—	ओलेर 1
427	—"—	खोटलापारा	460	—"—	ओलेर 2
428	—"—	कलारपारा	461	—"—	सीतापाल
429	—"—	ठोठापारा	462	—"—	मुण्डवाल

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
463	—"—	पुसपाल 3	496	—"—	सोडीपारा
464	—"—	किन्दरवाडा लोहरापारा	497	—"—	ठोठापारा
465	—"—	मुण्डापारा चितलनार	498	—"—	मेखावाया
466	—"—	उपरपारा चितलनार	499	—"—	भोपावाडा
467	—"—	मिडियामपारा चितलनार	500	—"—	पाइलपारा
468	—"—	धामनपारा चिउरवाडा	501	—"—	तालनार 1
469	—"—	लोहरापारा चिउरवाडा	502	—"—	तालनार 2
470	—"—	पटेलपारा चिउरवाडा	503	—"—	भटटीपारा
471	—"—	सरगीपारा चिउरवाडा	504	—"—	पुरिरास
472	—"—	ठोठापारा बाडनपाल	505	—"—	आवासपारा
473	—"—	नयापारा बाडनपाल	506	—"—	ठोठापारा
474	—"—	लोहरापारा बाडनपाल	507	—"—	मुण्डापारा
475	—"—	ठोठापारा कुमाकोलेग	508	—"—	नयामुण्डा
476	—"—	गोविन्दपाल	509	—"—	कोडरीपाल
477	—"—	मुरियापारा नेतानार	510	—"—	तरईटिकरा
478	—"—	ठोठापारा नेतानार	511	—"—	गोदामपारा
479	—"—	कुशनोपारा जंगमपाल	512	—"—	कवासीरास
480	—"—	डोगरीपारा जंगमपाल	513	—"—	तोंगगुडा
481	—"—	गुम्मा चांदपारा	514	—"—	बेरेपारा
482	—"—	तरईटिकरा गुम्मा	515	—"—	कुरमीरास
483	—"—	कुम्हारपारा गुम्मा	516	कोन्टा	कोन्टा 1
484	—"—	ठोठापारा गुम्मा	517	—"—	कोन्टा 2
485	—"—	कुम्हारपारा किकिरपाल	518	—"—	कोन्टा 3
486	—"—	लाठिपारा किकिरपाल	519	—"—	कोन्टा 4
487	—"—	मंझारपारा किकिरपाल	520	—"—	कोन्टा 5
488	—"—	सीतापाल पटेलपारा	521	—"—	कोन्टा 6
489	—"—	ओलेर पेदापारा	522	—"—	कोन्टा 7
490	—"—	ओलेर नयापारा	523	—"—	कोन्टा 8
491	—"—	धुरमापारा ओलेर	524	—"—	छ0ग0पारा कोन्टा
492	—"—	सरगीपारा किकिरपाल	525	—"—	ढोल पारा कोन्टा
493	गुडरा	गुडरा 1	526	—"—	अम्बेडकर पारा कोन्टा

494	—"—	गुडरा 2	527	——''——	सिचांई कालोनी कोन्टा
495	—"—	तालाबपारा	528	——''——	बस स्टेण्ड पारा कोन्टा
क.	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**	**क.**	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**
529	——''——	ढोढरा 1	562	——''——	इतकल
530	——''——	ढोढरा 2	563	——''——	जिनेतोंग
531	——''——	ढोढरा 3	564	——''——	बालेगतोंग
532	——''——	ढोढरा 4	565	——''——	गंगराजपाड़
533	——''——	ढोढरा 5	566	——''——	पीलावाया
534	——''——	फन्दीगुड़ा 1	567	——''——	बेलपोच्छा
535	——''——	इरफागुड़ा	568	——''——	बण्ड़ा 1
536	——''——	गेड़ापाड	569	——''——	बण्ड़ा 2
537	——''——	पेदाकिशोली	570	——''——	कन्हाईगुड़ा 1
538	——''——	फन्दीगुड़ा 2	571	——''——	कन्हाईगुड़ा 2
539	——''——	इंजरम 1	572	——''——	उसकेवाया
540	——''——	इंजरम 2	573	——''——	नुल्कातोंग
541	——''——	आसिरगुड़ा	574	——''——	मंगलगुड़ा
542	——''——	एटेगटटा 1	575	——''——	डब्बापाड
543	——''——	एटेगटटा 2	576	भेजी	भेजी 1
544	——''——	गोरखा 1	577	——''——	भेजी 2
545	——''——	गोरखा 2	578	——''——	एलामड़गू 1
546	——''——	सुन्नमगुड़ा 1	579	——''——	वंकोपारा भेजी
547	——''——	चिन्ताकोन्टा	580	——''——	एलामड़गू 2
548	——''——	सुन्नमगुड़ा 2	581	——''——	पाताभेजी
549	——''——	मुरलीगुड़ा 1	582	——''——	ओन्दरपारा
550	——''——	मुरलीगुड़ा 2	583	——''——	मोसलमड़गू
551	——''——	बुरगुड़ा	584	——''——	वीराभटटी 2
552	मेहता	मेहता 1	585	——''——	मासेलमडगू 2
553	——''——	मेहता 2	586	——''——	रेगडगटटा 1
554	——''——	नीलामडगू 1	587	——''——	रेगडगटटा 2
555	——''——	नीलामडगू 2	588	——''——	वीराभटटी
556	——''——	गोमपाड	589	——''——	रेगडगटटा 3
557	——''——	दुरमा 1	590	——''——	भण्डारपदर 1
558	——''——	दुरमा 2	591	——''——	कोताचेरू
559	——''——	पुसगुड़ा 1	592	——''——	भण्डारपदर 2
560	——''——	पुसगुड़ा 1	593	——''——	रामनगर
561	——''——	बटेरू	594	——''——	चिन्तागुफा
क.	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**	**क.**	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**
595	——''——	बोदारास 2	628	——''——	तारलागुड़ा
596	——''——	मुकुडतोंग	629	——''——	सिंगाराम 1
597	——''——	मैलासुर 1	630	——''——	वंजलवाही
598	——''——	मैलासुर 2	631	——''——	गोंदीगुड़ा

599	——''——	गच्छनपल्ली 1	632	——''——	वीरापुरम 1
600	——''——	गच्छनपल्ली 2	633	——''——	मराईगुड़ा 1
601	——''——	एतराजपाड़	634	——''——	मराईगुड़ा 2
602	——''——	बोदारास 1	635	——''——	गंगलेर 1
603	——''——	दन्तेश्पुरम 1	636	——''——	गंगलेर 2
604	——''——	दन्तेश्पुरम 2	637	——''——	तिगनपल्ली
605	——''——	कंगालतोंग	638	——''——	रामपुरम
606	डब्बाकोन्टा	डब्बाकोन्टा 1	639	——''——	भटटीगुड़ा
607	——''——	डब्बाकोन्टा 2	640	——''——	वीरापुरम 2
608	——''——	तोलनई	641	——''——	भण्डारचिलका
609	——''——	जग्गावरम 1	642	——''——	कोराजगुड़ा
610	——''——	जग्गावरम 2	643	——''——	रासातोंग
611	——''——	कोलाईगुड़ 1	644	——''——	कन्हाईपाड 1
612	——''——	कोलाईगुड़ 2	645	——''——	कन्हाईपाड 2
613	——''——	बुर्कलंका 1	646	——''——	मोसलमड़गू
614	——''——	बुर्कलंका 2	647	——''——	तुमाबागू
615	——''——	तुमालपाड़ 1	648	——''——	कोतूर
616	——''——	पेन्टापाड	649	——''——	बुरगुड़ा
617	——''——	एन्टापाड 1	650	——''——	सिंगाराम 2
618	——''——	एन्टापाड 2	651	——''——	जिनेलंका
619	——''——	तुमालपाड़ 2	652	किस्टारम	किस्टारम 1
620	——''——	बडेकेडवल	653	——''——	किस्टारम 2
621	——''——	कुम्हारपदार	654	——''——	किस्टारम 3
622	——''——	छोटेकेडवल	655	——''——	बेदेपाड़
623	——''——	भटटापाड 1	656	——''——	मंगलगुड़ा
624	——''——	पामलुर 1	657	——''——	करीगुण्डम
625	——''——	पामलुर 2	658	——''——	सिन्दुरगुड़ा 1
626	गोलापल्ली	गोंलापल्ली	659	——''——	सिन्दुरगुड़ा 2
627	——''——	मामडीगुड़ा	660	——''——	धरमापेन्टा

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
661	——''——	टेटेमड़गू 1	694	——''——	मराईगुडा 1
662	——''——	आरलापेन्टा	695	——''——	मराईगुडा 2
663	——''——	कुमुदतोंग	696	——''——	बिरला 1
664	——''——	धनपेन्टा	697	——''——	बिरला 2
665	——''——	पालोडी	698	——''——	कामराजपाड
666	——''——	निमलगुड़ा	699	——''——	कसलपाड
667	——''——	एलकनगुड़ा	700	एर्राबोर	एर्राबोर 1
668	——''——	टेटेमड़गू 2	701	——''——	एर्राबोर 2
669	किस्टारम 2	एलमागुण्डा	702	——''——	एर्राबोर 3
670	——''——	साकलेर 1	703	——''——	एर्राबोर 4
671	——''——	साकलेर 2	704	——''——	एर्राबोर 5
672	——''——	गटटापाड 1	705	——''——	एर्राबोर 6
673	——''——	शालातोंग 1	706	——''——	एर्राबोर 7

674	——''——	दुब्बामरका	**707**	——''——	एर्राबोर 8
675	——''——	टोंडामरका	**708**	——''——	एर्राबोर 9
676	——''——	पोटकपल्ली 1	**709**	——''——	एर्राबोर 10
677	——''——	पोटकपल्ली 2	**710**	——''——	मेटागुड़ा 1
678	——''——	कोसमवाड़ा	**711**	——''——	वंजामगुडा 1
679	——''——	पालाचलमा 1	**712**	——''——	वंजामगुडा 2
680	——''——	पालाचलमा 2	**713**	——''——	मुलाकिशोली 1
681	——''——	आमापेन्टा	**714**	——''——	मुलाकिशोली 2
682	——''——	गटटापाड 1	**715**	——''——	जग्गावरम
683	——''——	पालाचलमा 3	**716**	——''——	लेन्ड्रा 1
684	——''——	सिंगनपाडं	**717**	——''——	लेन्ड्रा 2
685	——''——	मंगलतोग	**718**	——''——	बर्रेमोगा
686	——''——	शालातोंग 2	**719**	——''——	दरभागुड़ा 1
687	गगनपल्ली	गगनपल्ली 1	**720**	——''——	दरभागुड़ा 2
688	——''——	गगनपल्ली 2	**721**	——''——	मेटागुडा 2
689	——''——	गगनपल्ली 3	**722**	दोरनापाल	दोरनापाल 1
690	——''——	नरकुटटा पारा	**723**	——''——	दोरनापाल 2
691	——''——	कुरतीपारा	**724**	——''——	दोरनापाल 3
692	——''——	मनीकोन्टा 1	**725**	——''——	दोरनापाल 4
693	——''——	मनीकोन्टा 2	**726**	——''——	दोरनापाल 5
कमांक	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**		**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**
727	——''——	उ0प0दोरनापाल	**761**	——''——	पिन्नाभेजी
728	——''——	दोरनापाल 7	**762**	——''——	पुनपल्ली 1
729	——''——	कामापेदागुड़ा	**763**	——''——	पुनपल्ली 2
730	——''——	नागलगुण्ड़ा 1	**764**	——''——	पुनपल्ली 3
731	——''——	नागलगुण्ड़ा 2	**765**	——''——	मुंड़पल्ली
732	——''——	पेंटा 1	**766**	——''——	नेलवाड़ा
733	——''——	पेंटा 2	**767**	——''——	समसटटी 1
734	——''——	कोसागुड़ा 1	**768**	——''——	समसटटी 2
735	——''——	कोसागुड़ा 2	**769**	——''——	फयदागुड़ा
736	——''——	देवरपल्ली 1	**770**	——''——	उपमपल्ली
738	——''——	देवरपल्ली 2	**771**	——''——	बगडेगुड़ा 1
739	——''——	मेड़वाही 1	**772**	——''——	बगडेगुड़ा 2
740	——''——	मेड़वाही 2	**773**	——''——	परिया
741	——''——	मेड़वाही 3	**774**	——''——	मिचीगुड़ा
742	——''——	कुरती 1	**775**	——''——	नीलावाया
743	——''——	कुरती 2	**776**	——''——	दरभागुड़ा
744	——''——	तोंगगुडा	**777**	——''——	मिसमा 2
745	——''——	दोरनापपाल 8	**778**	——''——	बगड़ेगुडा 3
746	——''——	आरगटटा 1	**779**	चिन्तागुफा	चिन्तागुफा 1
747	——''——	बोडडीगुड़ा 1	**780**	——''——	चिन्तागुफा 2
748	——''——	बोडडीगुड़ा 2	**781**	——''——	चिन्तागुफा 3
749	——''——	टेटराई 1	**782**	——''——	तेमलवाड़ा 1

750	——"——	टेटराई 2	783	——"——	तेमलवाड़ा 2
751	——"——	दुब्बामरका	784	——"——	पुसवाड़ा 1
752	——"——	आरगटटा 2	785	——"——	पुसवाडा 2
753	दुब्बाटोटा	दुब्बाटोटा 1	786	——"——	करीगुण्ड़म 1
754	——"——	दुब्बाटोटा 2	787	——"——	करीगुण्ड़म 2
755	——"——	दुब्बाटोटा 3	788	——"——	दुलेड़ 2
756	——"——	दुब्बाटोटा 4	789	——"——	मिनपा 1
757	——"——	दुब्बाटोटा 5	790	——"——	रामाराम 1
758	——"——	बोदागुड़ा	791	——"——	रामाराम 2
759	——"——	चिचोरगुड़ा	792	——"——	पिड़मिल 1
760	——"——	मिसमा 1	793	——"——	पिड़मिल 2

क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क.	सेक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
794	——"——	तोकनपल्ली 1	827	——"——	कोरापाड़ 2
795	——"——	गोडलगुड़ा 1	828	——"——	चिकपल्ली
796	——"——	गोडलगुड़ा 2	829	——"——	कुम्हारपदर
797	——"——	ताड़मेटला 1	830	——"——	रंगाईगुड़ा
798	——"——	ताड़मेटला 2	831	——"——	बारमलोर
799	——"——	बुरकापाल 1	832	——"——	गोंदपल्ली 2
800	——"——	बुरकापाल 2	833	——"——	पालामड़गू 4
801	——"——	ताडमेटला 3	834	चितलनार	चिन्तलनार 1
802	——"——	चिन्तागुफा 4	835	——"——	चिन्तलनार 2
803	——"——	तोकनपल्ली 2	836	——"——	चिन्तलनार 3
804	——"——	दुलेड़ 1	837	——"——	चिन्तलनार 5
805	——"——	मिनपा 2	838	——"——	कोत्तापल्ली 1
806	पोलमपल्ली	पोलमपल्ली 1	839	——"——	कोत्तापल्ली 2
807	——"——	पोलमपल्ली 2	840	——"——	लखापाल 1
808	——"——	पोलमपल्ली 3	841	——"——	लखापाल 2
809	——"——	बर्देनपाड़	842	——"——	तोंगगुड़ा
810	——"——	अरलमपल्ली 1	843	——"——	मुकरम 1
811	——"——	अरलमपल्ली 2	844	——"——	मुकरम 2
812	——"——	गोंदपल्ली 1	845	——"——	कोत्तागुड़ा 1
813	——"——	वरदेलतोंग 1	846	——"——	पोलमपाड़
814	——"——	वरदेलतोंग 2	847	——"——	किस्टाराम 1
815	——"——	गोरगुण्डा 1	848	——"——	नारसापुरम
816	——"——	गोरगुण्डा 2	849	——"——	तोंगगुडा 2
817	——"——	गोरगुण्डा 3	850	——"——	किष्टाराम 2
818	——"——	गोरगुण्डा 4	851	——"——	चिन्तलनार 4
819	——"——	काकेरलंका 1	852	——"——	कोत्तागुड़ा 2
820	——"——	काकेरलंका 2	853	——"——	मोरपल्ली 1
821	——"——	काकेरलंका 3	854	——"——	मोरपल्ली 2
822	——"——	इत्तागुड़ा	855	——"——	केरलापेंदा 1
823	——"——	पालामड़गु 1	856	——"——	केरलापेंदा 2
824	——"——	पालामड़गु 2	857	——"——	तुमिरगुड़ा

825	——''——	पालामडगू 3	858	——''——	मरकागुड़ा
826	——''——	कोरापाड़ 1	859	——''——	नागाराम 1
क.	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**	**क.**	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**
860	——''——	नागाराम 2	893	——''——	चिमली
861	——''——	गटटापाड़	894	——''——	अचकट 1
862	——''——	चिन्नाबोडकेल	895	——''——	चिमली 2
863	——''——	पेदाबोडकेल 1	896	——''——	राजपेन्टा 2
864	——''——	पेंदाबोडकेल 2	897	——''——	अचकट
865	——''——	जाबागटटा 2	898	——''——	एलमपल्ली 2
866	——''——	तिम्मापुरम	899	——''——	चिमलीलावा
867	——''——	जब्बागटटा 1	900	——''——	बंजेपल्ली 2
868	——''——	तिमापुरम 2	901	चिमलीपेंटा	चिमलीपेंटा
869	——''——	बाडेगान गुलाव	902	——''——	कुन्देड़ 1
870	जगरगुण्ड़ा	जगरगुण्ड़ा 1	903	——''——	मिसीगुड़ा 1
871	——''——	जगरगुण्ड़ा 2	904	——''——	दुरनदरभा 1
872	——''——	जगरगुण्ड़ा 3	905	——''——	सिलगेर 1
873	——''——	जगरगुण्ड़ा 4	906	——''——	सिलगेर 2
874	——''——	तारलागुड़ा	907	——''——	सुरपनगुड़ा 1
875	——''——	विक्रमपल्ली	908	——''——	सुरपनगुड़ा 2
876	——''——	बैनपल्ली	909	——''——	पूवर्ती 1
877	——''——	कोत्तागुड़ा	910	——''——	उरसागंल
878	——''——	राजपेंटा	911	——''——	सिंगाराम
879	——''——	मिलयमपल्ली 1	912	——''——	टेकलगुडा
880	——''——	मिलयमपल्ली 2	913	——''——	कुन्देड़ 2
881	——''——	कामाराम 1	914	——''——	मिसीगुड़ा 2
882	——''——	कामाराम 2	915	——''——	बेदरे
883	——''——	दुरमा	916	——''——	पूवर्ती 2
884	——''——	पारलागटटा	917	——''——	उरसागंल 2
885	——''——	कमारगुड़ा	918	——''——	अलीगुडा
886	——''——	कोण्ड़ासोवली 1	919	——''——	गोंदपल्ली 1
887	——''——	कोण्ड़ासोवली 2	920	——''——	गोंदपल्ली 2
888	——''——	बंजेपल्ली	921	——''——	मण्ड़ीमरका 1
889	——''——	एलमपल्ली	922	——''——	मण्ड़ीमरका 2
890	——''——	चिमलीलावा 1	923	——''——	तोलेवर्ती 1
891	——''——	कलाईगुड़ा	924	——''——	तोलेवर्ती 2
892	——''——	कोड़मेर	925	——''——	गुभोड़ी
क.	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**	**क.**	**सेक्टर का नाम**	**आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम**
926	——''——	बेदरे 2			
927	——''——	भीमापुरम			
928	——''——	मिचीगुडा 1			
929	——''——	मण्डीमरका 3			

930	——''——	जावागण्डा			
931	——''——	सिलगेर 3			
932	——''——	दुरनदरभा 2			
933	——''——	सिंगाराम 2			